खण्ड-267, अंक-1
सोमवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1888
(18 जुलाई, 1966 ई0)

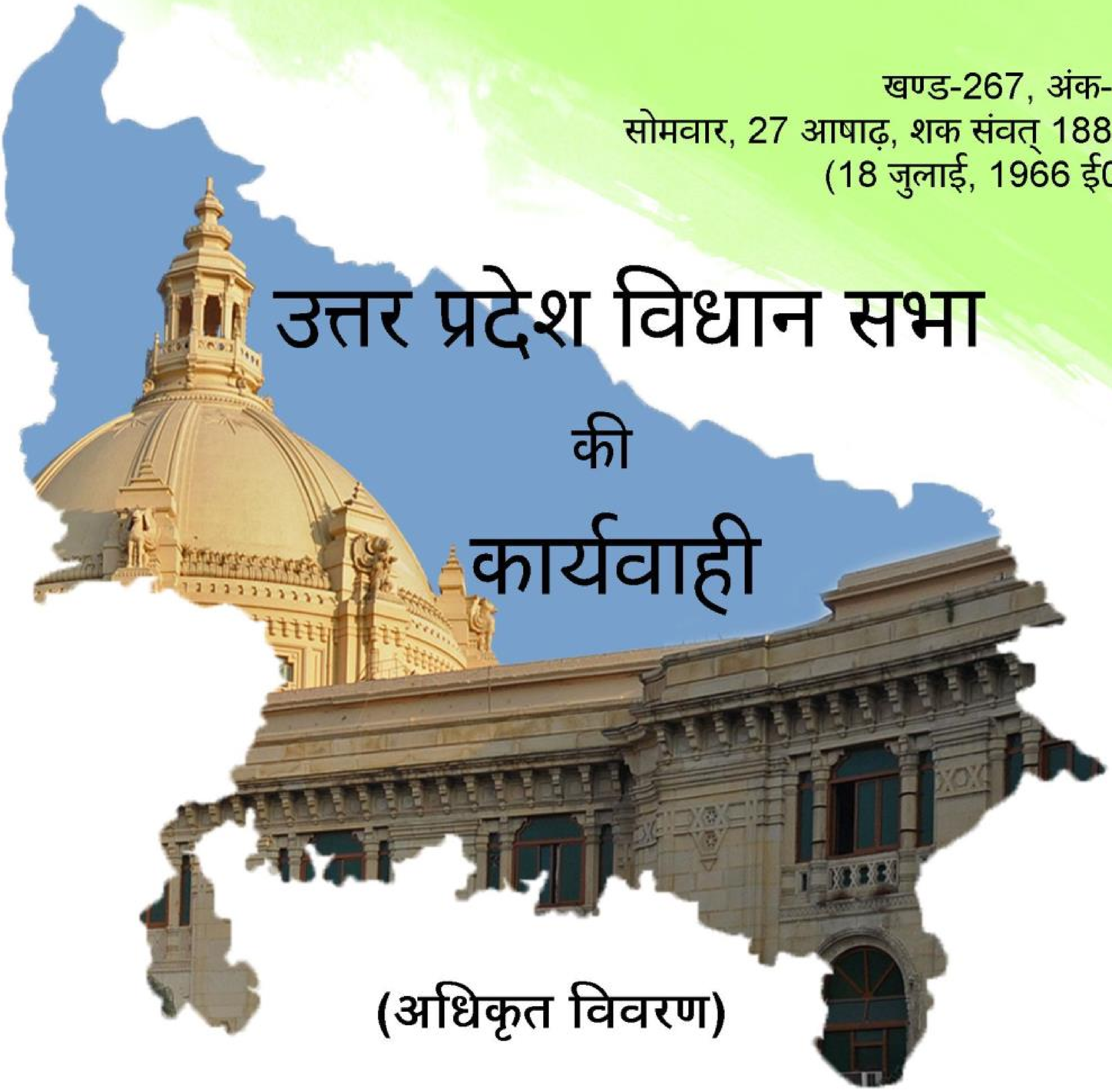

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, १८ जुलाई, १९६६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२५
सी० आई० डी० रिपोर्टरों द्वारा सदन की कार्यवाही प्रतिवेदित किये जाने पर आपत्ति	२५
विधान सभा सदस्य, श्री इरतजा हुसैन के निधन पर शोकोद्गार ..	२६–२७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया) ..	२७
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोशन) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया)	२७
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया) ..	२७–२८
दि बिहार ऐण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ से सम्बद्ध राष्ट्रपति का आदेश (मेज पर रखा गया)	२८
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ (मेज पर रखा गया)	२८
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	२८–२९
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२९
उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	२९
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२९
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२९–३०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३०
प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३०
विधान सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के संबंध में सूचना ..	३०–३२
मुख्य मन्त्री एवं कुछ जिलाधीशों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	३२–३४
उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (सदन द्वारा अनुज्ञा दी गई) ..	३५–३७

मंगलवार, १९ जुलाई, १९६६

सदस्यों के प्रति श्री अध्यक्ष के कथित आपत्तिजनक व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायत .. ८५–८८

प्रश्नोत्तर ८८–१०४

श्री भीमा प्रसाद की जेल से रिहाई की सूचना १०४

कतिपय विषय १०४–१०७

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन १०८

बांदा गोलीकांड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें .. १०८–११२

छितौनी बांध टूटने के फलस्वरूप किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ११३

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर घटी घटना के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ११३

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षणार्थ अन्य सूचनायें ११३–११४

प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के चार सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव ११५

लोक लेखा समिति (१९६६–६७) के लिये विधान परिषद् के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव ११५

दि बिहार ऐन्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ .. ११५–१२४

बांदा गोलीकांड से सम्बद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा १२४–१३८

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चा फेंकने के सम्बन्ध में श्री इब्राहीम परवेज को कारावास की सजा १३८–१४५

मत्थियां १४६–१४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० जुलाई, १९६६

उपस्थित सदस्य १४९–१५२

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल की मांगें १५३–१५७

प्रश्नोत्तर १५७–१८३

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति १८३–१८५

श्री राधेश्याम शर्मा को कारावासित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना .. १८५

सुचारुरूप से सदन की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में आपत्ति .. १८५–१८८

कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित) १८८–१९८

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान कार्यालय में पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत) १९८–२००

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया) .. २००–२०५

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित) २०५–२०७

नत्थी २०८–२०९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बृहस्पतिवार, २१ जुलाई, १९६६

उपस्थित सदस्य २११–२१४

प्रश्नोत्तर २१५–२३५

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना २३५

अमरीकी पत्रिका के स्टाफ रिपोर्टर द्वारा प्रेस गैलरी में फोटो लेने के सम्बन्ध में.. क्षमा याचना २३६–२५३

परिवहन विभाग के मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज के .. संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं २५३–२५७

उच्च न्यायालय में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना .. २५७–२५८

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं २५८

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के संबंध में किये गये प्रयत्नों .. के बारे में जानकारी की मांग (जारी).. .. .. २५८–२६३

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (जारी) २६३

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के संबंध में किये गये प्रयत्नों .. के बारे में जानकारी की मांग २६३–२६५

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ (पारित) .. २६५–२६७

नत्थियां २६८–२७०

विधान सभा सचिवालय

शुक्रवार, २२ जुलाई, १९६६

उपस्थित सदस्य २७१–२७५

प्रश्नोत्तर २७५–२९३

विधायकों की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना २९३–२९४

सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर के लाबी में न रखे जाने पर आपत्ति (जारी) .. २९४

प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति २९५

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गई) २९५–२९७

सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर के लाबी में न रखे जाने पर आपत्ति .. २९७

नियम ५२ तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना २९७–२९८

जिला कारागार, आजमगढ़ में कैदियों के भोजन तथा रहन-सहन की कथित अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना .. २९८

"पायनियर" के सम्वाददाता के प्रति पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना २९९

ग्राम बछगांव, जिला मथुरा में हरिजनों की बारात पर हमले के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना २९९–३००

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. ३००–३०८

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के बारे में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी ३०८–३१०

लगान पर आपातिक अधिभार को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ३१०–३११

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया) ३१२

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया) ३१२

नागर क्षेत्र में लगे भूमि-भवन कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) ३१२–३४३

नत्थियां ३४४–३४९

सोमवार, २५ जुलाई, १९६६

उपस्थित सदस्य ३५१–३५५

कार्यसूची में प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति ३५५–३५६

प्रश्नोत्तर (जारी) ३५६–३६२

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ३६२–३६३

प्रश्नोत्तर ३६३–३६५

अमरीकी पत्रिका के स्टाफ रिपोर्टर, श्री जिम तथा 'पायनियर' दैनिक के श्री राव द्वारा सदन के अवमान किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) ३६६

श्री हलीमुद्दीन द्वारा श्री अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ३६७

श्री उग्रसेन द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ३६७–३६८

श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी—जारी) ३६८–३६९

श्री कमला सिंह यादव द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ३७०–३७१

श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न .. ३७१–३७३

राजकीय कर्मचारियों तथा छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा अनुज्ञा दी गयी) .. ३७३–३७९

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ३८०

कार्य-स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के संबंध में प्रस्ताव (अस्वीकृत) .. ३८०–३८१

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, चौधरी हैदर हुसैन के निधन पर शोकोद्गार .. ३८२–३८३

कतिपय विषय ३८३

साप्ताहिक कार्यक्रम ३८३–३८४

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ (खंडशः विचार जारी) .. ३८४–४२५

राजकीय कर्मचारियों तथा छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वतः समाप्त) ४२५–४४८

शासन

राज्यपाल

श्री विश्वनाथदास

मंत्रि-परिषद्

१—श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री।

२—श्री हुकुम सिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल-मन्त्री।

३—श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई मन्त्री।

४—श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, स्वशासन मंत्री।

५—श्री सैयद अली जहीर, बार एट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय मंत्री।

६—श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी० एल-एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, गृह मंत्री।

७—श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन मंत्री।

८—श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सामुदायिक विकास मंत्री ।

९—श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य मंत्री।

१०—डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (कृषि), पी-एच० डी०, विधान सभा सदस्य, समाज कल्याण मंत्री ।

११—श्री दाऊ दयाल खन्ना, विधान सभा सदस्य, चिकित्सा मंत्री।

१२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य, सहकारिता मन्त्री।

१३—श्री कैलाश प्रकाश, विधान परिषद् सदस्य, वित्त तथा शिक्षा मंत्री ।

१४—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

१५—श्री गेंदा सिंह, विधान सभा सदस्य, कृषि मंत्री।

उप-मंत्री

१—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् उप मंत्री।

२—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य, कृषि उप मन्त्री।

३—श्री जयराम वर्मा, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा वित्त उप मंत्री।

४—डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद्, सदस्य, शिक्षा उप मंत्री।

५—श्री शिव प्रसाद गुप्त, विधान परिषद् सदस्य, गृह उपमंत्री।

अवैतनिक सभा सचिव

स्वायत्त शासन मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री के सभासचिव

१—श्रीमती तारा अग्रवाल, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण तथा स्वायत्त शासन।

खाद्य तथा रसद मंत्री के सभासचिव

२—श्री हरीदत्त कांडपाल, विधान सभा सदस्य, खाद्य तथा रसद।

सिंचाई मंत्री तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभासचिव

३—श्री अजयकुमार वसु, विधान परिषद् सदस्य, सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण।

मुख्य मंत्री तथा सामुदायिक विकास मंत्री के सभासचिव

४—श्री बंशीधर पांडेय, विधान सभा सदस्य, नियोजन तथा सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज।

सामुदायिक विकास मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के सभासचिव

५—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधान परिषद् सदस्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

माल मंत्री के सभासचिव

६—श्री रामकुमार शास्त्री, विधान सभा सदस्य, माल।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

131803

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
१	अक्षयवर सिंह, श्री	..	पिपराइच
२	अखण्डप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर
३	अजीज इमाम, श्री	..	कंतित (उत्तर)
४	अनीसुर्रहमान, श्री	..	टनकपुर
५	अब्दुल बशीर खाँ, चौधरी	..	अलीगढ़
६	अब्दुल समी, श्री	..	सुल्तानपुर
७	अब्दुल हसीब खाँ, श्री	..	फखरपुर
८	अमजद अली, श्री	..	निजामाबाद
९	अयोध्याप्रसाद, श्री	..	ललितपुर (अनुसूचित)
१०	अलीजहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
११	अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री	..	साधुल्लानगर
१२	अवधेश कुमार सिनहा, श्री	..	मिश्रिख
१३	अवधेश प्रताप, श्री राजा	..	सलेमपुर (दक्षिण)
१४	अवेधनाथ, श्री	..	मानीराम
१५	अशरफ अली खाँ, श्री	..	सादाबाद
१६	अहमद बख्श, श्री	..	जानसठ
१७	आनन्दसिंह, कुंवर	..	मनकापुर
१८	इन्द्रपाल, श्री	..	जगदीशपुर (अनुसूचित)
१९	इन्द्रासनसिंह, श्री	..	सगरी
२०	ईश्वरशरण, श्री	..	गोंडा (पूर्व)
२१	उग्रसेन, श्री	..	सलेमपुर (पश्चिम)
२२	उमादत्त, श्री	..	लंभवा
२३	उमाशंकर, श्री	..	गोपालपुर
२४	उमाशंकर तिवारी, श्री	..	मुगलसराय
२५	उल्फतसिंह यादव, श्री	..	सहसवान
२६	ऊदल, श्री	..	कोलाशाह
२७	ऋषिनारायण शास्त्री, श्री	..	गंगापुर
२८	एस० जी० दत्त, श्री	..	कानपुर नगर (४)
२९	ए० सी० ग्राइस, श्री	..	नाम निर्देशित, आंग्ल-भारतीय
३०	ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री	..	कोंहडौर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
३१	कंधई लाल, श्री	..	खुटर (अनुसूचित)
३२	कन्हैयालाल, श्री	..	गोकुल (अनुसूचित)
३३	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चन्दौली
३४	कमलासिंह यादव, श्री	..	सैदपुर
३५	कलारानी मिश्रा, श्रीमती	..	बिलग्राम
३६	कल्पनाथसिंह, श्री	..	चिल्लूपार
३७	कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)		इलाहाबाद नगर (दक्षिण)
३८	कल्याणराय, श्री	..	रामपुर ग्रामीण
३९	काशीनाथ बहादुर पाल, श्री	..	महुली (पूर्व)
४०	काशीनाथ मिश्र, श्री	..	बांसडीह (पूर्व)
४१	काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री	..	गरौठा
४२	किशोरी लाल अग्रवाल, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
४३	किश्वर आरा, बेगम	..	रामपुर नगर
४४	कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री	..	बांसी उत्तर
४५	कृष्णचन्द, श्री	..	मेहरौनी
४६	कृष्णपालसिंह, श्री	..	रायबरेली (उत्तर)
४७	कृष्णसिंह, श्री	..	उत्तरकाशी
४८	कृष्णा, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
४९	कृष्णानन्द राय, श्री	..	गाजीपुर
५०	केदारनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा
५१	केशभान, श्री	..	मगहर
५२	केशरीप्रसाद पांडेय, श्री	..	मछलीशहर
५३	केशव गुप्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर
५४	केशव राम, श्री	..	कोट (अनुसूचित)
५५	केशवसिंह, श्री	..	जलालाबाद
५६	कैलाश, श्री	..	सलेमपुर (पूर्व)
५७	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	..	छिबरामऊ
५८	खपालीराम, श्री	..	मोहनलाल गंज
५९	खुशीराम, श्री	..	चम्पावत (अनुसूचित)
६०	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर
६१	खेमचन्द, श्री	..	आगरा नगर (२)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
६२	गंगाधर मैठाणी, श्री	..	केदारनाथ
६३	गंगाप्रसाद, श्री	..	गोंडा (पश्चिम) (अनुसूचित)
६४	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री	..	एटा
६५	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	सियार
६६	गंगासिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा
६७	गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	किशनी
६८	गणेशप्रसाद, श्री	..	बांसगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	..	तम्बौर (अनुसूचित)
७०	गयाप्रसाद, श्री	..	कस्वर
७१	गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री	..	बिसवां
७२	गिरजा प्रसाद, श्री	..	सरजू
७३	गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)	..	बुदपुर (अनुसूचित)
७४	गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)	..	वाराणसी नगर (दक्षिण)
७५	गिरवर प्रसाद, श्री	..	कासगंज
७६	गुप्तार सिंह, श्री	..	सरेनी
७७	गुलाब सिंह, श्री	..	मुसौरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती	..	खलीलाबाद (अनुसूचित)
७९	गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुल प्रसाद, श्री	..	भरवारी (अनुसूचित)
८१	गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	सफीपुर
८२	गोविन्दसहाय, श्री	..	नगीना
८३	घनश्यामदास, श्री	..	सिद्धौर (अनुसूचित)
८४	घासीराम जाटव, श्री	..	लखना (अनुसूचित)
८५	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	जालौन
८६	चन्दनसिंह श्री	..	कैराना
८७	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	मुहम्मदाबाद गोहना
८८	चन्द्रदेव, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
८९	चन्द्रपाल श्री	..	बानगंगा (पूर्व)
९०	चन्द्रबली सिंह, श्री	..	रुद्रपुर
९१	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
९२	चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
९३	चम्पावती, श्रीमती	..	फतेहपुर–सीकरी
९४	चरणसिंह, श्री	..	कोटाना
९५	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर (अनुसूचित)
९६	चुन्नीलाल, श्री	..	अनूपशहर
९७	चैतन्यराज सिंह, श्री	..	खैर
९८	छत्रपति अम्बेश, श्री	..	आगरा देहात (अनुसूचित)
९९	छांगुर, श्री	..	बाला दौलताबाद (अनुसूचित)
१००	छेदालाल चौधरी, श्री	..	पलिया (अनुसूचित)
१०१	जगदम्बा प्रसाद, श्री	..	सुरहुरपुर
१०२	जगदीशनरायण सिनहा, श्री	..	रुड़की
१०३	जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)	..	बहराइच (उत्तर)
१०४	जगदीश प्रसाद, श्री (मुरादाबाद)	..	हसनपुर (उत्तर)
१०५	जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री	..	नौगढ़
१०६	जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री	..	बरेली नगर
१०७	जगदीशशरण रस्तोगी, श्री	..	मेरठ नगर
१०८	जगन प्रसाद रावत, श्री	..	खेरागढ़
१०९	जगन्नाथ चौधरी, श्री	..	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथ राव, श्री	..	मरियाहूं
१११	जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बिंदकी
११२	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	गंगासलान
११३	जगवीरसिंह, श्री	..	अगोटा
११४	जमादारसिंह, श्री	..	बरनवा
११५	जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	..	नवाबगंज
१६	जयगोपाल, श्री	..	हरोरा
१७	जयराम वर्मा, श्री	..	टांडा
११८	जलील अब्बासी, काजी	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
११९	जसवन्तसिंह, श्री	..	जेवार (अनुसूचित)
१२०	जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)	..	उन्नाव
१२१	जुगलकिशोर, श्री	..	गुन्नौर
१२२	जे० पी० मिश्र, श्री	..	मल्लावां
१२३	ज्वालाप्रसाद, श्री	..	घाटमपुर (पश्चिम) (अनुसूचित)

अवध प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
१२४	झारखंडे राय, श्री	..	घोसी
१२५	झिलमिट राम, श्री	..	पचोतर (अनुसूचित)
१२६	टम्बेश्वर प्रसाद, श्री	..	खैराबाद
१२७	डल्लाराम, श्री	..	मच्छेहटा (सीतापुर) (अनुसचित)
१२८	डूंगरसिंह, श्री	..	राठ
१२९	तारा अग्रवाल, श्रीमती	..	कानपुर नगर (१)
१३०	तेजनारायण त्रिवेदी, श्री	..	धौरेहरा
१३१	तेजभानसिंह, कुंवर	..	अठेहा
१३२	तेजसिंह, श्री	..	गाजियाबाद
१३३	त्रेपनसिंह, श्री	..	टेहरी
१३४	दयाराम शाक्य, श्री	..	फर्रुखाबाद
१३५	दलजीत सिंह, श्री	..	बहराइच (दक्षिण)
१३६	दशरथ प्रसाद, श्री	..	सिधवा जोबना
१३७	दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	कांठ
१३८	दीनदयाल करबरिया, श्री	..	करवी
१३९	दलपनारायण सिंह, श्री	..	किशनपुर
१४०	दुर्गाप्रसाद, श्री	..	६० बीसलपुर (अनुसूचित)
१४१	दुर्योधन, श्री	..	महराजगंज (अनुसूचित)
१४२	देवदत्त मिश्र,	..	भगवन्तनगर
१४३	देवीदत्त, श्री	..	काशीपुर
१४४	देवेन्द्रसिंह, श्री	..	नैनीताल
१४५	देशराज सिंह, श्री	..	बबेरू
१४६	दौलतलाल, श्री	..	महुल
१४७	द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (पूर्व)
१४८	द्विजेन्द्रनारायण, श्री	..	दरियाबाद
१४९	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	सिरोली
१५०	धर्मसिंह, श्री	..	छतारी (अनुसूचित)
१५१	धूम प्रसाद, श्री	..	मंगलसी (अनुसूचित)
१५२	नत्थाराम रावत, श्री	..	कुरसी
१४३	नत्थूसिंह, श्री	..	जसवन्तनगर
१५४	नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस

विधान सभा प्रदेश

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
१५५	नरदेवसिंह, श्री	..	चान्दपुर
१५६	नरसिंह नारायण पांडेय, श्री	..	फरेंदा (पश्चिम)
१५७	नरेन्द्रसिंह, श्री	..	चन्दौसी
१५८	नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री	..	पिठौरागढ़
१५९	नरोत्तमसिंह, श्री	..	उसेहत
१६०	नवरंगसिंह, श्री	..	गोंडा (उत्तर)
१६१	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला
१६२	नाथूराम शिक्षक, श्री	..	करारी (अनुसूचित)
१६३	नारायणसिंह, श्री	..	दातागंज
१६४.	नित्यानन्द पांडेय, श्री	..	डेरापुर
१६५	नियाज हसन खान, श्री	..	कुण्डा
१६६	नियामतुल्ला अन्सारी, श्री	..	गोरखपुर
१६७	नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव
१६८	नैनसिंह, श्री	..	बधरा (अनुसूचित)
१६९	नौनिहालसिंह चौधरी, श्री	..	चाइल
१७०	नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१७१	पंचमदास, श्री	..	संडीला (अनुसूचित)
१७२	परमाईलाल, श्री	..	गोपामऊ (अनुसूचित)
१७३	पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री	..	इनहौना
१७४	पातीराम अहरवार, श्री	..	कन्नौज (अनुसूचित)
१७५	पितई राम, श्री	..	सालौ (अनुसूचित)
१७६	पीतमसिंह प्रधान, श्री	..	हस्तिनापुर
१७७	पुरुषोत्तमलाल बधवार (राजा जी), श्री	..	उझानी
१७८	पूरनलाल, श्री	..	शिरोमन नगर (अनुसूचित)
१७९	प्यारेलाल मिश्र, श्री	..	शाहाबाद
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	मेरठ छावनी
१८१	प्रेमसिंह, श्री	..	चरदा
१८२	प्रेमसुन्दर, श्री	..	हापुड़
१८३	फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१८४	बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)	..	खीरी
१८५	बंशीधर पांडेय, श्री	..	भदोही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
१८६	बंशीधर मिश्र, श्री	..	श्रीनगर
१८७	बंशीलाल, श्री	..	झूंसी (अनुसूचित)
१८८	बद्रीप्रसाद, श्री	..	फतेहपुर (अनुसचित)
१८९	बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री	..	औरैया
१९०	बनवारीलाल विप्र, श्री	..	फतेहाबाद
१९१	बनारसी दास, श्री	..	सिकन्दराबाद
१९२	बब्बनसिंह, श्री	..	बलरामपुर (दक्षिण)
१९३	बलदेवसिंह, सरदार	..	तुलसीपुर
१९४	बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	शाहाबाद (अनुसूचित)
१९५	बलवानसिंह, श्री	..	अकबरपुर
१९६	बलवीरसिंह, श्री	..	जसराना
१९७	बसन्तलाल, श्री	..	उमरी (अनुसूचित)
१९८	बसन्त लाल शर्मा, श्री	..	नानपारा
१९९	बसन्त सिंह, श्री	..	अफजलगढ़
२००	बांकेलाल, श्री	..	हाटा
२०१	बाबू लाल श्रीवास्तव, श्री	..	११८, प्रतापगढ़ (दक्षिणी)
२०२	बाबू सिंह, श्री	..	अतरौली
२०३	बालक राम वैश्य, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
२०४	बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२०५	बालोजी अग्रवाल, श्री	..	आगरा नगर-१
२०६	बिपिन बिहारी तिवारी, श्री	..	लहरपुर
२०७	बिशनलाल यादव, श्री	..	बहजोई
२०८	बृज बिहारी, श्री	..	अतरौलिया
२०९	बृजभूषण शरण, श्री	..	देहरादून
२१०	बृज मोहन लाल गुप्त, श्री	..	बांदा
२११	बृजराज सिंह, श्री	..	मौवहा
२१२	बृजरानी, श्रीमती	..	बिठूर
२१३	बृजेश्वर सहाय, श्री	..	मैनपुरी
२१४	बेचनराम, श्री	..	कंतित (दक्षिण) (अनुसूचित)
२१५	बेदराम, श्री	..	सहवार
२१६	बेरीबाई, श्रीमती	..	मऊ (अनुसूचित)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
२१७	बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री	.. कमेठी
२१८	बैजूराम, श्री	.. बारी (अनुसूचित)
२१९	ब्रह्मदत्त मायर, श्री	.. सहारनपुर
२२०	भगवतीदीन तिवारी, श्री	.. गरबारा
२२१	भगवान दास बरनवाल, श्री	.. मिर्जापुर
२२२	भगवानदास यादवेन्दु, श्री	.. फिरोजाबाद
२२३	भगवान दीन, श्री	.. बछरावां (अनुसूचित)
२२४	भगवान सहाय, श्री	.. तिलहर
२२५	भानुप्रताप सिंह, श्री	.. दुमरियागंज (उत्तर)
२२६	भीखालाल, श्री	.. हसनगंज (अनुसूचित)
२२७	भीमा प्रसाद, श्री	.. आजमगढ़
२२८	भूपसिंह, श्री	.. कोइल (अनुसूचित)
२२९	मंगल, श्री	.. पडरौना (पश्चिम)
२३०	मंगलदेव, श्री	.. सरायमीर (अनुसूचित)
२३१	मंगल प्रसाद आर्य, श्री	.. इकौना (अनुसूचित)
२३२	मतोलासिंह, श्री	.. नरेनी
२३३	मदन पाल सिंह, श्री	.. महोबा
२३४	मनसाराम, श्री	.. शिकोहाबाद
२३५	मन्नालाल, श्री	.. मुहम्मदी (अनुसूचित)
२३६	महमूद हसन खां, श्री	.. सम्भल
२३७	महराम सिंह, श्री	.. भोजपुर
२३८	महादेव, श्री	.. मिनझौरा
२३९	महावीर प्रसाद, श्री	.. डलमऊ
२४०	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	.. लखनऊ (केन्द्र)
२४१	महावीर सिंह, श्री	.. खुर्जा
२४२	महेन्द्र सिंह, श्री	.. तप्पल
२४३	महेश सिंह, श्री	.. हरदोई
२४४	माता प्रसाद, श्री	.. चांदा (अनुसूचित)
२४५	माधोनारायण मुद्गल, श्री	.. घिरोर
२४६	माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री	.. बानगंगा (पश्चिम)
२४७	मान्धाता सिंह, श्री	.. कोपाचित

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
२४८	मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री	..	लैन्सडाउन
२४९	मुकुट बिहारी लाल, श्री	..	रुदौली
२५०	मुजफ्फर हसन, श्री	..	फूलपुर
२५१	मुन्नू सिंह, श्री	..	भिंगा
२५२	मुमताजमुहम्मद खां, श्री	..	सियाना
२५३	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर (अनुसूचित)
२५४	मुलतान सिंह, श्री	..	एतमादपुर (दक्षिण)
२५५	मुहम्मद रफी खां, श्री	..	शाहजहांपुर
२५६	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	बरेली छावनी
२५७	मूल चन्द शास्त्री, श्री	..	बरौत
२५८	मेघनाथ सिंह शीशोदिया, श्री	..	दसना
२५९	मेवालाल जायसवाल, श्री	..	सोरांव (पश्चिम)
२६०	मेड़ी लाल, श्री	..	सत्रिख (अनुसूचित)
२६१	मैनेजर सिंह, श्री	..	दोआबा
२६२	मोहनलाल, आचार्य	..	५९ पूरनपुर
२६३	मोहनलाल अहरिवार, श्री	..	चरखारी (अनुसूचित)
२६४	मोहन लाल वर्मा, श्री	..	गोंडवा
२६५	मोहन सिंह, श्री	..	दानपुर
२६६	यशपाल सिंह वर्मा, श्री	..	नकुड़
२६७	यशोदा देवी, श्रीमती	..	घुरियापाल (अनुसूचित)
२६८	यादवेन्द्र दत्त, श्री	..	जौनपुर
२६९	यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)	..	तिलपुर
२७०	योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री	..	बद्रीनाथ
२७१	रक्षपाल सिंह, श्री	..	खागा
२७२	रघुनाथ, श्री	..	रसरा (अनुसूचित)
२७३	रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	बारा (अनुसूचित)
२७४	रघुनाथ सिंह, डाक्टर	..	कटेहर
२७५	रघुवीर, श्री	..	जहूराबाद (अनुसूचित)
२७६	रघुवीर सहाय कैथवार, श्री	..	हसवा (अनुसूचित)
२७७	रघुवीर सिंह, श्री	..	मारहरा
२७८	रणबहादुर सिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१	२		३
२७९	रतीपाल, श्री	..	रायबरेली (दक्षिण)
२८०	रमाकान्त सिंह, श्री	..	बरौंसा
२८१	रमेश चन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसठी
२८२	राजदेव, श्री	..	रामकोला
२८३	राज नाथ सिंह, श्री	..	शादियाबाद
२८४	राजनारायण, श्री	..	चुनार
२८५	राजनारायण मिश्र, श्री	..	भोगनीपुर
२८६	राजनारायण सिंह, श्री	..	महैच
२८७	राजा राम, श्री	..	अमसिन
२८८	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	..	बस्ती
२८९	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	..	इलाहाबाद (उत्तर)
२९०	राजेन्द्र सिंह, श्री	..	निधपुर
२९१	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	..	शमसाबाद
२९२	राधेश्याम शर्मा, श्री	..	मांठ
२९३	राम अधार कन्नौजिया, श्री	..	महसी (अनुसूचित)
२९४	रामअधीन सिंह, श्री	..	पुरवा
२९५	राम अनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया
२९६	रामअवध, श्री	..	बिनायकपुर
२९७	राम आसरे, श्री	..	मिटौली
२९८	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी (अनुसूचित)
२९९	रामकिशोर त्रिपाठी, श्री	..	हैदरगढ़
३००	रामकिशोर वर्मा, श्री	..	टप्पाजार
३०१	रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (पश्चिम)
३०२	रामचन्द्र विकल, श्री	..	दादरी
३०३	रामचन्द्र सिंह, श्री	..	भवां
३०४	रामचरन शाह, श्री	..	निधासन
३०५	रामजी लाल सहायक, श्री	..	सरघना (अनुसूचित)
३०६	रामनाथ पाठक, श्री	..	राबर्ट्सगंज
३०७	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	मलिहाबाद
३०८	रामपाल सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३०९	रामप्यारे, श्री	..	दूधी (अनुसूचित)

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३१०	रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. सासनी (अनुसूचित)
३११	रामबली मिश्र, श्री	.. इसौली
३१२	रामभजन, श्री	.. हैदराबाद
३१३	राममूर्ति, श्री	.. बहेड़ी
३१४	राममूर्ति 'अंचल', श्री	.. जमौर
३१५	रामरती, श्रीमती	. अकबरपुर (अनुसूचित)
३१६	रामरूप सिंह, श्री	.. पीलीभीत
३१७	रामलखन वकील, श्री	.. चकिया (अनुसूचित)
३१८	रामलखन शुक्ल, श्री	.. भावापार
३१९	रामलखन सिंह, श्री	.. हरैया (पूर्व)
३२०	रामलाल, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
३२१	रामसमझावन, श्री	.. केराकत (अनुसूचित)
३२२	रामसिंह, श्री (मैनपुरी)	.. करहल (अनुसूचित)
३२३	रामसिंह, श्री (सहारनपुर)	.. नागर (अनुसूचित)
३२४	रामसिंह शाक्य, श्री	.. सिढ़पुरा
३२५	रामसुन्दर पांडेय, श्री	.. नत्थूपुर
३२६	रामसुन्दर शास्त्री, श्री	.. करंडा
३२७	रामसूरत प्रसाद, श्री	.. झंगहा (अनुसूचित)
३२८	रामस्वरूप भारतीय, श्री	.. ढिगवास (अनुसूचित)
३२९	रामायण राय, श्री	.. पडरौना (दक्षिण)
३३०	रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)	.. सनहा
३३१	रियासत हुसैन, श्री	.. मुरादाबाद (देहात)
३३२	हुकुमसिंह राठौर कुंवर	.. बदायूं
३३३	रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर	.. गौराजमो
३३४	लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	.. शाहगंज
३३५	लखपतराम शर्मा, श्री	.. झांसी
३३६	लखीसिंह, श्री	.. छाता
३३७	लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)	.. बेयालसी
३३८	लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)	.. शिवपुर
३३९	लोकपाल सिंह, श्री	.. अलीगंज
३४०	वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री	.. जमानिया

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३४१	नसी नकवी, श्री	.. रोखा
३४२	विक्रमशाह, राजा	.. पोवायां
३४३	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	.. मोदीनगर
३४४	विजय कुमार, श्री	.. निगोहां
३४५	विजयपाल सिंह, श्री	.. बुधना
३४६	विजयशंकर, श्री	.. विधूना
३४७	विजय शंकर सिंह, श्री	.. मुहम्मदाबाद
३४८	विजयसिंह, श्री	.. कौंच
३४९	विद्यावती राठौर, श्रीमती	.. बाह
३५०	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	.. देवप्रयाग
३५१	विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री	.. अहरौरा
३५२	विश्वनाथ प्रसाद, श्री	.. वाराणसी नगर (उत्तर)
३५३	विष्णुप्रताप सिंह, श्री	.. महादेवा
३५४	वीरसेन, श्री	.. गढ़मुक्तेश्वर (अनुसूचित)
३५५	वैजनाथ पांडेय, श्री	.. केवई
३५६	शंकरलाल, श्री	.. अल्देमऊ (अनुसूचित)
३५७	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	.. सरसवा (अनुसूचित)
३५८	शकुन्तला नायर, श्रीमती	.. बस्तीनगर
३५९	शराफत हुसैन रिजवी, श्री	.. अमरोहा
३६०	शशिभूषण सिंह, श्री	.. कानपुर (देहात)
३६१	शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री	.. पहाड़पुर
३६२	शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	.. हरद्वार
३६३	शारदानन्द, श्री	.. सीतापुर
३६४	शारदाभक्तसिंह, श्री	.. पाली
३६५	शिब्बनलाल, श्री	.. श्याम देवरवा
३६६	शिवचरण श्री	.. इतमादपुर (उत्तर) (अनुसूचित)
३६७	शिवदान सिंह, श्री	.. इग्लास
३६८	शिवनाथ सिंह, श्री	.. घाटमपुर (पूर्व)
३६९	शिवमंगल, श्री	.. बांसडीह (पश्चिम)
३७०	शिवमूर्ति, श्री	.. सोरों (पूर्व)
३७१	शिवराज सिंह, श्री	.. बिसोली

अमर उजाला विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
३७२	शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री	.. कालपी
३७३	शिवेन्द्र प्रताप, श्री	.. महमूदाबाद
३७४	शीतलप्रसाद, श्री	.. तरबगंज
३७५	शुकदेव प्रसाद, श्री	.. बलरामपुर उत्तरी (अनुसूचित)
३७६	शुगनचन्द मजदूर, श्री	.. मोकेरहेरी (अनुसूचित)
३७७	शुगनचन्द शर्मा, श्री	.. शिकारपुर
३७८	शौकत हमीद खां, श्री	.. बागपत
३७९	श्यामलाल, श्री	.. महुली (पिश्चम) (अनुसूचित)
३८०	श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री	.. बीरापुर
३८१	श्रद्धादेवी, कुमारी	.. किठोर
३८२	श्रीनिवास, श्री	.. गंगीरी
३८३	श्रीपत मिश्र, श्री	.. कादीपुर
३८४	श्रीपाल सिंह, कुंवर	.. रारी
३८५	श्रीराम, श्री	.. नजीबाबाद
३८६	श्रीराम तिवारी, श्री	.. झालोतर अजगैन
३८७	सईद अहमद, श्री	.. ज्वालापुर
३८८	सत्यदेव, श्री	.. देवगांव
३८९	सत्यनारायण पांडेय, श्री	.. करछना
३९०	सत्यवीर कुंवर, श्री	.. बिजनौर
३९१	सन्तसिंह यूसुफ, श्री	.. कानपुर नगर (२)
३९२	सरदार सिंह, श्री	.. मुजफ्फराबाद
३९३	सहदेव सिंह, श्री	.. भर्थना
३९४	सालिग्राम जैसवाल, श्री	.. मेजा
३९५	सियादुलारी, श्रीमती	.. मानिकपुर (अनुसूचित)
३९६	सियाराम गंगवार, डाक्टर	.. कायमगंज
३९७	सीताराम, डाक्टर	.. गौरीबाजार (अनुसूचित)
३९८	सुक्खनलाल, श्री ..	हसनपुर (दक्षिण)
३९९	सुखराम दास, श्री ..	.. बिरहर (अनुसूचित)
४००	सुखलाल, श्री (इटावा)	.. अजीतमल (अनुसूचित)
४०१	सुखलाल, श्री (लखनऊ)	.. मोहाना (अनुसूचित)
४०२	सुचेता कृपालानी, श्रीमती	.. मंडवाल

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	२	३
४०३	सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	मोठ
४०४	सुरजन राम विशारद, श्री	मुबारकपुर (अनुसूचित)
४०५	सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४०६	सुरेन्द्र विक्रम, श्री	खेराबझेरा
४०७	सुशीला रोहतगी, श्रीमती	कानपुर नगर (५)
४०८	सूबेदार सिंह, श्री	भोगांव
४०९	सूरजपाल सिंह यादव, श्री	इस्लामनगर
४१०	सूरजलाल गुप्त वकील, श्री	उतरौला
४११	सेवाराम, श्री	बांगरमऊ (अनुसूचित)
४१२	सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (दक्षिण) (अनुसूचित)
४१३	हमीद खां, श्री	कानपुर नगर (३)
४१४	हरिगैनराम, श्री	ज्ञानपुर (अनुसूचित)
४१५	हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री	पश्चिम राठ
४१६	हरीदत्त काण्डपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४१७	हरीश कुमार गंगवार, श्री	भोजीपुरा
४१८	हरीसिंह, श्री	मेरठ देहात (अनुसूचित)
४१९	हसीमुद्दीन, श्री	मुरादाबाद नगर
४२०	हिम्मत सिंह, श्री	देवई
४२१	हुकुम सिंह विसेन, श्री	कैसरगंज
४२२	हेतराम सिंह, श्री	बिलारी (अनुसूचित)
४२३	हेमराज, श्री	फरीदपुर (अनुसूचित)
४२४	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	सिराथू
४२५	होतीलाल अग्रवाल, श्री	इटावा शहर
४२६	होरीलाल यादव, श्री	सौरीख
४२७	(रिक्त)	बुलन्दशहर
४२८	(रिक्त)	गोवर्धन
४२९	(रिक्त)	सुआर टांडा
४३०	(रिक्त)	कोपागंज

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मदन मोहन वर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री होतीलाल अग्रवाल, एम० ए०, एल-एल० बी०

सचिव, विधान मण्डल

श्री कौशलपाल गुप्त, एच० जे० एस०

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०

समिति अधिकारी

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी०

अधीक्षक

श्री गिरधारीलाल, बी० ए०

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी०

श्री उमाशंकर, बी० ए०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिव, उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ-संख्या
बांदा गोली कांड के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी) ..	३७–३८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	३८
आचार्य जुगलकिशोर तथा नवाबजादा सैयद जुल्फिकार अली खां का सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र	३८
प्राक्कलन समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम ..	३८
लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार के विरोध में प्राप्त पत्रों के संबंध में सूचना	३८
साप्ताहिक कार्यक्रम	३९
बांदा गोली कांड के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (विचार स्थगित)	३९
मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (सदन की अनुमति नहीं मिली) ..	३९–४४
अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना, १९६५ की जांच रिपोर्ट पर चर्चा (समाप्त) ..	४४–५२
उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वतः समाप्त)	५३–६८
नत्थियां	६९–८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131403

सोमवार, १८ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री

बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री

अमर उदेश्य संस्था

रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (बाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री

सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त बकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १८ जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

नर्सिंग होम, काठ दरवाजा, मुरादाबाद के खिलाफ शिकायत

*१—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक ३ से २३ दिसम्बर, १९६३ को मुरादाबाद के मुहल्ला काठ दरवाजे में कायम किये हुये नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और इस सिलसिले में हेल्थ आफिसर म्यूनिसिपल बोर्ड का आखरी हुक्म क्या है और किस तारीख का है ? सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठाइयेगा ....

श्री ऊदल—

जरा आप सुन लें, आज आपके विधान सभा के बहुत से प्रमुख.....

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बाद में उठ सकता है।

श्री ऊदल—

सरकार की दमन नीति की वजह से जेलों में बन्द हैं। उसके अलावा हजारों व्यक्तियों को पुलिस ने डन्डे से बुरी तरह से पीटा और बांदा में बुरी तरह से गोली चला कर बीसों व्यक्तियों को घायल किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायें। यह प्रश्न असंबंधित है।

श्री ऊदल---

इस सचिवालय के सारे कर्मचारी आज इस सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर वाईकाट कर रहे हैं। आज विधान सभा के प्रमुख सदस्य श्री झारखंडे राय, श्री उग्रसेन.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय ऊदल जी मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायें। प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद.....

(श्री ऊदल के बोलते रहने पर) यदि आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें। (श्री ऊदल के बोलते रहने पर) मार्शल, माननीय ऊदल जी को बाहर जाने में सहायता दें। आप सदन छोड़ें।

श्री ऊदल--

मैं सदन नहीं छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, आओ और माननीय ऊदल जी को बाहर.....

(इस समय श्री ऊदल बैठ गये)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के संबंध में कहना चाहता हूं। आज प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाये हैं। इस सरकार में अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकी है। इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न होंगे और अगर परेशानी होगी तो हम विचार कर लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाये तो प्रश्न कैसे करेंगे यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न आये हैं कुछ उत्तर बटे हुये हैं। अगर कठिनाई होगी तो देखा जायगा।

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

जी हां। उस के संबंध में मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, म्युनिसिपल बोर्ड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है और यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा २६७ के अन्तर्गत नर्सिंग होम के इन्चार्ज को दिनांक २२-८-६४ और उन के मकान मालिक को दिनांक ६-७-६६ को नोटिसें भी जारी की जा चुकी हैं। उक्त नोटिस दिनांक ६-७-६६ की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

एक सदस्य---

माननीय प्रश्नकर्ता सदन में आये नहीं हैं और आप उत्तर दिलवाये दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा धन्यवाद।

छापी नहीं गई।

कानपुर में श्रमिक क्वार्टर्स

* २—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शहर कानपुर के अन्तर्गत राज्य सरकार व महापालिका द्वारा कब और कितने श्रमिक क्वार्टर बनवाये गये ? उनमें कितने क्वार्टर श्रमिकों को रहने के लिये दिये गये और कितने खाली पड़े ह ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

राज्य सरकार द्वारा कानपुर के अन्तर्गत बनाये नये श्रमिक क्वार्टरों का †विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है । नगर महापालिका, कानपुर ने स्वयं कोई श्रमिक क्वार्टर, कानपुर नगर में नहीं बनाये हैं । परन्तु नगर महापालिका ने राज्य सरकार की ओर से कुछ क्वार्टर बनाये हैं जो बनने के बाद श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये हैं ।

श्री शिवनार्थसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर जो प्रतिलिपि रखी गयी है वह अंग्रेजी में दी गयी है और पढ़ने में नहीं आती है । दूसरे, यह आज्ञा हो गयी है कि कोई भी चीज अंग्रेजी में न दी जाये । तो मैं चाहूंगा कि वह बता दें कि वह अंग्रेजी में क्यों दी गयी है । इसको हिन्दी में बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय मंत्री परिषद् से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मर्तबा इस प्रकार की गलती हुयी थी और उसकी आपत्ति हुयी थी उसके संबंध में मैंने निवेदन किया था कि हिन्दी में ही आना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, आप कृपा करके उसको पढ़ दें ताकि वह शिकायत दूर हो जाये ।

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जवाब तो पूर्णतया हिन्दी में ही था । उसके साथ जो सूची लगी है उसमें सिर्फ शीर्षक और विवरण अंग्रेजी में है । उसका मैं अर्थ कर देता हूं । पहले कालम में दिया हुआ है जिस साल में निर्माण हुआ, दूसरे में दे रखा है कि कितने मकान मुकम्मल हुये, तीसरे का मतलब यह है कि कितने मकानों का कब्जा महापालिकाओं ने ले लिया है, चौथा कालम यह है कि कितने लोगों को मकान दिये गये, पांचवे कालम में यह है कि कितने उसमें से मुस्तहक थे, अगले कालम में उन लोगों की तादाद है जिनके लिये वह नहीं बने थे । १६८९९ मकान बन चुके या बन रहे हैं जिनमें से १६००३ महापालिका के अधिकार में दिये गये, १५८७४ का एलाटमेंट हो चुका है और ११४१० अनधिकृत लोगों को मिले । ४४६४ उनको मिले जिनको नहीं मिलना चाहिये था। विवरण में यह लिखा हुआ है जो पहले किस्म के मकान हैं १९५२ से १९५५ तक, उनमें से तीन मकान खाली हैं और एक गासिव के कब्जे में है । जो तीसरी कोटि है वह यह है कि सन् १९५५ से १९५९ तक जो मकान बने उनमें से एक मकान जिसको अधिकार नहीं है, उसके कब्जे में है । चौथी कोटि के मकान जो १९५६ से १९५९ तक बने उसमें से १२० क्वार्टर इंडियन एयर फोर्स को दिये जाने वाले हैं । उनमें से ६० दिये जा चुके हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बराबर सरकार से कहा है कि इस पर ध्यान रखा जाये । आज आप मंत्री जी से इस पर स्पष्ट आश्वासन लें कि जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगें या नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर वे टालते जा रहे हैं। और इस प्रकार मामला यहां तक पहुंच गया है कि अनिश्चित काल तक अंग्रेजी को कायम रखना चाहते हैं । अंग्रेजी को फिर से राज्य भाषा बनाना चाहते हैं । उनसे स्पष्ट शब्दों में आश्वासन लें ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

आश्वासन का सवाल नहीं है। अगर अंग्रेजी में दिया जायेगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सदन में दिया हुआ नहीं समझा जायेगा।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कितने श्रमिक क्वार्टर वहां के अधिकारियों ने दूसरों को किराये पर उठा दिये ?

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि वे लोग कौन हैं जो दूसरों को किराये पर मकानों को उठा देते हैं।

श्री चरणसिंह—

मैंने स्वयं अर्ज किया कि ४४६४ क्वार्टर्स ऐसे लोगों के पास हैं जिनको नहीं मिलने चाहिये थे। इन में से २०२८ क्वार्टर्स डिफेंस मुहकमे के कर्मचारियों के पास हैं और १७३६ जो शेष हैं वे दूसरे लोगों के पास हैं। उनसे बेदखल करा के लेने की कोशिश की जा रही है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो लोग उन मकानों में रहते हैं क्या उनसे किराया वसूल किया गया है? और जो लोग किराया नहीं देते हैं उनको बेदखल कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो कि उन पर कब्जा किये हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, महापालिका की ओर से मकान बनते हैं उसके बाद उनके अधिकारी उन पर फौरन कब्जा कर लें तो महापालिका के पास कोई तरीका नहीं है कि उनको बेदखल कर दे। सिवाय रेगूलर सूट की कार्यवाही के। मकानों को जब कोई खाली करता है तो वे लोग दूसरों को कब्जा दे देते हैं। इस तरह सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। सिवाय नालिश के।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना आई है कि वहां के अधिकारी जिनको चाहते हैं मनमाने ढंग से उनको एलाटमेंट कर देते हैं ?

श्री चरणसिंह—

ऐसा नहीं होता है। गलती कहीं पर हो सकती है लेकिन बाकायदा प्रायिरिटी दी जाती है।

श्री अहमदख मयूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७०० क्वार्टर्स के जो ट्रेसपासर हैं, उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज हुई है ? और क्या उनसे किराया वसूल हुआ है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मैं अर्ज कर चुका कि उनके खिलाफ कार्यवाही बेदखल की हो रही है। उनसे किराया वसूल हुआ या नहीं, यह तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। यदि इजाजत दें तो मेरे मित्र की जो शिकायत है उसको मैं साफ कर दूं। कोई कानून नहीं है बेदखल करने का। मैंने कहा कोई तरीका भी नहीं है सिवाय रेगुलर सूट बाजाब्ता नालिश करने के। अब संवैधानिक तरीका ढूंढ़ने की कोशिश की जा रही है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी ऐसा नियम विरुद्ध कार्य करते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

इस समय जो हो सकता है वह किया जा रहा है।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या मंत्री बतायेंगे कि जो सूची सदन में दी गई है उससे पता चलता है कि १९५२ से १९५४ तक ८१० मकानों पर कब्जा दिया गया, १९५४ से १९५५ तक १८४४ मकानों पर कब्जा दिया गया । इस तरह १९५७ तक ८५७ मकानों पर कब्जा दिया गया । तो इतनी लम्बी अवधि तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ? उनसे किराया वसूल हुआ या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र यह भूल जाते हैं कि यह सब महापालिका की इजाजत से नहीं हुआ ।

कानपुर जिले मे भट्ठों को कोयला

*३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, १९६३–६४, १९६४–६५ में किन-किन व्यक्तियों को ईंटे का भट्ठा पकाने हेतु कितने-कितने कोयले के परमिट दिये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

कोई नहीं ।

गाजियाबाद में एल० एम० सी० योजना

*४—श्री तेजसिंह—

नगरपालिका, गाजियाबाद की सीमा बढ़ाने में एल०एम०सी० योजना वितरण के अन्तर्गत कितनी भूमि १ जनवरी, १९६६ तक बाकी है और क्या इसके लिये एल०एम०सी० ने कोई खास योजना बनाई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१ जनवरी, १९६६ को एल०एम०सी० के कब्जे में ४०९ बीघा १ बिस्वा ३ बिस्वांसी तथा १४ कचवांसी भूमि थी जिसमें से :—

(१) १५ बीघा १७ बिस्वा जलमग्न है।

(२) २०३ बीघा १६ बिस्वा नदी के खादर में है जो न तो कृषि योग्य है और न आबादी के काम में आ सकती है ।

(३) १४ बीघा ३ बिस्वा पर कबरताल व प्याऊ है ।

(४) ९८ बीघा ३ बिस्वा १४ बिस्वांसी पर आबादी रास्ते व कारखाने पहले से ही सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज हैं।

(५) ९ बीघा ९ बिस्वा भूमि ऊसर है ।

(६) ५ बीघा भूमि जहां तहां आबादी के अन्दर आ गई है और उसके छोटे-छोटे हिस्से पृथक-पृथक हैं। शेष ६२ बीघा १२ बिस्वा १२ बिस्वांसी १४ कचवांसी भूमि जो

नाजायज कब्जेदारों से प्राप्त की गई है के लिये कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई जा सकी क्योंकि यह भूमि अलग-अलग क्षेत्रों में है इसके कुछ भाग पर निम्न व मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ७२ मकान तथा ७० मेहतरों के मकान बनाये गये और कुछ और मकान सर्वसाधारण के लिए तथा मेहतरों के लिये बनवाने की योजना है।

श्री तेजसिंह---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो जमीन कागज पर खाली दिखाई गई है, वह वास्तव में खाली है अथवा उस पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

श्री चरणसिंह--

यह सब जमीन म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबन्ध में है। म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से कोई कोताही हो रही है या नहीं, उसकी हर कोताही के लिये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ६२ बीघा जमीन उन्होंने खाली कराई। माननीय मित्र उस म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर रहते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि हर चीज के लिये यहां से कैसे हो सकता है। यह तो म्युनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मा० मंत्री जी ने उपरोक्त योजना के अनुसार उसके वितरण के लिये कोई व्यवस्था की है अथवा नहीं ?

श्री चरणसिंह--

यह मैं कोई जरूरी नहीं समझता कि उसके वितरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि ४०९ बीघा में से करीब-करीब सबका वितरण हो गया। अब केवल ६२ बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है।

लखीमपुर तहसील में वन भूमि पर नाजायज कब्जा

*५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बरुआ कलां, परगना भूड, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में सरकार के अधिक अन्न उपजाओ अभियान पर लगभग २५ परिवारों ने परती पड़ी भूमि को हजारों रुपये लगा कर कृषि योग्य बना लिया है ? यदि हां, तो कितनी इस प्रकार की भूमि है तथा वह कितनी-कितनी अवधि से जोती बोई जा रही है ?

श्री चरणसिंह--

कथित ग्राम में १७ व्यक्तियों ने ४३.५० एकड़ आरक्षित वन भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया। जिसमें से २५ एकड़ भूमि पर नवम्बर, १९६५ में तथा १८.५० एकड़ भूमि पर फरवरी, १९६६ में नाजायज कब्जा किया गया।

*६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि वन विकास के अन्तर्गत आती है ? यदि हां, तो सरकार को उक्त भूमि पर खेती किये जाने की जानकारी कब हुई ? तथा क्या सरकार उस भूमि को वनारोपण करने के समय तक काश्तकारों के पास ही रहने देकर अन्न समस्या को हल कराने मे सहयोग करेगी ?

श्री चरणसिंह--

कथित भूमि आरक्षित वन का भाग है। इस भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी नाजायज खोत हो जाने के पश्चात हुई। इस भूमि को अतिक्रमणकारियों के पास रहने देना भूमि संरक्षण के हित में न होगा इसके अलावा वर्तमान चरागाहों पर अधिक दबाव पड़ेगा।

झांसी में दूकानों का हटाया जाना

*७—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९६५ में झांसी शहर व मोहल्ला सीपरी बाजार, पुलिया नं० ९, गडिया फाटक व एलाइड सिनेमा के चौराहे पर सैकड़ों दूकानों, जिनमें बहुत सी पक्की भी थीं, तुड़वाई गई व उनके सामान को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया जिसकी शिकायत दूकानदारों के कई प्रतिनिधियों द्वारा सन् १९६५ में ही लिखित रूप में सरकार को की गई थी तथा स्वायत्त शासन विभाग के सभा सचिव द्वारा उक्त घटनास्थलों का दो बार निरीक्षण भी किया गया ? यदि हां, तो उन विस्थापितों को पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

झांसी शहर के निम्नलिखित स्थानों पर उन के सामने अंकित अनधिकृत दूकानें नगरपालिका द्वारा हटवायी गयीं ।

(अ) सीपसी बाजार		२८ अस्थायी दूकानें
(ब) इलाईड सिनेमा	..	१२ स्थायी दूकानें ।
(स) पुराना मोटर स्टैंड	..	७ अस्थायी दूकानें
(द) मित्र टाकीज	..	२० अस्थायी दूकानें ।
कुल	..	६७ दूकानें ।

यह सत्य है कि कुछ दूकानदारों की ओर से इस विषय में प्रतिवेदन सन् १९६५ में शासन को प्राप्त हुआ था और सभा सचिव, स्वायत्त शासन ने घटनास्थल पर निरीक्षण भी किया पर नियमों के अधीन, सार्वजनिक स्थानों पर नाजायज कब्जा करके दूकान रखने वाले लोगों के विस्थापित किए जाने पर, उनके पुनर्वासन की व्यवस्था करने के लिए सरकार या नगरपालिका वाध्य नहीं है । फिर भी नगरपालिका विस्थापित दूकानदारों को दूसरी जगहों पर दूकान एलाट करने के लिए प्रयत्नशील है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा और जैसा कि आपने दो चार बार झांसी जाकर निरीक्षण किया क्या यह सही है कि न सिर्फ ६७ दूकानें तोड़ी गईं बल्कि दो सौ दूकानें तोड़ी गईं और दो लाख का नुकसान हुआ और आपने यह आश्वासन दिया था जो जनता की बरबादी वहां की गई है उन्हें पुनः बैठाया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, जिस समय दूकानदारों से ये दूकानें खाली कराई गईं उसी वक्त इन दूकानदारों ने शिकायत की कि हमको कोई दूकान दी जाय । वहां मैं खुद गई और जा करके उनको बुला करके नगरपालिका के अध्यक्ष, इक्जीक्यूटिव आफिसर, तथा एस० डी० एम० आदि को बुला कर बातें की और निरीक्षण किया । उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि सब्जीमण्डी की जो दूकानें दी जा रही हैं उससे हमें इतराज नहीं है। हम लेने के लिए तैयार हैं। लाटरी के द्वारा उनको वह एलाट कर दी गईं और उनको समय दिया गया, किन्तु वे जाने को तैयार नहीं हुए । इसकी जिम्मेदारी सरकार या नगरपालिका पर नहीं है । यह भी खबर मिली है कि जो दूकानदार हटाये गये हैं वे आज भी बेकार नहीं हैं कहीं न कहीं दूकान कर रहे हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो दूकानदार हटाये गये उनके लिए बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पास किया था ? यदि पास किया था, तो किस तारीख को पास किया ? बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा दूकानें हटाई गईं अथवा बिना प्रस्ताव पास किये हटायी गयीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो सूचना मिली है और जो आन दि स्पाट जाने पर बताया गया है उसके अनुसार जो नाजायज कब्जा किये हुये थे उनको बाकायदा नोटिस दी गई, अखबारों में भी सूचना विज्ञापित की गई है कि उनको बाकायदा सूचना देकर के हटाया गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सभा सचिव ने दो बातें कहीं एक तो यह कहा कि उनके सामने दूकानदार आये थे और उन्होंने मंजूर कर लिया कि ये वहां जायेंगे फिर ये गये नहीं, तो कैसे मंजूर कर लिया ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन दूकानदारों ने स्वीकृति जबानी दी थी या लिखित ? किन सर्कम्स्टान्सेज में उन्होंने मंजूर किया और क्यों नहीं गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिस वक्त सीपरी बाजार और एलाइड सिनेमा के सामने की दूकानें हटाई गईं तथा उनको दूसरा स्थान दिया गया उसी वक्त मैं गई तथा उनसे इंस्पेक्शन हाउस में मुलाकात की । श्री लखपतराय शर्मा जी भी थे । उन्होंने बताया कि इस तरह दूकानें क्यों हटाई गईं और उनको शीघ्र कोई स्थान दिया जाय । मैं उनके साथ निरीक्षण करने गई और उसके उपरान्त अधिकारियों तथा दूकानदारों के साथ बैठकर बात-चीत की । उन्होंने कहा कि सब्जीमंडी में जो दूकानें बनी हैं उसको लेने के लिये हम तैयार हैं तथा हमारा एलाटमेन्ट न्यायसंगत होना चाहिये । मैंने अधिकारियों से लाटरी के सिस्टम से एलाटमेन्ट करने को कहा जिससे पक्षपात न हो ।

श्री लखपत रामशर्मा—

मेरा प्रश्न यह था कि ६७ दूकानों के स्थान पर २०० दूकानें हटाईं जिसमें दो लाख रुप या बरबाद हुआ । स्वयं आपकी लिस्ट के अनुसार कई स्थानों से दूकानें हटाई गईं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन दूकानों को हटाया गया उनको हटाये जाने के पेश्तर नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया गया था या उसके पूर्व बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पास किया था ? यदि पास किया, तो किस तारीख को किया ?

श्री चरणसिंह—

जो ट्रेसपासर्स हैं उनको पहले से जमीन एलाट करने की सूचना देना जरूरी नहीं है । कानूनन नगरमहापालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कोई खास स्थान पहले से दिया जाय । एक बैठक हुई उसमें आप शामिल थे और उनकी रजामन्दी से वह सब किया गया । फिर भी आपकी हमदर्दी उनके साथ है, और प्रस्ताव पास हुआ या नहीं इस वक्त नोटिस की जरूरत होगी । उनको नोटिस दी गई और उसके बाद हटाया गया ।

श्री लखपतराम शर्मा—

यह बात गलत है ।

कृषि विभाग में क्लास २ की सर्विसेज

*८—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में जो क्लास २ की सर्विसेज हैं उनको तरक्की देने की अवधि क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

तरक्की देने की साधारणतः निम्नतम अवधि १० वर्ष है ।

९---श्री सुरेन्द्रविक्रम---

क्या कृषि मंत्री गत दो वर्ष में क्लास २ में तरक्की दिये गये अधिकारियों की लिस्ट देंगे और यह भी कृपया बतायेंगे कि उनकी नौकरी की अवधि कितनी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वांछित लिस्ट संलग्न है । प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने उनकी विभाग में पहली नियुक्ति तथा क्लास २ में तरक्की के दिनांक भी दिये हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ--६९ ७० पर)

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

माननीय मंत्री ने यह बतलाया कि तरक्की देने की अवधि साधारणतया १० वर्ष है किन्तु लिस्ट जो आपकी है उसके अनुसार दो साल के बाद भी तरक्की दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति को १० वर्ष से अधिक में तरक्की मिली हो । चरित्र पंजिका, उसके काम तथा उसके स्थाईकरण आदि सब बातों को उसमें सम्मिलित किया जाता है । इसलिए उसको विलम्ब से क्लास २ मिला हो और साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो कम समय से क्लास २ पा गये । अगर उनके अन्दर विशेष योग्यता रही हो और लोक सेवा आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया हो ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

मुझे सूचना भी है मिसाल के तौर पर जो लिस्ट दी है उसमें नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं । नम्बर ५५ पर जो नाम है उसके बारे में मैं कहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

नं० ५५ पर तो धर्मराज जी का नाम है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य---

पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर इनको नियुक्त कर दिया हो तो यह तो कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग के द्वारा इनको नियुक्त कर दिया गया है ।

श्री ऊदल---

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस वक्त फैजाबाद में जो ऐग्रीकल्चर आफिसर हैं वे १९५७ से हैं उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लास २ में क्यों कन्फर्म नहीं किया ? इनकी सर्विस इस वक्त १५ साल की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

हो सकता है इस बीच में पूरी तरह से उनका कार्य सन्तोषजनक न रहा हो इसलिये उनको कन्फर्म न किया गया हो ।

श्री ऊदल---

१५ साल से वे एग्रीकल्चर आफिसर हैं और कार्य उनका सन्तोषजनक रहा है उनके खिलाफ कोई बैड इन्ट्री नहीं है । इसकी भी जांच की जाय । उनके न कन्फर्म होने के कारण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसको देख लिया जायेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री ने बताया कि नंबर ५५ के श्री धर्मराज को १ साल में पदोन्नति हुई तो किन-किन लोगों की १ साल में पदोन्नति हुई और किन कारणों से या क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने बतला दिया कि लोक सेवा आयोग ने अगर किसी को चुन लिया है, वह एक साल के भीतर लोक सेवा आयोग के सामने गया । पहले से ग्रुप एक में काम कर रहा था, उसको अवसर मिला, लोक सेवा आयोग के सामने वह गया और उसने एप्रूव कर दिया, तो वह एक साल के अन्दर आ ही सकता था ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच का आश्वासन देंगे कि धर्मराज को जो तरक्की मिली है उसके क्या-क्या कारण हैं ताकि यह कहने का मौका न मिले कि मंत्री जी ने पक्षपात किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कोई पक्षपात नहीं हुआ है । मने कारण स्पष्ट कर दिया है । इसमें तरक्की देने की अवधि अधिक से अधिक १० वर्ष की है और उसमें कारण यह हो सकता है ।. . . .

श्री अध्यक्ष—

इसी पर आपत्ति है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अगर उसका करेक्टर रोल अच्छा न हो या कोई और कारण हो और लोक सेवा आयोग ने उसको पहले स्वीकृति न दी हो तो वह अधिक समय तक अस्थायी रह सकता है । और किसी को लोक सेवा आयोग ने जल्द स्वीकृति दे दी हो तो वह पहले हो सकता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मंत्री जी तो बहक रहे हैं । प्रश्न कुछ है और जवाब कुछ है । जांच करवाने में आपको क्या आपत्ति है ? जांच करवाकर सदन को बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये प्रश्न यह है कि वह तथ्य क्या है जिनके आधार पर उनकी एक साल के अन्दर पदोन्नति हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसको देख लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

डेट आफ एपाइंटमेन्ट की जगह लिखा हुआ है कि ज्ञात नहीं है । मंत्री जी को ज्ञात नहीं है, उनके सरकारी दफ्तर को ज्ञात नहीं है, तो किसको ज्ञात होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो यह मालूम करके बता दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी, यह बात आपको पहले ही देख लेनी चाहिये थी। किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी हो और उस विभाग को यह न मालूम हो कि उस कर्मचारी की नियुक्ति की क्या तिथि है और सदन में यह आकर कहें कि फिर बतायेंगे, यह बिलकुल गलत तरीका है। आप स्वयं आगामी सप्ताह में बताइयेगा।

वन विभाग में ए० सी० एफ० के पदों पर नियुक्तियां

*१०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५-६६ में आज तक कितने लोग उत्तर प्रदेश में ए० सी० एफ०, डी० एफ० ओ०, सी० एफ० व डिप्टी चीफ बनाये गये और उनमें से कितने लोग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिये गये और कितने विभाग से मनोनीत किये गये और उनमें से किन-किन लोगों को कन्फर्म किया गया है और जिनको कन्फर्म नहीं किया गया उनके क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् १९६५–६६ में कोई अधिकारी डिप्टी चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, सी० एफ० तथा डी० एफ० ओ० के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अप्रैल सन् १९६५ में आठ ए० सी० एफ०, इंडियन फारेस्ट कालेज, देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करके आये और वन विभाग में अस्थायी रूप से ए० सी एफ० के पद पर नियुक्त हुए, ये सभी पब्लिक सर्विस कमीशन, उ० प्र० द्वारा चुने गये थे। इनमें से कोई भी कन्फर्म नहीं किया गया है क्योंकि ये अस्थायी चुने गये हैं और स्थान रिक्त होने पर तथा इनकी बारी आने पर इनको कन्फर्म करने के लिये शासन विचार करेगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि डिप्टी चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट को आप तरक्की देकर ए० सी० एफ० या डी० एफ० ओ० नहीं बनाया तो नये आठ आदमियों को ए० सी० एफ० बनाने की क्या जरूरत थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, यह आठ आदमी लोक सेवा आयोग से चुनकर सीधे आये थे तो उनको स्थायी कर दिया गया। तरक्की का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न आठ आदमियों का नहीं है। मेरा सवाल उन लोगों पर है जो डिप्टी चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट को तरक्की नहीं दी गयी। क्या कोई सर्विस कोड है जिसके अन्तर्गत उनको तरक्की दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वन विभाग के अन्दर जो रेंज आफीसर हैं, दूसरे नीचे के कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत मुकर्रर है कि किस पद से तरक्की होगी। यह जो सूची आयी है उनकी नियुक्ति सीधे कर दी गयी। इसलिये उनको तरक्की देने का प्रश्न नहीं उठा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कन्डीशन मुकर्रर है उनके मुताबिक नीचे वालों को तरक्की दी गयी या नहीं दी गयी ?

श्री चरणसिंह—

जो ए० सी० एफ० अस्थायी तौर पर नियुक्त हुये थे उनका दावा था कि हमारी तरक्की होनी चाहिये। हमारी राय थी उनका हक नहीं था। इस पर उन्होंने दावा भी किया और हार भी चुके हैं। आप हारे हुये लोगों की पैरवी कर रहे हैं।

अतिरिक्त फारेस्टर्स ट्रेनिंग डिवीजन का तोड़ा जाना

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ में वन विभाग में कौन-कौन नये डिवीजन व सर्किल बनाये गये, उन पर कितना रुपया खर्च हुआ और अब तक कितने तोड़ दिये गये ? उनके बनाने तथा तोड़ने के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सन् १९६५ में वन विभाग में कोई नए सर्किल नहीं बने। सन् १९६५ में केवल एक डिवीजन बना जिसका नाम अतिरिक्त फारेस्टर्स ट्रेनिंग डिवीजन था, उस पर ९०५१.५७ रुपया खर्च हुआ और १-१२-६५ से वह मितव्ययिता के कारण तोड़ दिया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इकानोमी ड्राइव का जो आंदोलन डिवीजन में हुआ उसमें कितने कर्मचारी बेकार हुये और उनको किसी दूसरी जगह लगाया गया है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उनमें कोई बेकार नहीं हुआ। जो अधिकारी और कर्मचारी उस डिवीजन में काम कर रहे थे वह अपने विभाग में काम करते रहे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

चूंकि बहुत सारे कर्मचारी अस्थायी पड़े हुये हैं इसलिये ए० सी० एफ० क्लास की जो हर साल भर्ती होती है उसको तब तक के लिये बन्द कर दिया जायेगा जब तक कि सब स्थायी न बन जायें ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से शिकायत चली आ रही थी कि असिस्टेण्ट कंजरवेटर आफ फारेस्ट की तरक्की जिस अनुपात में होनी चाहिये थी उस अनुपात में नहीं होती। अब वे बहुत खुश हैं, जो टेम्पोरेरी हैं उनको परमानेन्ट किया जाय इस मसले पर विचार हो रहा है।

राष्ट्रीय कृषक टनेज क्लब की बैठक पर व्यय

*१२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि ८ जनवरी, १९६६ से ९ जनवरी, १९६६ तक कृषि मंत्री की अध्यक्षता में खेत (टनेज) क्लब नाम की संस्था की उत्तर प्रदेश में स्थापना की बैठक हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां।

राष्ट्रीय कृषक टनेज क्लब की कृषि मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक ८ व ९ जनवरी, १९६६ को बैठक हुई।

*१३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या कृषि मंत्री उपरोक्त सभा की सब कमेटियों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा सरकार ने कितना रुपया व्यय किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां ।

राष्ट्रीय कृषक टनेज क्लब, उत्तर प्रदेश की विभिन्न सामुदायिक उप समितियों के प्रतिवेदनों की प्रतियां † सदन की मेज पर रख दी गई हैं । इन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है । उक्त क्लब की बैठक के सम्बन्ध में कुल ११,७३१.४० पैसे का व्यय हुआ था ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब दोनों कृषि मंत्री हैं यह भी एक मंत्री हैं जो कि पुराने कृषि मंत्री हैं तो उनके विभाग में विभागीय हेर-फेर की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध इससे नहीं है । यह बाहर का प्रश्न है जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अन्य राज्यों में टनेज क्लब और कृषक समाज एक अंग के रूप में काम कर रही हैं तो कौन सी विशेष परिस्थितियां हमारे प्रदेश में पैदा हो गईं कि टनेज संस्था को कृषक समाज से अलग कर दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस प्रदेश में टनेज क्लब और कृषक समाज दोनों ही प्रदेश की भलाई के लिये अलग-अलग संस्थायें हैं और दोनों ही अपना काम अलग अलग करती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि क्यों दोनों संस्थायें अलग-अलग हैं ?

श्री भानुप्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में देश में एक साथ हैं और हमारे प्रदेश में उनको अलग करने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

दूसरे प्रान्तों के विषय में हम अवगत नहीं हैं । कृषि मंत्री श्री गेंन्दा सिंह जी विदेश में हैं जब वे आजायेंगे तो आपको जवाब दे सकेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

टनेज क्लब ने जो सुझाव दिये हैं क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है और उनमें से कौन से प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वे विभागों के पास भेज दिये जाते हैं । यह तो सूचना अभी तक नहीं मिली है कि विभागों ने उन पर क्या कार्यवाही की है ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या मंत्री जी यू० पी० कृषक समाज का पूरा खर्चा उठाने के लिये तैयार हैं । यू० पी० कृषक समाज जो किसानों की पुरानी संस्था है उसके निर्णयों के अनुसार वह जो करती है क्या सरकार उस पर कार्यवाही करती है ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

यह जो कृषक समाज है तथा उसके अधिकारी हैं उनका काम अच्छी तरह से चल रहा था क्या सरकार तैयार है कि जिस प्रकार अन्य देशों में कृषक समाज और टनेज क्लब एक साथ उसी प्रकार यहां भी एक साथ करने पर विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

टनेज क्लब तो उन्हीं लोगों की संस्था है जो गल्ला पैदा करते हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न पर पुनर्विचार करने को तैयार है कि उसको फिर से जोड़ कर एक कर दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह तो मा० मुख्य मंत्री ने बताया कि कल कृषि मंत्री जी विदेश से आ रहे हैं वे ही इसके बारे में बतायेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी उस क्लब के सदस्यों के नामों की सूची और उनके सुझाव इस सदन को सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो एक लम्बी सूची है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जो प्रश्न किया गया था उसके अनुसार मैं तो उनका नम्बर बतलाने के ही लिये तैयार था । अगर सदस्यों के नाम जानने की आवश्यकता है तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त क्लब के कितने काश्तकार सदस्य हैं और कितने सरकारी अधिकारी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आज जो घोषणा उप मंत्री जी ने की है कि टनेज क्लब उन लोगों की संस्था है जो अधिक अन्न पैदा करते हैं तो क्या यदि कृषक समाज इस देश में कम गल्ला पैदा करेंगे, तो क्या वे उसे हटा देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी इस प्रश्न के संबंध में उत्तर देंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

एक में पूरी छूट और एक में पूरी रोक, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री ने बताया कि जब कृषि मंत्री जी आ जायेंगे तब उनसे पूछियेगा ।

कानपुर जिले में मिट्टी के तेल का वितरण

*१४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की खपत प्रति मास कितनी है तथा १ सितम्बर, १९६५ से प्रति माह कितना तेल दिया जा रहा है ?

*१५—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिले में प्राप्त मिट्टी के तेल वितरण-व्यवस्था का क्या आधार है तथा शहर व जिले की प्रत्येक तहसील को १ सितम्बर, १९६५ के प्रश्नोत्तर देते समय तक प्रतिमाह कितना-कितना तेल दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अप्रैल में सरकार के पास उत्तर के लिये भेजा गया था और आज उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । सदन को इतने विलम्ब से इसका उत्तर देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मंत्री, कृपया स्थिति स्पष्ट कर दें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना मंगानी पड़ती है इसमें देर हो रही है । इससे पहले कि मैं अपना जवाब दूं । माननीय सदस्य अपने को संतुष्ट कर लें ।

श्री जगदीशप्रसाद—

क्या मंत्री जी स्पष्ट तौर से बता देंगे कि क्षेत्र में वह सामान कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२६-६-६६ को आदेश दे दिया गया है और अब तक आदेश अवश्य पहुंच गया होगा ।

स्टाकमैन, सेंटर ठीकुर में स्टाकमैन न होना

*१६—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार विकास खंड खसरहा, जिला बस्ती में स्टाकमैन सेंटर टीकुर पर कोई स्टाकमैन तत्काल भेजने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । इस केन्द्र पर स्टाकमैन की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सेण्टर बिना स्टाकमैन के कब तक सूना पड़ा रहा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह सेण्टर २९-३-६६ तक सूना पड़ा रहा ।

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर तथा बस्ती में मिट्टी के तेल का भाव

*१७—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर, में जनपद बस्ती की अपेक्षा मिट्टी के तेल की प्रति लीटर कीमत ज्यादा है जब कि बस्ती में तेल का एफ० ओ० आर० रेट गोरखपुर के मुकाबले में ज्यादा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर में बस्ती की अपेक्षा मिट्टी के तेल का मूल्य प्रति लीटर अधिक इसलिये है कि दोनों स्थानों के फुटकर विक्रेताओं के लाभांश में अन्तर है ।

*१८—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या यह सही है कि गोरखपुर के विक्रेताओं को लीकेज एलाउन्स और डेमरेज प्रदान किया जाता है जो नियम विरुद्ध है और यही कारण है कि वहां के मुकाबले में गोरखपुर के विक्रेताओं को १ टैंक तेल मंगाने पर ४–५ हजार रुपये मुनाफा अधिक होता है इस प्रकार जिलापूर्ति अधिकारी हजारों रुपया प्रतिमाह तेल विक्रेताओं से वसूल करता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गोरखपुर के मिट्टी के तेल विक्रेताओं को साधारण रूप में टैंक बैगनों द्वारा मंगाये गये माल पर किसी प्रकार का लीकेज एलाउन्स अथवा डेमरेज नहीं दिया जाता है—हां स्थिति विशेष में अवश्य दिया गया है ।

नाइट्रोजिनस तथा फास्फेटिक उर्वरक

*१९—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ जनवरी, सन् १९६६ को सरकार के पास कुल कितनी मात्रा में नाइट्रोजिनस तथा फास्फेटिक उर्वरक थे और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार से किस-किस दर पर खरीदा था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रदेश में ३१ जनवरी, १९६६ को कुल मिलाकर लगभग १,५५,७०० टन नाइट्रोजिनस तथा फास्फेटिक उर्वरक थे । केंद्रीय सरकार से केवल पूल्ड फर्टीलाइजर खरीदे गये हैं जिनकी दर का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

*२०—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार ने अपने फर्टीलाइजर के दाम कब से और कितने बढ़ा दिये हैं ? क्या सरकार को केंद्र से जो पत्र इस संबंध में प्राप्त हुआ है इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

केंद्रीय सरकार ने अपने फर्टीलाइजर के दामों में १ फरवरी, १९६६ से वृद्धि की है । क्रम और विक्रय दरों में वृद्धि का ब्योरा निम्नलिखित है । केंद्र से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१–७२ पर)

ग्राम बरुआ कलां से वन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*२१—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बरुआ कलां, परगना भूड़, जिला खीरी में गत २६ फरवरी, १९६६ को वन विभाग के रेंजर कर्मचारियों ने कुछ किसानों की फसल नष्ट कर डाली

जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने पर कर दी तथा मुख्य मंत्री को पत्र लिखा व तार भेजा । यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

कथित ग्राम में दिनांक २६ फरवरी, १९६६ को कोई खड़ी फसल वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहीं नष्ट की गयी । सुरक्षित वन की ३ एकड़ जमीन में कुछ अतिक्रमणकारी गन्ना बोने की तैयारी कर रहे थे उन्हें रोकने के लिये सरकारी ट्रैक्टर से भूमि जुतवा कर बबूल के बीज बो दिये गये । अतिक्रमणकारियों का एक प्रार्थना-पत्र व तार सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था तथा इस संबंध में शासन द्वारा आदेश दिये गये कि अतिक्रमणकारियों को खड़ी फसल काट लेने दिया जाय परन्तु उन्हें कोई नई फसल उस भूमि पर न बोने दिया जाय । स्थानीय थाने में रिपोर्ट लिखाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

कलेक्टर बदायूं के लड़कों को अलाट की गयी कोठी

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर जिला बदायूं के लड़कों को जो कोठी बदायूं में एलाट की गई उसमें कौन-सा सरकारी दफ्तर था और उस दफ्तर को वहां से हटाने की क्या जरूरत पेश आई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस कोठी में डी० एम० ओ० एच० का दफ्तर तथा निवास स्थान (office-cum-residence) था । राज्य सरकार की यह नीति है कि किसी अधिकारी का निवास स्थान तथा कार्यालय एक ही भवन एवं एक ही किरायेदारी में न हो । इसी आधार पर डी०एम०ओ० एच० का दफ्तर एक दूसरी बिल्डिंग में कर दिया गया ।

रबी अनाजों की खरीदारी

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन थोक फरोश आढ़ती ऐसे हैं जिनके द्वारा सरकार गेहूं, चना इत्यादि खरीदेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चालू वर्ष में किसी भी थोक फरोश आढ़ती से रबी अनाजों की खरीदारी नहीं की जा रही है ।

*२४—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में इस साल कितना गेहूं, चना, जौ बफर स्टाक में रखने का विचार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस साल रबी अनाजों की खरीदारी नहीं की जा रही है इसलिये बफर स्टाक बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर नगरपालिका से भेजे गये मकानों के नक्शे

*२५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगरपालिका एरिया से भेजे गये भिन्न भिन्न मकानों के नक्शे (प्लांस) की संख्या कितनी है जो दिनांक १ अप्रैल, १९६३ से ३१ मार्च, १९६६ तक टाउन तथा विलेज प्लानिंग के चीफ इंजीनियर के दफ्तर बन्दरियाबाग, लखनऊ में प्राप्त हुये और उनमें से कितने अभी तक पास नहीं किये गये ?

श्री चरणसिंह--

कुल ८०८ मकानों के नक्शे प्राप्त हुये थे जिनमें ३२० पास किये गये और ४८८ नक्शे आपत्तियां सुधारने हेतु वापस कर दिये गये ।

अवक्रांत स्थानीय निकाय

*२६--श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कौन-कौन स्थानीय निकाय किस-किस तिथि से सुपरसीड हैं तथा उनके चुनाव कब कराये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह--

प्रथम भाग ।

सूचना तालिका के रूप में सदन की मेज पर रखी है ।

द्वितीय भाग ।

चुनाव के संबंध में कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७३ पर)

*२७-२८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[स्थगित किये गये ।]

जलालाबाद टाउन एरिया के बख्शी श्री नत्थूलाल के विरुद्ध जांच

*२९--श्री विपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले के किन टाउन एरिया कमेटियों के बक्सियों के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार की जांच पुलिस द्वारा जुलाई, १९६५ से प्रारम्भ की गई ?

श्री चरणसिंह--

शाहजहांपुर जिले की टा० ए० के० जलालाबाद के बख्शी श्री नत्थूलाल के विरुद्ध गबन तथा भ्रष्टाचार की जांच पुलिस द्वारा १८-९-६५ से प्रारम्भ की गई ।

*३०--श्री विपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित जिस बक्सी के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई उन पर आरोप क्या थे ? जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा बक्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--

श्री नत्थूलाल बख्शी के विरुद्ध गबन, टा० ए० की सम्पत्ति हड़प करना, रिकार्ड को गायब करना तथा टा० ए० के धन का दुरुपयोग करने के आरोप थे । पुलिस द्वारा अभी जांच पूरी नहीं हुई है । श्री नत्थूलाल को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत बरखास्त किया गया ।

ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर में प्रदर्शनी पर व्यय

*३१--श्री रियासत हुसैन--

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में कान-वोकेशन के मौके पर २ अप्रैल से ९ अप्रैल तक जो प्रदर्शनी हुयी उसमें कितना खर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रदर्शनी में यूनिवर्सिटी का ५,८३५ रु० व्यय हुआ ।

*३२—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि जो ट्रैक्टरों से जोत का डिमांस्ट्रेशन उक्त प्रदर्शनी में किया गया उसका आयोजन किसने किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ट्रैक्टरों से जोत का आयोजन आल इंडिया एग्रीकल्चरल मशीनरी एसोसिएशन की ओर से किया गया था ।

*३३—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अन्दर कौन-कौन सा गेहूं तजुर्बे के तौर पर सन् १९६४–६५ तथा १९६६ में काटा गया और किस-किस गेहूं की कितनी-कितनी पैदावार फी एकड़ हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

*३४–३५—श्री कल्यानचन्द मोहिले—

[२रें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३४–३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फसलों का बीमा

*३६—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश सरकार फसलों के बीमे की स्कीम को प्रदेश में कब से लागू कर रही है और उसके रेट्स क्या होंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अभी ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नगरपालिका, शाहजहांपुर के कर्मचारियों को वेतन मिलना

*३७—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर शहर की नगरपालिका पर सरकार का कितना रुपया बाकी है ?

श्री चरणसिंह—

नगरपालिका शाहजहांपुर पर ३१ मार्च, १९६६ तक शासन का लगभग २७,४९,९४१ रु० बाकी था ।

*३८—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार ने दिनांक १ अप्रैल, १९६० से लेकर ३१ मार्च, १९६६ तक कितनी रकम की ग्रांट्स वहां के बोर्ड को दी है ? वहां के कर्मचारियों को कितने माह से उनका वेतन नहीं मिला है ।

श्री चरणसिंह—

नगरपालिका शाहजहांपुर को १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६६ तक ४,७०,९५० रु० अनुदानों के रूप में दिया गया। नगरपालिका के कर्मचारियों को, कुछ कर्मचारियों को छोड़ कर मई, १९६६ तथा जून, १९६६ का वेतन नहीं मिला है।

*३९—श्री बिशनबिहारी तिवारी—

[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

बिन्दकी नगरपालिका में तहबाजारी की वसूली

१—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की नगरपालिका बिन्दकी ने अब तक चुंगी प्रथा को ग्रहण नहीं किया है और इसके विपरीत केवल ग्रामीण कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुयें, जो विक्रय हेतु नगरपालिका सीमान्तर्गत आती हैं चुंगी चौकियों की भांति चौकी स्थापित कर तहबाजारी द्वारा ऊंची धनराशि संग्रह की जाती है जिससे उत्पादक क्षेत्रीय कृषक में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका के नागरिकों के हितों का संरक्षण करने हेतु पालिका को विवश करेगी कि वह यथाशीघ्र चुंगी प्रथा चालू करे? यदि नहीं, तो कठिनाई क्या है?

२—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिन वस्तुओं पर तहबाजारी द्वारा सीमाओं पर धन संग्रह किया जाता है उनके नाम क्या हैं तथा किस रेट पर तहबाजारी वसूल की जाती है?

३—क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा चुंगी प्रथा न होने से पालिका की आय केवल ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा होने वाली आय तक ही सीमित होने से पालिका की आय निरन्तर कम होती जा रही है और वह राजकीय प्राप्त सहायता पर ही निर्भर रहती है। यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने पर विचार करेगी और कब तक?

श्री चरणसिंह—

जिला फतेहपुर की नगरपालिका बिन्दकी ने अब तक चुंगी प्रथा को ग्रहण नहीं किया है पर यह गलत है कि वह उसके विपरीत केवल ग्रामीण कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर जो उसकी सीमा के अन्दर आती है तहबाजारी लगाती है।

यह तहबाजारी नगरपालिका अपनी तहबाजारी उपविधियों के अन्तर्गत लगाती है और उनके अनुसार वह उन सभी व्यक्तियों से वसूल की जाती है जो नगरपालिका की सीमा के अन्दर किसी सार्वजनिक स्थान या नजूल भूमि या सड़क की पटरी को व्यापार के लिये प्रयोग में लाते हैं। वह केवल ग्रामीण कृषकों तक ही सीमित नहीं और न उसकी दरें ऊंची कही जा सकती हैं।

हालांकि नगरपालिका में अभी चुंगी नहीं लगी हुई है परन्तु वह अब चुंगी की प्रथा को निकट समय में ही ग्रहण करने जा रही है। उसने हाल ही में यह संकल्प किया है कि उसकी सीमा में आने वाली वस्तुओं पर चुंगी कर लगाया जाय और इस कर को लगाने के लिये नियमों आदि को बनाना भी शुरू कर दिया है जो कुछ समय बाद आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद के पास स्वीकृति हेतु भेज दिये जायेंगे।

२—जिन वस्तुओं तथा रेट पर तहबाजारी वसूल की जाती है उसकी सूची संलग्न है।

३—यह सही नहीं है और इस आधार पर नगरपालिका समिति को भंग करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५ पर)

शाहजहांपुर में खन्नौत नदी का कटाव

४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शहर में पनिहारी मसजिद के पास जो श्मशान भूमि खन्नौत नदी के किनारे थी, वह दरिया का बहाव बदल जाने से अब वहां से हटानी पड़ी है ?

श्री चरणसिंह—

शाहजहांपुर शहर में पनिहारी मस्जिद के पास खन्नौत नदी के किनारे कोई श्मशान भूमि नहीं है। माननीय सदस्य का "श्मशान भूमि" से तात्पर्य शायद खन्नौत नदी के किनारे स्थित उस घाट से है जो पनिहारी मस्जिद के उत्तर में है और 'बिसरात घाट' कहलाता है। पहले नदी इस घाट के नीचे होकर बहती थी परन्तु अब नदी की धारा हट जाने के कारण यह घाट धारा से दूर हो गया है। इस स्थान का कभी भी श्मशान भूमि के रूप में प्रयोग नहीं होता था। यह पुराने समय से ही हिन्दुओं का पूजा का और कर्मकांड आदि का स्थान रहा है।

५—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार जनता की दिक्कत को देखते हुए उस घाट की मरम्मत और जरूरी खुदाई कराकर श्मशान भूमि को कायम रखने में मदद देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

इस दिशा में उचित व्यवस्था करना नगरपालिका का उत्तरदायित्व है परन्तु नगरपालिका धन के अभाव से इस कार्य को करने में इस समय असमर्थ है।

सी० आई० डी० रिपोर्टरों द्वारा सदन की कार्यवाही प्रतिवेदित किये जाने पर आपत्ति

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सूचना मिली है कि यहां रिपोर्टिंग करने के लिए सी० आई० डी० से आदमी बुलाए गए हैं तो क्या ये आपके आदेश से बुलाए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे सहमत होंगे कि कार्य में यदि कोई व्यवधान हो, कोई परेशानी हो और कार्य पूरी तरह से न हो रहा हो तो सम्यक रूप से इस सदन के कार्य को संचालित करने के लिए और इसकी रिपोर्ट को सुचारु रूप से तैयार करने के लिए अनेक और विविध उपायों को अंगीकार करने का हमको अधिकार है। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मुझे यह मालूम हुआ है कि इस समय सी० आई० डी० से बुलाए गए हैं तो क्या आपके आदेश से ऐसा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

वैसे मैंने सचिव, विधान मण्डल से यह कहा था कि यथाशक्ति न बुलाया जाय किन्तु यदि आवश्यकता पड़े और अनिवार्यता हो तो बुला लिया जाय। लेकिन अभी तक बुलाया नहीं गया है।

विधान सभा सदस्य, श्री इरतजा हुसैन के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के पुराने सम्मानित सदस्य, श्री इर्तजा हुसैन साहब की १३ जून को मृत्यु हो गई। इर्तजा साहब बुलन्दशहर के एक सम्मानित व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे परिवार के थे। बहुत पहले वे जुडिशियल आफिसर की पोस्ट पर थे और सन् ३७ में जुडिशियल आफिसर की पोस्ट को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तब से कांग्रेस की सेवा करते रहे। बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसीडेंट, ए० आई० सी० सी० तथा पी० सी० सी० के मेम्बर रहे। बराबर ढाई साल तक जेल में रहे, १९४० तथा १९४२ में। उनकी रुचि शिक्षा में बहुत थी इसलिए वहां की शिक्षा संस्थाओं के साथ उनका अपना निकट का सम्पर्क था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के भी मेम्बर थे। उनके परिवार में देश के प्रति सदा त्याग और सेवा की भावना रही। यह सदन के सदस्य बहुत साल से थे। पहले ५२, ५७ में और ६२ में सदन के सदस्य हुए और हमेशा सेवा करते रहे। उनके विनम्र स्वभाव से सब लोग परिचित थे। उनके बारे में मुझे और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग उनके वियोग से संतप्त दुखी परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति दे। मैं इस सदन की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति ज्ञापित करती हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विरोधी पक्ष को, स्वयं तथा अपने दल को माननीय मुख्य मन्त्री जी के भावों से सम्बद्ध करता हूं। हमारा एक समाज सेवी चल बसा, इस से हम लोग दुखी हैं। उनके जीवन के इतिहास से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में व्यतीत किया। हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करते हैं। परमात्मा उनको शक्ति, साहस दे और उनको इस कष्ट का शान्तिपूर्वक सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी आप से प्रार्थना है कि हम लोगों की भावनाओं को उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें।

* श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं इरतजा हुसैन साहब को इस सदन में सन् १९५२ से जानता था। वे भी १९५२ से इस सदन के सदस्य थे। वे राष्ट्रीय मुसलमान थे जिनकी भावनायें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थीं और ऐसे नाजुक वक्त में जब ऐसे लोग चल बसते हैं तो खासतौर से बिरादरी में कमी हो जाती है और हमें कुछ सोचना पड़ता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा नेता विरोधी दल की भावनाओं से अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपके जरिए उनके दुखी परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता हूं। आशा है आप हम लोगों की भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा देंगे।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्री इर्तजा हुसैन साहब के निधन पर जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा रखा गया है और जिससे विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने को सम्बद्ध किया है उससे मैं भी अपने आपको तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। और संवेदना प्रकट करता हूं। मेरा कोई घनिष्ट सम्बन्ध उनसे तो नहीं रहा लेकिन २–३ वर्ष से जैसा मेरा कमेटीज आदि में उनका साथ रहा, उससे मैंने यह पाया कि वे अत्यन्त हंसमुख और जिन्दादिल आदमी थे। ऐसे लोग हमारे बीच से उठ जायें, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आशा है कि आप हमारी समवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नेता सदन ने कहा और जो भावनायें उन्होंने व्यक्त कीं, उनसे अपने को तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करते हुए मैं समवेदना प्रकट करता हूं । आप से निवेदन है कि मेरी समवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं भी अपनी पार्टी की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री तथा विरोधी दलों की भावनाओं के साथ अपनी समवेदना व्यक्त करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उसे उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री इर्तजा हुसैन के निधन पर जो शोक प्रस्ताव नेता सदन की ओर से रखा गया है और जो विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं ने भावनायें प्रकट की हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके दुखी परिवार तक पहुंचा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सदन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री इर्तजा हुसैन उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर के एक कठोर जीवन को अंगीकार किया और अपने आप को राष्ट्रीयता के रंग में रंग कर, प्रत्येक यातना को सहन कर हमारे स्वातन्त्र्य संग्राम में साथ दिया । इतना त्यागी और तपस्वी होने के बाद भी वे कितने विनयशील थे। मैं इस सदन की भावनाओं तथा संमवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दो मिनट मौन खड़े हो जायें।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिए खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६†

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६६

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६६

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है, छपी हुई प्रतियों के प्राप्त होने की दशा में, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसका क्या अर्थ है मैं नहीं समझ सका। यदि प्रतियां अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी हैं, तो कैसे सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं। इन प्रतियों को सदन की मेज पर रखने के बाद कुछ समय नियत होता है, जिसके अन्दर संशोधन आदि दिया जाता है, यदि प्रतियां नहीं प्राप्त हुई हैं तो इसे हम कब से सदन की मेज पर रखा हुआ मानेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुझे सूचना मिली है कि यह प्रतियां छप कर आ गई हैं। और वितरित हो रही हैं।

दि बिहार ऐण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ से सम्बद्ध राष्ट्रपति का आदेश

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय के दिनांक ४ जून, १९६६ के आदेश को, जिससे 'दि बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६' पर राज्य विधान मण्डल के विचार व्यक्त किए जाने के लिए दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६६ तक की अतिरिक्त कालावधि समनुज्ञात की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक...

श्री अध्यक्ष—

यह विधेयक कार्य सूची में नहीं आ सका है। विशेष परिस्थितियों के कारण मैं अनुज्ञा देता हूं कि वह सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष जी, वह विशेष, परिस्थिति क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह विधान परिषद् से आज ही प्राप्त हुआ है इस कारण यह कार्य सूची में नहीं आ सका।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके आदेश से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६ उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७६–७९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश

विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८० पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ मई, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ मई, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ मई, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद मे अपनी दिनांक ११ मई, १९६६ की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १२ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १३ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ अप्रैल, १९६६ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ मई, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन), विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक

[सचिव, विधान सभा]

१४ अप्रैल, १९६६ को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ११ मई, १९६६ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १६ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ अप्रैल, १९६६ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ मई, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २५ मार्च, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १४ अप्रैल, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ८ जून, १९६६ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

विधान सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सूचनायें हमें प्राप्त हुई हैं उसकी सूची सचिव पढ़कर सुना दें।

सचिव, विधान सभा—

विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बन्दीकरण तथा जेल भेजे जाने की सूचनायें प्राप्त हुयी हैं।

एक सदस्य—

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माइक्रोफोन ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़े दे रहा हूं। माननीय उग्रसेन, माननीय भगवान दीन, माननीय कृष्णा, माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय झारखंडे राय, माननीय लखीसिंह, माननीय शिवचरण, माननीय बालोजी अग्रवाल, माननीय मुल्तान सिंह, माननीय बांके लाल, माननीय शराफत हुसैन, माननीय

तेजभानसिंह, माननीय अवधेश कुमार सिन्हा, माननीय सालिग्राम जायसवाल, माननीय गिरजा प्रसाद, माननीय चन्द्रबली सिंह, माननीय नत्थू सिंह, माननीय रतीपाल सिंह, माननीय भीमा प्रसाद, माननीय मंगलदेव विशारद । माननीय गया प्रसाद मौजूद हैं, उनका नाम मैंने नहीं पढ़ा । ३१ गिरफ्तारियां हुई थीं उनमें से कुछ मुक्त हो चुके हैं, केवल १७ ऐसे महानुभाव हैं जिन के सम्बन्ध में हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है कि वे मुक्त किये गये या नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्री भीखा लाल जी जेल में हैं, उनका नाम नहीं पढ़ा ।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास सूचना है कि श्री भीखालाल तथा श्री विजय पाल सिंह बन्दी किये गये, लेकिन वह रिहा कर दिये गये हैं ।

श्री ऊदल—

मैं श्री भीखालाल को कल शाम को ७ बजे जेल में देख कर आया हूं। ११ बजे तक वह नहीं छोड़े गये । श्री विजयपाल सिंह के बारे में मैं नहीं बता सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं आप बाकायदा जांच कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

श्री उग्रसेन धारा १८८ में गिरफ्तार हुये हैं । भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और धारा १८८ के अन्तर्गत उनको १० दिन का साधारण कारावास का दंड दिया गया । श्री भगवान दीन को १०७।११७ दंड विधान प्रक्रिया के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उन्हें जिला रायबरेली में रखा गया है । श्री कल्याणचन्द मोहिले, सत्य नारायण पांडेय को देवरिया में , काशीनाथ मिश्र को १४४ के उल्लंघन करने में दफा १८८ के अन्तर्गत बलिया जेल में रखा गया । माननीय ऊदल आगये हैं । माननीय झारखंडे राय दफा १८८ में लखनऊ जेल में, श्री लखी सिंह १२ जुलाई, १९६६ से पुलिस कास्टेडी में मथुरा में हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लक्खी सिंह के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री शिव चरण, बालोजी अग्रवाल दफा १४४ के उल्लंघन करने में धारा १८८ में । बांके लाल १०७/११७ में, शराफत हुसेन धारा १८८ में, जेल मुरादाबाद में, डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा, श्री सालिग्राम जायसवाल १२ जुलाई, १९६६ को धारा १८८ में गिरफ्तार किये गये हैं । श्री गिरवर प्रसाद १०७, ११७ में, श्री चन्द्रबली सिंह १०७/११७, श्री नत्थू सिंह ३१३, ३४३ में, श्री रक्षपाल सिंह १०७/११७ में गोरखपुर में, सर्वश्री भीमा प्रसाद मंगलदेव १०७, ११७ । श्री भीखालाज के संबंध में गलती है कि उनको दफा १४४ के उल्लंघन में पकड़ा गया और १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये फिर जमानत पर छोड़ दिया, फिर दोबारा गिरफ्तार हुये हैं । माननीय लखी सिंह के सम्बन्ध में निवेदन है कि उनको दिनांक ११ जुलाई को कोसीकलां में उत्तर प्रदेश बन्द आन्दोलन के सम्बन्ध में १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वे कहां हैं, और किस जेल में हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने मुकदमे के वापसी के आदेश जिलाधीश के पास भेज दिये हैं और वे उनमें से किन को छोड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यदि माननीय मुख्य मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकती हैं ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अध्यक्ष जी, जिला के अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं वे इनको अपने हिसाब से छोड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह कहा कि यह कार्यवाही जिला स्तर पर हो रही है । जैसा वे उचित समझते हैं उसके अनुसार वे छोड़ते हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आपने वैसा कहा, एक्जैक्टली मैंने वैसे ही कहा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय मुख्य मंत्री, आपने अपने सम्पूर्ण अधिकार जिला अधिकारियों और के० के० दास को दे दिये हैं कि वे जिस सदस्य को चाहें गिरफ्तार करें और जिसको चाहें छोड़ें ।

मुख्य मन्त्री एवं कुछ जिलाधीशों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री कमलासिंह जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है । उनका कहना है कि श्री उग्रसेन वर्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करते हैं परन्तु मुख्य मंत्री ने अपने मुख्य सचिव तथा जिला अधिकारियों द्वारा , सोशलिस्ट पार्टी के अनेक सदस्यों को अनेक धाराओं के अन्तर्गत रोक लिया है और चूंकि १८ जुलाई इस प्रस्ताव के लिये निश्चित थी इसलिये उससे पूर्व आपने उन सदस्यों को रोक दिया है । क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाय कि प्रस्ताव के पक्ष में ८६ सदस्य खड़े न हो जायं और प्रस्ताव नियमानुकूल हो जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है मुख्य मंत्री को मालूम था कि १८ जुलाई, १९६६ को अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने वाला था और जिला अधिकारियों को भी मालूम था कि १८ तारीख को असेम्बली होने वाली है ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम २७४ (ख) में दिया हुआ है कि अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी और उसके आगे खंड (२) में दिया हुआ है कि यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन में पढ़ कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि समस्त सदस्यों के पंचमांश से अन्यून इस प्रकार खड़े हो जायं, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक १० दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करे, लिया जायेगा । यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करें कि उसे सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है ।

131803

इस तरह से यह प्रस्ताव सदन में केवल दो सदस्यों के दस्तखत से पेश किया गया था। एक श्री उग्रसेन और दूसरे श्री तेजभान सिंह और उनको १५१ में गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में जब तक पार्टी नहीं होती तब तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि १५१ में एक तो श्री तेजभान सिंह गिरफ्तार हुये तो दूसरे कौन व्यक्ति थे जिन से शान्ति भंग होने की संभावना थी।

दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह सोचने की बात है कि १२ जुलाई के बाद कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया अपोजीशन की तरफ से जिस से शान्ति भंग होने की आशंका हो। इस तरह से १२ जुलाई के बाद ऐसे सदस्यों को १५१, [illegible] बन्द किया गया। यह सोचने की बात है कि श्रीमन्, जब १२ को हमारा आन्दोलन खत्म हो गया तो उसके बाद ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहिये था कि उन्हें १०७, ११७ और १५१ में गिरफ्तार करके जेलों में रखा जाता। आई० पी० सी० के केसेज हैं, दूसरे सी० आर० पी० सी० के केसेज हैं जो १०७, ११७ ११२ में, वे अफेन्स नहीं हैं और जो इंडियन पेनेल कोड में होते हैं, वे आफेन्स में ट्रीट किये जाते हैं। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश न हो सके इसलिये उनको गिरफ्तार किया गया है और मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों से कह कर उनको जेल में रोक रखा है। इसलिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं ताकि हमारे साथ न्याय हो सके।

श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

जब १४५ आदमियों को गिरफ्तार किया गया तो मैं जेल पहुंचा। मालूम हुआ कि वहां बहुत गड़बड़ी फैली हुयी है और किसी की बेल और जमानत की कार्यवाही न करा सका।

श्री अध्यक्ष—

एक साधारण नियम है और वह सभी प्रजातांत्रिक देशों में स्वीकृत हो चुका है कि फौजदारी कानून के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसे सदन के विशेषाधिकारों के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह सदन जन कल्याण और जनता के लिये बैठा है। यदि सरकार के अधिकारी यह समझते हैं कि कोई सदस्य जन शान्ति को भंग करने वाला है, या उसके कारण समाज में अव्यवस्था पैदा हो रही है जिससे शान्ति भंग हो सकती हो और ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो कोई प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा एक मौलिक प्रश्न श्री कमला सिंह जी ने उठाया कि अनियमित कार्यवाही हो रही है। कोई व्यक्ति नियम के अन्तर्गत पकड़ा गया या अनियमित रूप से पकड़ा गया यह अदालत तय करेगी। परन्तु अगर कोई व्यक्ति बदनीयती से पकड़ा जाय जिस से सदस्य उसकी सेवाओं से वंचित हो, अर्थात् 'मैलाफाइडी' जिस शब्द का प्रयोग श्री कमलासिंह ने किया है अपनी नोटिस में, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या वह सदन में आकर कह सकता है कि मुझे माननीय मंत्री जी ने अपनी पुलिस द्वारा 'मैलाफाइडी' गिरफ्तार करवाया है? क्या उसके कथन मात्र से यह आवश्यकता पड़ जायगी कि मुकदमा तो अदालत में न चले और वह अपनी सफाई सदन के सामने दे? इस प्रकार का प्रश्न सदन में आया था और आदरणीय खेर साहब ने उसके ऊपर अपना निर्णय दिया था। अब दफा १८८ में उनको सजा हो चुकी है और १०७ और ११७ में गिरफ्तार हैं और बन्द हैं। मैं सदन के सामने इस सम्बन्ध में श्री खेर साहब की रूलिंग पढ़े देता हूं—

"७ फरवरी, १९६१ को श्री राजनारायण ने अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जिसमें उन्होंने पुलिस के ऊपर यह चार्ज लगाया कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने उनके सदन की सेवा करने से रोकने के लिये की थी और केवल बाद में उनके ऊपर एक चार्ज लगाया था जिसके अदालत में सिद्ध न होने के कारण वे छूट गये। श्री अध्यक्ष ने उस पर निर्णय देते हुये कहा—"मैंने यह कहा था कि इसके बारे में पहले मैं फैसला दे चुका हूं। उस पर शायद देवनारायण भारतीय जी ने कहा कि मैंने उस समय यह जिक्र किया था कि यदि

[श्री अध्यक्ष]

राजनारायण जी छूट गये अदालत से तो वैसी हालत में आप फिर से प्रश्न ला सकते हैं, बशर्ते कि यह बात सिद्ध हो जाय कि जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी मेलाफाइडी तरीके से हुई, बदनीयती के साथ की गई। मैं यह समझा शायद उनके कहने का मतलब यह है कि मैंने यह कह दिया हो कि मैलाफाइडी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ऐसा आक्षेप वे छूटने पर करेंगे तो उसके ऊपर यहां प्रश्न उठाने की इजाजत दे दूंगा लेकिन मेरे शब्द जो थे वह यह थे, मैं पढ़ कर सुना देता हूं—

'मैं इतना और कहने को रह गया कि प्रिविलेज का सवाल इसमें बाद में भी उठ सकता है। यदि यह मुकदमा चले और इसमें जो बहस आपने यहां की है वही अदालत में भी होती कि उन्होंने कोई कसूर तो किया नहीं, सिर्फ उनको सदन की सेवा से वंचित करने के लिये ताकि यहां पर आकर वे क्वेश्चन न कर सकें, यह मैलाफाइडी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा चार्ज अगर सिद्ध हो जाय वहां पर अदालत में....."इत्यादि।

अब इस से यह स्पष्ट है कि अदालत में आप प्रश्न उठायें कि मैलाफाइडी गिरफ्तारी हुई और अदालत में ऐसा चार्ज सिद्ध हो जाय, और सदस्य छूट जायं, तो यहां सवाल प्रिविलेज का उठा सकते हैं।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इसके पहले कि आप कोई व्यवस्था दें, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यह हम सबको मालूम है कि कुछ व्यक्ति छूटे हैं और कुछ छूट रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो छूट चुके हैं और यहां हैं किन्तु उसकी सूचना आपको नहीं है। एक अजीब स्थिति है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे सभी साथी कब छूट कर आयेंगे और हमारे साथ सदन में बैठकर काम करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

ये सारी गिरफ्तारियां जिले की अथारटीज द्वारा हुई हैं, जैसे जैसे वे समझते हैं, वैसे वैसे छोड़ते जा रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रार्थना की है कि वे कब तक छूट जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वे छूटते जा रहे हैं, यह अन्डर प्रासेस है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इसमें जो प्रश्न विशेषाधिकार का उठाया गया है वह बिलकुल नियमों के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैंने अभी खेर साहब की रूलिंग पढ़ी। मैं उसका अन्तिम भाग पुनः पढ़े देता हूं—

".....प्रिविलेज का सवाल इसमें बाद में भी उठ सकता है। यदि यह मुकदमा चले और इसमें जो बहस आपने यहां की है वही अदालत में भी होती कि उन्होंने कोई कसूर तो किया नहीं, सिर्फ उनको सदन की सेवा से वंचित करने के लिये, ताकि यहां पर आकर वे क्वेश्चन न कर सकें, यह मैलाफाइडी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा चार्ज अगर सिद्ध हो जाय वहां पर अदालत में.."

तो मैलाफाइडी का प्रश्न दो जगह एक साथ नहीं उठ सकता है, सदन में और अदालत में। यह प्रश्न अदालत में प्रस्तुत हो। यह बहस अदालत में ही हो। वहां पर मैलाफाइडी सिद्ध होने की दिशा में यहां उठाया जा सकता है। अब इस निर्णय को देखते हुये मैं इस सूचना की अनुमति नहीं देता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज हमारे पास ४-५ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का है, एक माननीय हरीशकुमार गंगवार का है, एक माननीय रामसुन्दर पांडेय का है, एक माननीय दौलतलाल का है, एक श्री ऊदल तथा श्री झिलमिटराम जी का है, एक श्री रामसुन्दर शास्त्री का है, एक श्री गयाप्रसाद का है, इसी प्रकार श्री भगवानसहाय, श्री बलवानसिंह, माननीय शिवचरण का भी है। इन सब में विषय एक ही है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष--

यदि होगा तो उसके बारे में आपको मालूम हो जायेगा।

माननीय नता विरोधी दल ने जो सूचना दी है, मैं समझता हूं कि उसमें समस्त अन्य सभी बातें समाविष्ट हैं, इसलिये उसको मैं पढ़े देता हूं--

"दिनांक १५ जुलाई को जब कि सचिवालय के कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों के लिये एक मांग पत्र मुख्य सचिव को देना चाहते थे उस समय उन समस्त कर्मचारीप्रतिनिधियों पर विधान भवन के भीतर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किया गया। इस अमानुषिक, अभूतपूर्व तथा लज्जाजनक लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप दर्जनों निरपराध कर्मचारी घायल हुये। उनमें से कई की हालत चिन्ताजनक है। इस घटना के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता मुख्य रूप से राजकीय कर्मचारियों में घोर असंतोष, उत्तेजना एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है। कर्मचारियों ने कार्यालय में काम करना ठप कर दिया है। सरकार की इस दमनपूर्ण नीति के विरुद्ध कल पूरे प्रदेश में जनता ने जनसंघ के तत्वावधान में दमन विरोधी दिवस मनाकर सभाओं द्वारा अपना रोष प्रकट किया। अभी तक घटना की न्यायिक जांच न प्रारम्भ कराने, घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को न हटाने तथा बन्दी कर्मचारियों को मुक्त न करने से उत्तेजना निरन्तर बढ़ रही है। परिणामस्वरूप शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा व्याप्त है।

अस्तु मैं प्रस्ताव करता हूं कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रस्ताव नियमानुकूल है और इसको मैंने स्वीकार कर लिया है और आज ४ बज से इस पर बहस होगी।

श्री अध्यक्ष--

सारी बातें इस में आ गयी हैं, अतः मैं इसकी अनुमति देता हूं। वह अनुज्ञा प्राप्त करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अनुज्ञा प्राप्त करूं दो शब्द आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं। १५ जुलाई, १९६६ को इस सरकार ने एक कलंक का नया इतिहास निर्माण किया, निहत्थे कर्मचारी, बर्बरता पूर्वक इस प्रकार लाठियों से मारे जायं क्योंकि वह अपनी न्याय-पूर्ण मांगें मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के सामने रखना चाहते थे, जिसका औचित्य उन्होंने स्वीकार किया। ऐसी परिस्थिति हो गयी है कि खून से सारा फर्श रंग गया और आज भी गिरफ्तारियां जारी हैं। घर में घुस कर मारा जा रहा है। सारा सचिवालय बन्द है और यह

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

विषय सारे देश में व्याप्त हो गया है। मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री की निष्क्रियता और मुख्य सचिव की मिसहैंडलिंग आफ सिचुएशन से सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। उन्होंने सारे प्रान्त के कर्मचारियों का विश्वास खो दिया है। मुख्यसचिव अब इसके योग्य नहीं कि वह यहां रहें।

श्री अध्यक्ष--

अनुज्ञा आप मांग रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं इन कारणों से अनुज्ञा मांगता हूं। आगे जब अवसर आयेगा तब कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

कोई आपत्ति है इस सम्बन्ध में ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

इस पर कोई आपत्ति नहीं है इसलिये यह स्वीकार किया जाता है। यह चार बजे या इसके पूर्व यदि आज का कार्य समाप्त हो जाये, लिया जायेगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना अहम है कि आज की सारी कार्यवाही रोक कर इस मामले पर बहस करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन का तरीका एक यह है कि एक निश्चित समय तक कार्य रोका जाता है। उसका मतलब दिन भर से नहीं है। उसमें दिक्कत होगी। नियम में लिखा हुआ है कि चार बजे लिया जाये या इससे पहले, यदि दिन का कार्य समाप्त हो जाये तो उस समय ले लिया जाये।

श्री भगवान सहाय--

मैं नियमों की बात मानता हूं, लेकिन यह सदन अपने नियमों का खुद मालिक है जो नियम चाहे बना सकता है। जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है। मैं कहता हूं कि आपका आज का जो नार्मल काम है उस को रोक कर इस मामले की अहमियत को देख कर यह सदन इस मामले को अभी ले और सारे दिन बहस करे और आवश्यकता पड़े तो दो चार घंटे समय बढ़ा भी दे।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

हजारों आदमी बन्द किये गये, लाठी चार्ज हुआ, गोलियां चलीं और बहस नहीं होगी, तो किस बात के लिये एसेम्बली है? कोई बहस नहीं, मुबाहसा नहीं, काहे के लिये यह सब हो रहा है? चार बजे दो घंटे के लिये होगा और उसके बाद मामला खत्म।

श्री अध्यक्ष--

यह सदन अपने प्रोसीजर का मालिक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सदन ने जो अपना प्रोसीजर अंगीकार किया है उसको बरतरफ कर दे। अगर ऐसा होता तो नियम ३१५ की आवश्यकता न होगी। मौलिक सिद्धान्त से पढ़कर सुना दूंगा। मास्टर आफ प्रोसीजर का मतलब यह है कि जहां पर कोई नियम न हों वहां पर जैसा उचित समझे आप कर लें, लेकिन जहां नियमों से बंध गये हैं वहां पर नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। बिलकुल निश्चित रूप से यह है। नियम ६२ में यह है "यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाये तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा

पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाये, उस प्रस्ताव को लिया जायेगा।" आगे नियम ६३ कहता है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा, यदि पहले समाप्त न हो जाये, प्रारम्भ होने से दो घंटे पूरे होने पर आप से आप समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

एक निवेदन सुन लें। नियम ३१५ आप देखें। उसमें यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये। इस नियम के अन्तर्गत बहस साढ़े १२ बजे हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसी बात न कहिये। कार्य-स्थगन के बारे में कहीं ऐसा निलम्बन हुआ है दुनिया में?

बांदा गोली काण्ड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखपतराम शर्मा ने दो विषय एक साथ कर दिये हैं। उसी तरह माननीय रामकिशोर ने दोनों विषय एक साथ कर दिये हैं। इसलिये अस्वीकार हुये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव बांदा हत्याकांड के सिलसिले में दिया था जो हत्याकांड १२ तारीख को उत्तर प्रदेश बंद होने के सिलसिले में हुआ था। जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद एक सौ पचास चक्कर गोलियां चलाईं, वहां के वकील ने हस्तक्षेप किया तो उनको बार से निकाल कर पीटा गया।

श्री अध्यक्ष—

जब एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो दूसरा नहीं आ सकता।

यदि आप सदन में कुछ कहें तो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिये। आप क्या चाहते हैं? आप कारण वर्णन करना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। नियम यह है कि एक से अधिक कार्यस्थगन प्रस्ताव लिया नहीं जायेगा। तो आप क्या चाहते हैं?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो। आज सदन अपना कार्य रोके और इस पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष—

दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उसके लिये कल का दिन निश्चित कर दें यह आप के विवेक में है।

श्री अध्यक्ष—

कायदा यह है कि एक दिन में एक ही लिया जा सकता है। बाकी बहस यह है कि उसको मैं कल के लिये मुकर्रर कर दूं। उस सम्बन्ध में सन् १९३७–३९ की एक रूलिंग है जिसका तात्पर्य

[श्री अध्यक्ष]

यह है कि अगर एक से अधिक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ जायें और अगर कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हो, और वह अगले दिन आये, तो उसको इस बुनियाद पर नहीं खारिज करेंगे कि वह विलम्ब से आया, लेकिन उसका विचार आज नहीं कर सकूंगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

नेता विरोधी दल को पहले बांदा गोली कांड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये था। आपको पहले बांदा गोली कांड का कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेना चाहिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मुझे तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया किन्तु मुरादाबाद में पानी न बरसने के कारण उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री रियासत हुसैन की सूचना को मैं मंत्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

आचार्य जुगल किशोर तथा नवाबजादा सैयद जुल्फिकार अली खां का सदन की सदस्यता से त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को एक सूचना देनी है। आचार्य जुगल किशोर तथा श्री जुल्फिकार अली खां ने क्रमशः ७ जून, १९६६ तथा १४ जुलाई, १९६६ के पूर्वान्ह से सदन की सदस्या से त्याग-पत्र दे दिया है।

प्राक्कलन समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

आचार्य जुगल किशोर के सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप प्राक्कलन समिति में एक रिक्त स्थान हो गया है जिसकी पूर्ति के लिये निर्वाचन होगा। निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :—

नाम निर्देशन	..	दिनांक २२ जुलाई, १९६६ को सायंकाल ४ बजे तक
निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	..	दिनांक २३ जुलाई, १९६६ को अपरान्ह १ बजे
नामों की वापसी	..	दिनांक २९ जुलाई, १९६६ को सायकाल ४ बजे तक
चुनाव (यदि आवश्यक हुआ)	..	दिनांक ३० जुलाई, १९६६

लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार के विरोध में प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन से मैं एक निवेदन कर दूं कि माननीय भानु प्रतापसिंह तथा माननीय अब्दुल हबीब ने उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार १९६५ के पास होने के संबंध में विरोध-पत्र भेजे हैं। इस पर प्राप्त हुये विरोध-पत्रों की संख्या एक लाख पांच हजार तीन सौ तैंतीस है। उनको चाहिये था कि याचिका के रूप में रखते, लेकिन नियम के अन्तर्गत याचिका न होने के कारण इनको याचिका समिति को नहीं भेज रहा हूं।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय मंत्री जी, इस सप्ताह का कार्यक्रम बताने की कृपा करें ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्यक्रम मैं घोषित कर रहा हूं । दिनांक १८ जुलाई, १९६६ को अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना, १९६५ के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा । दिनांक १९ जुलाई, १९६६ को भारत का संविधान के अनुच्छेद ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का विचार जानने के लिये राष्ट्रपति महोदय के दिनांक ४ जून, १९६६ के आदेश के साथ पारित दिनांक ७ मार्च, १९६६ के निर्देश के साथ प्राप्त दि बिहार एन्ड उत्तरप्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ से सहमत है पर विचार । दिनांक २० जुलाई, १९६६ को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण; दिनांक २१ जुलाई, १९६६ को प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उसका पारण । दिनांक २२ जुलाई, १९६६ को गैर सरकारी दिवस ।

बांदा गोली काण्ड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदा गोली कांड में आप अपना निर्णय सुरक्षित रख रहे हैं या कल अपना निर्णय देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अगर वे कोई वक्तव्य देना चाहे तो दे दें, वैसे कल उस पर विचार होगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

बांदा गोलीकांड को आप ने प्राथमिकता नहीं दी है इससे मैं सदन त्याग करता हूं ।

(श्री भगवान दास यादवेन्दु ने सदन का परित्याग किया ।)

मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को स्थगित कर दीजिये क्योंकि प्रस्तावक महोदय उपस्थित नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि जिस सदस्य ने प्रस्ताव किया है वह स्वयं उपस्थित हों । नियमों में जहां दिया है कि सदस्य उसको प्रस्तुत करेगा, वहां मजबूरी है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अगर आप कृपा कर नियम पढ़ें तो आप को मालूम हो जायगा कि नियमों में दिया हुआ है कि जो सदस्य उस को प्रस्तुत करेगा उसको उस दिन का अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी ।

श्री अध्यक्ष—

२७४ (२) में है "यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे, और यदि समस्त सदस्यों के पंचमांश से अन्यून इस प्रकार खड़े हो जायं, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक १० दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करें, लिया जायेगा। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर आपसे गौर नहीं किया। एक पक्ष में आप ने स्लिंग दे दी कि वह मैलाफाइड था या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

प्रक्रिया नियमावली में है कि सदस्य की उपस्थिति जरूरी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने इस हाउस में परिपाटी बना रखी है कि जो सदस्य सदन में अनुपस्थित हैं उनका प्रश्न नहीं लिया जाता। दफा ५२ में भी आप उसे नहीं पढ़ते। तो ऐसी परिपाटी इस सदन में सदा चली आ रही है। अब अविश्वास के प्रस्ताव को लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नियमावली के नियम २७४ (ख) में इसका उल्लेख है कि:—

"अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी।" सदस्य को अब अनुज्ञा मांगने का दिन नियत है और प्रस्ताव आप के पास उसने भेज दिया अनुज्ञा के लिए, तो वह प्रस्ताव देने वाला सदस्य जेलखाने में है तो मैं समझता हूं कि प्रस्ताव उपस्थित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप के लिए यह सब से दिक्कत के लिए है, श्रीमन्, कि आप ने अभी पढ़ा कि इधर के बैठने वाले जो विरोधी दल के हैं उनमें से १९ सदस्य आज भी जेलखाने में पड़े हुए हैं। उनकी ओर से सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है। आपकी ईमानदारी की बात यह है कि हाउस का नियम मानना चाहिए। जिन्होंने प्रस्ताव भेजा है उनमें से १९ आज भी जेलखाने में पड़े हैं। ऐसी अवस्था में उनके प्रस्ताव को उपस्थित कर देना मैं समझता हूं कि आप की कुर्सी के लिए अच्छा नहीं है। आपसे साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन में जो परिपाटी चली आ रही है उसी को निभायें और अविश्वास के प्रस्ताव को आज न लें। श्रीमन्, इस प्रकार के आग्रह को कई बार सदन में स्वीकार किया गया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपकी यह व्यवस्था है, श्रीमन्, कि जो सदस्य प्रस्ताव रखता है वह अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में वह प्रस्ताव गिर जायगा। उसके लिए इंतजार नहीं किया जायगा ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं स्वयं इसका भुक्त भोगी हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तावक न मौजूद हों तो वह अस्वीकृत हुआ है—क्या कोई ऐसा मिसाल है ? आपका तो आग्रह यह होना चाहिये कि जिन महानुभावों ने यह प्रस्ताव रक्खा है वह उपस्थित नहीं हैं अतः यह अस्वीकार किया जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने अभी तक यह समझा है कि चूंकि उग्रसेन जी यहां मौजूद नहीं हैं, अतः यह प्रस्ताव गिर जायगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक है कि आप ने जिन नियमों के अन्तर्गत इसको लिया है उसमें सदस्यों को यहां उपस्थित होना चाहिये। इसका, श्रीमन्, एक्सेप्शन भी हो सकता है और यह विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है क्योंकि आज की विशेष परिस्थिति शायद ही आप के सामने या सदन के सामने कभी आई हो। जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है उसी के कारण यह विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग जेलखाने के सींकचों के अन्दर हैं और वे यहां उपस्थित होने में असमर्थ कर दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विवेक का ऐसे समय में इस्तेमाल करें और इस कुर्सी की मर्यादा को देखते हुए सरकार ने जो ज्यादती की है उसकी रक्षा करें तथा हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को तब ही लें जब माननीय सदस्य जेलखाने से आ जायं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि इस प्रस्ताव को आप देखें कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में यह भावना न पैदा हो जाय कि चूंकि लोगों ने यह अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा है इसीलिए सरकार ने इनको बन्द कर दिया। मैं समझता हूं कि सरकार के हक में यह बात है कि जब माननीय उग्रसेन जी आ जायं तब यह प्रस्ताव ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं बता दूं कि यह प्रस्ताव चाहे एक व्यक्ति के द्वारा आये, लेकिन वह प्रस्ताव, प्रस्ताव का रूप, उस समय धारण करता है जब इस सदन के पंचमांश सदस्य उसका समर्थन करें। प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या यहां पंचमांश व्यक्तियों की मांग है या नहीं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाय? आप यह कहने को तैयार नहीं हैं कि वह मौजूद नहीं हैं तो न लिया जाय या व्ययगत किया जाय। आप यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि अनुपस्थित व्यक्ति अपने प्रस्ताव को रखने के लिए अगर तैयार नहीं है तो यह नहीं लिया जा सकता एक व्यक्ति जो कि जुर्म में जेलखाने में बन्द हैं उस व्यक्ति के लिये इंतजार करें कि वह आ जाये तब प्रस्ताव को लिया जाय, यह शोभा की बात नहीं मालूम होती। जो व्यक्ति अविश्वास का प्रस्ताव रखें और स्वयं न उपस्थित हों, उसका प्रस्ताव तो गिर जाना चाहिए।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन, नियम २७१ (२) आप देख लीजिये। उसमें स्पष्ट है कि "जिस सदस्य के नाम में वह प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अनुज्ञा मांगेगा"। जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव है वह उपस्थित होकर अनुज्ञा मांगने के लिए प्रस्ताव उपस्थित करेगा। जिसके नाम में प्रस्ताव है वह नहीं है तो वह प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकता। कोई इसका प्रश्न ही नहीं उठता, लिहाजा वह व्ययगत हो गया।

श्री अध्यक्ष—

नियम २७१ जो है वह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

वह २७० है।

श्री अध्यक्ष—

२७० का २७१ से सम्बन्ध है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

२७४ (क) आप देखिये। अनुज्ञा है प्रस्ताव करने की। कौन मांगेगा वह अनुज्ञा? उसको नियम २७२ कवर करता है। प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तो उसी दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मांगी जायगी।.....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

नियम २७० से लेकर २७४ तक जो नियम हैं वे कदाचित् माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में हैं। यहां उन को कोट नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---

जब आवश्यकता होगी आपसे पूछ लिया जायगा। आप बैठ जाइये।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जिसके नाम से प्रस्ताव आया है वह यहां मौजद नहीं है अतः वह समाप्त हो गया, लैप्स हो गया। उसको तो आप स्वीकार ही कर सकते हैं और अंगीकार ही कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह.....

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जब प्रस्तावक लौट कर आयें, तब लिया जायगा?

कुंवर श्रीपालसिंह---

जी नहीं, वह समाप्त हो जाय, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव दुबारा नहीं आ सकता, यह प्रतिबन्ध इसमें नहीं लगाया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मैं नियम २७४ (ख) तथा उसके उप-नियम (२) की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। उसमें दिया हुआ है कि:---

"अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी।"

इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपको सूचना दी गई है और यह सूचना लिखित रूप से माननीय उपसेन जी तथा माननीय तेजभान जी ने दी है, और वह सदस्य मौजूद नहीं हैं जो अनुज्ञा मांगने वाले हैं, तीसरा व्यक्ति सदन में अनुज्ञा मांग नहीं सकता।

श्रीमन्, आप खंड (२) भी देख लें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कमलासिंह जी, आपका कन्टेन्शन क्या है?

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, जब कि वे सदस्य जो अनुज्ञा मांगने के अधिकारी हैं वे अनुज्ञा ही नहीं मांग सकते, तो यह प्रस्ताव लिया ही कैसे जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---

अगर वह उपस्थित न हों?

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, वे अनुपस्थित सदस्य सरकार की साजिश से जेल के अन्दर बंद कर दिए गए ह ताकि यह प्रस्ताव गिर जाय। श्रीमन्, आप हमारे रक्षक हैं। सरकार को चाहिए कि सही कन्टेन्शन लाका होना चाहिए। खंड (२) में दिया है कि यदि माननीय अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़ कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों वे अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि सदस्यों के पंचमांश से अन्यून इस प्रकार खड़े जो जायं तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है। तो श्रीमन्, जब तक सदन से अनुज्ञा न मांगी जाय तो आप कैसे फैसला करेंगे? चूंकि सरकार की साजिशसे दोनों जेल में बन्द कर दिए गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव तब तक न उपस्थित किया जाय जब तक वह दोनों आदमी रिलीज होकर प्रस्तुत न हों।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई सदस्य विवशता से, जिस विवशता का उत्तरदायित्व स्वयं उस पर न हो राज्य पर हो, उपस्थित न हो सके तो उसके प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, यह तो समझ में आ सकता है लेकिन जो माननीय कमलासिंह जी ने कहा, कि कोई व्यक्ति किसी फौजदारी के जुर्म में कारावासित हो जाय तो उसके संबंध में भी यह मानना चाहिए कि वह अपने कारण नहीं, अपितु राज्य के कारण अनुपस्थित है ठीक प्रतीत नहीं होता। जो राज्य के कानन के विरुद्ध चल कर अव्यवस्था करता है राज्य भी, मजबूर होकर ऐसे व्यक्ति को यथोचित दण्ड देता है। जब दोनों माननीय सदस्य कानून तोड़ने के कारण बन्दीकृत हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उनकी अनुपस्थिति का उत्तरदायित्व उन पर नहीं है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायं.... (व्यवधान, श्री ऊदल के न बैठने पर)

आप यदि नहीं बैठते तो कृपया सदन छोड़ें।

श्री ऊदल—

मैं बैठता हूं। श्रीमन्, आप प्रजातंत्र के प्रहरी हैं लेकिन....

श्री अध्यक्ष—

अब नियम २७१ के बारे में निवेदन कर दूं। जहां तक अध्यक्ष को हटाने के संकल्प का जिक्र है वह संकल्प है जो २७१ में प्रस्तुत होता है। उसमें लिखा हुआ है कि उस संकल्प की सूचना देना चाहिए। उसी संकल्प का २७१ में उल्लेख है। संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुज्ञा २७१ में मांगने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि २७० में दिया हुआ संकल्प, २७१ में किस प्रकार प्रस्तुत होता है विदित है। उसके बाद २७३ में उसी के संबंध, में भाषणों का समय नियत किए जाने का प्राविधान किया गया है। आप यह नहीं कह सकते कि नियम २७०, २७४ के संबंध में भी लागू होता है। नियम २७४ का मतलब यह है कि जब मैं एक बार २७४(१) में सम्मति दे दूं तो २७४(२) में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सदन अनुज्ञा देगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

२७४ (क) कहता है ...

श्री अध्यक्ष—

इस पर बार-बार बहस नहीं हो सकती। आप बैठ जायं। अब सिर्फ एक प्रश्न रह जाता है। माननीय राम सुन्दर पांडेय कहते हैं कि उसी दिन यह प्रस्ताव होना चाहिए। ..... (शोर).

प्रश्न यह है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जो अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वह खड़े हों। (शोर)

एक सदस्य—

कोई नहीं खड़ा होगा।

(किसी के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

तो यह प्रस्ताव गिर गया है।

अब यह विषय समाप्त हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप ने सदन की जो परम्परा रही है उसको तोड़ा है। उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(इस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गए। साथ ही जनसंघ दल, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी एवं निर्दलीय दल के सदस्य भी सदन त्याग कर चले गए।)

अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना, १९६५ की जांच रिपोर्ट पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब अयोध्या पीपा पुल दुर्घटना के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या काण्ड में जो जांच हुई है, उसके बारे में अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई हजार व्यक्तियों का जो आए हुए थे रामनवमी की तिथि में उनका निधन हुआ, वह प्रदेश के लिए बड़ी दर्दनाक-पूर्ण घटना थी और उस जांच के विषय में, मैं दो तीन बातें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। एक तो जो समिति बनाई गई थी इसका निर्णय करने के लिए उस समिति ने कुल ४४ बैठकें कीं और बड़े दुःख की बात यह है कि उसमें से २५ बैठकें फैजाबाद में और १९ बैठकें लखनऊ में हुई। मान्यवर, इस दुर्घटना में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा आदि के यात्री जो तीर्थ करने के लिए आए हुए थे उनका निधन हुआ। इन बैठकों में साक्ष्य के लिए जिन लोगों को बुलाया गया वे अधिकतर लखनऊ में आने के लिए बाध्य किए गए और आप यह समझ सकते हैं कि बस्ती से चलकर वे लोग अपना पैसा देकर लखनऊ नहीं आ सकते थे। जिन लोगों को पुलिस ने चाहा वह साक्ष्य के लिए आ सके। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि किसी भी प्रकार से न्याय की रक्षा नहीं की जा सकी। वहां पर जो लोग न्याय के लिए आना चाहते थे वहां के किसान लखनऊ तक का किराया खर्च करके लखनऊ नहीं आ सके। आवश्यकता इस बात की थी कि यह कमीशन जो अपनी बैठकें लखनऊ में कर रहा था वह बस्ती या उसके आस पास करता। पुलिस अधिकारियों को रिफरेंस दिया जाता था और जनता के साथ घोर अन्याय हुआ। अभी बांदा में जो एक काण्ड हुआ है मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर भी एक हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया गया। यह तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह जो समिति बनी हुई थी, उसमें सिटी मैजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगरपालिका के एग्जीक्युटिव आफिसर, सहायक अभियन्ता, निर्माण विभाग आदि अफिसर रखे गए थे। इस समिति का कार्य था कि वह बचाव कार्य करती जिससे कि वह पीपे का पुल न टूटता। जितने अधिकारी थे वे लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर सके थे। इसी प्रकार के काम करके अपने देश के प्रदेश के अधिकारियों ने सैंकड़ों प्राणियों की जान लीं। जिन्होंने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई।

दूसरी बात भी तक दुर्घटना जो पीपे के पुल पर हुई उस दुर्घटना के २ स्थल बताए गए हैं। दोनों स्थानों की घटना के बारे में मतभेद रहा ही है यानी कि २ स्थान पर और एक स्थान जहां पर कि मुख्य पुल पर पीपा लगा हुआ था सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और जिला मैजिस्ट्रेट में इस बात पर मतैक्य नहीं रहा कि यह दो स्थानों पर दुर्घटना हुई कि एक स्थान पर दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण हुई। एक बात, जहां इस रिपोर्ट में बताया गया है जैसा कि इसमें जौनपुर जिले के एल०आई० यू० की रिपोर्ट में चौधरी तेली, श्रीनी मंजोजरी आदि इन लोगों का नाम लिया गया है कि इन लोगों को लेकर के पांच आदमियों को पुलिस ने बचाया परन्तु इनको साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया कि पुलिस ने इनको बचा कि नहीं बचाया और यह स्पष्ट है कि पुलिस ने उन्हीं लगों को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया जिनको कि वह चाहती थी। जिनके साथ घोर अन्याय रहा उनको साक्ष्य के लिये नहीं बुलायाया। इस प्रकार इस जांच समिति ने एक अपना जो निष्कर्ष दिया है उसने इस दुर्घटना के लिए एस० पी० अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया। मैंने देखा दूसरी रिपोर्ट को और अपने मित्रों मिलने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर ये अग्रवाल मटरगस्ती न करते रहते और अगर वे सतर्क रहे होते तो वे घटनास्थल पर तुरन्त पहुंच कर सतर्क रहकर काम कर सकते थे, परन्तु उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। जहां पर कि ७ लाख और १० लाख के करीब तीर्थयात्री प्रति वर्ष सरजू में स्नान करने आते हैं जो कि सदैव की परम्परा है वे इस काण्ड में हजारों की संख्या में क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी सारी जिम्मेदारी मेला अधिकारियों पर थोप कर जिला अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं। इस जांच में लीपा पोती काफी की गई और यह पर जिला अधिकारियों ने अपने को बचाने की कोशिश की कि जब महामहिम राज्यपाल वहां आए तो उनकी व्यवस्था छोड़कर मेले के काम में लग गये। मेला अधिकारी और जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी सब लोग राज्यपाल महोदय की सेवा में लगे हुए थे और वे लोग घटनास्थल में नहीं पहुंच सके थे। ठीक मौके पर अगर ये लोग घटनास्थल पर पहुंच गए होते तो दुर्घटना न होती। ६ व्यक्तियों की एक कमेटी बनी हुई थी मेला व्यवस्था के लिए कि इस मेले की व्यवस्था करें। यह रिपोर्ट में कहीं भी नहीं प्रतीत होता कि ये यात्रियों को एक जगह पर एकत्रित होने से रोकें। अन्त में मैं समझता हूं कि यदि पहले से यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग तथा मेला अधिकारी सतर्क रहते तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था और सारी दुर्घटना इन लोगों की अदूरदर्शी नीति, इनकी अकर्मण्यता और इनके कार्य-अक्षमता कारण हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है सदन उस पर फिर से विचार करना चाहिए। जो लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं उन सबकी रक्षा का उत्तरदायित्व लोगों के कन्धों पर डाला गया था इस प्रकार से उनको दण्डित किया जाना चाहिए जिससे कि इस काम की पुनरावृत्ति न हो।

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

*श्री नरसिंहनारायणपांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अयोध्याकाण्ड के बारे में जो जांच समिति नियुक्त की गई थी उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। ११ अप्रैल को यह घटना घटी राम नवमी के मेला के दिन। ११ अप्रैल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

को यह निश्चय हुआ कि एक मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी की जाय और एस० डी० एम० साहब को यह काम सौंपा गया और इसलिए बोर्ड आफ रेवेन्यु के एक मिस्टर लाल को नियुक्त किया गया उन्होंने एक जांच कमीशन के तरीके से काम करना शु किया और उनके सामने कुछ टर्म्स आफ रिफरेंस थे कि आयोग के निम्नलिखित घटनाओं के बारे में जांच करेगा। उसमें जो टर्म्स आफ रिफरेंस दिया गया, उसमें पहले दिया गया स घटना से संबंधित यह आधारित करना कि यातायात के तथा अन्य प्रबंध व्यवस्था से पर्याप्त था या नहीं, यह निर्धारित करना कि पीपे के पुल के निर्माण में कहीं पर कमी थी या नहीं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आयोग सुझाव देता जिससे ऐसी दुर्घटना फिर न हो सके। बीचन् जो टर्म्स आफ रिफरेंस तय किया गया इसी के बारे में कुल ८४ गवाही गुजरीं जोकि विभिन्न जिलों के आयी हुई थीं और इसी के ऊपर अपना निर्णय इस जांच कमीशन ने दिया, जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं कि जहां तक दुर्घटना के मुख्य काम का संबंध है दोनों तरफ से यातायात पुल के पास धूमधाम हो गयी थी और पुल के दोनों सिरों में से साइड व्यवस्था नहीं की गई थी। पीपे का पुल भीड़ से झुका हुआ था इसलिए भीड़ के दबाव से टूट गया क्योंकि वह रेलिंग के खम्भों के वश में नहीं था। जहां तक निर्णय का संबंध है यह बात बिकुल सर्वविदित है कि वहां जो पीपे का पुल बनाया गया था उसमें ७१ बड़े-बड़े पीपे खड़े किए गये। इसके ऊपर श्रीमन् अगर आप गौर करेंगे तो जो पीपा बांधा गया था वहां पर लोहे की लंगर बांधी जानी चाहिए थी। जो आयोग की रिपोर्ट है इससे साफ विदित है कि जो मजबूत रस्सा था वह टूट गया। यह किसकी जिम्मेदारी थी, मैं समझता हूं पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के जो अधिकारी वहां पर नियुक्त थे उनकी जिम्मेदारी थी कि मेले के दिन कम से कम ७ लाख भीड़ होती है उस पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिये थी। वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो भी जिम्मेदार पाए गए हैं मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं इसमें बहुत से लोगों का नाम लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को भी डार्क में रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो अधिकारी जांच कमीशन की रिपोर्ट में आए हैं वह किसी भी डिपार्टमेंट के हों कोई भी सरकारी अधिकारी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और जो सुझाव आए हैं उनको सरकार को कार्यान्वित करना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार को इस रिपोर्ट को देखते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये कि आगे को कोई ऐसी घटना न होने पावे।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज विचार का विषय जो अयोध्या में दुर्घटना हुई, उस पर है। इससे विदित है कि हमारे अधिकारीवर्ग कितना दायित्व निभाते हैं जिनको काम सौंपा जाता है। दुर्घटना के विषय को जांच समिति ने कई हिस्सों में बांटा है, दुर्घटना कब हुई, कैसे हुई और उसके बचाव के लिए क्या साधन वहां पर थे। यह निश्चित है कि वह पुल अस्थायी हुआ करता है और इसी प्रकार हर साल उसका रामनौमी प्रयोग हुआ करता था। अब सौभाग्य से पक्का पुल बन गया है और आशा की जाती है कि ऐ दुर्घटना भविष्य में संभव न होगी। जो अधिकारी वहां पर थे उनमें एक तो पी० डब्ल्यू० के अधिकारी थे और पुलिस तथा सिविल आफिसर्स थे। व्यवस्था के लिए जो समिति बनायी थी, दुर्घटना के बाद, इन दोनों में संघर्ष हुआ। दोनों पक्ष पी० डब्ल्यू० डी० और एग्जेंटिव दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना चाहते थे और यह चाहते थे कि एक दूसरे के ऊपर यह दोष जाये। उन्होंने अलग-अलग दो समितियां बनायीं, एक पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से और दूसरी एक्जीक्यूटिव विभाग की ओर से। दरअसल जो समिति का लक्ष्य था वह यह था कि तथ्यों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जांच कर के इस निर्णय पर पहुंचे कि इसका दायित्व किस पर छोड़ा जाय । समिति ने देखा कि जहां तक मेले का संबंध था न वहां पर कोई पुलिस थी और न आदमी गिरने के बाद बचाव का कोई साधन था । एक भी नाव वहां पर न थी । इससे समझा जा सकता है कि हमारे आफिसर्स अपना दायित्व कहां तक निभाने की कोशिश करते हैं । इसी रिपोर्ट में आया है कि राम लाल जो वहां के एस० डी० ओ० हैं उनको इन्तजाम के लिए पीपे के पुल के किनारे पर रखा गया था । कहां पर दुर्घटना हुई, यह बाद में बताऊंगा परन्तु यदि १३–१४ पीपों के बाद दुर्घटना हुई, मान लिया जाय, तो वह आध घंटे के बाद पहुंचे । यह पृष्ठ १३ पर दिया हुआ है । फनेल हेड से १३–१४ या १८ पीपे पर दुर्घटना हुयी । वहां पर पहुंचने के लिए आध घंटा राम लाल को लग गया । दूसरे मेहरोत्रा जी हैं, वह पहुंचे ही नहीं । हमारे अफसरों को जो दायित्व निभाने के लिए दिया जाता है उसके निभाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि अपने परिवारवालों को घुमाने की फिक्र में रहते हैं । इससे बिलकुल स्पष्ट है कि १४ पीपे पार करने के लिए एक घंटा लग गया । यह दुख का विषय है कि जांच समिति इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी कि घटना कहां हुई थी और घटना कैसे हुई । इस पर मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालूंगा । हमने दरख्वास्त दी कि कहीं पर भी पुल पर वेट डाला जाय वह नहीं टूटेगा । पीपे के पुल का निर्माण एपेंडिक्स १२ पर दिया हुआ है । तीन मोटे-मोटे गर्ड्र्स हर पीपे में नाथे जाते हैं, कम से कम ४ इंच डायमीटर के हुक्स लगाये जाते हैं जो टूट नहीं सकते । दुर्घटना पीपे के पुल पर हुई और यह बयान में आया हुआ है कि पीपे का पुल धंस गया । यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है, पीपा या तो अलग हो गया या टूट गया हो, क्योंकि पीपे का पुल एक दूसरे पीपे से लसा हुआ होता है । बोझ पड़ने पर हिलता हुआ दिखायी देगा । टूटने की बात कहीं नहीं है । गवाहों ने कहा है कि उनके पैरों तक पानी आ गया था । यह स्थिति उत्पन्न हुई है इसलिए कि या तो वोल्ट नहीं लगे हुए थे या पुल नीचे चला गया । पुल दब इसलिये गया कि वह ठीक से कसा नहीं गया । गवाही में आया हुआ है कि तीन पीपों १५, १६, १७ का अलग वर्ग बना हुआ था वहां पर जो नावें पास होती थीं उनका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता था । एग्जिक्युटिव इंजीनियर के बयान में आया है कि न कोई सामान वगैरह लाया जाता है न लिखा जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—]

माननीय तिवारी जी, आप थोड़े में मेले की बात कह दीजिए ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—]

उनके यहां रिकार्ड ही इसका [नहीं रहता कि कितना सामान दिया जाता है । उन्हें एक एक पैसे का रिकार्ड रखना चाहिए था कि कितना सामान आया और कितना इस्तेमाल हुआ । लचीला पुल होने के नाते नीचे जरूर चला जायगा लेकिन इतना लचीला नहीं हो जायगा कि पुल के नीचे पानी आ जायगा । इन्जीनियर महोदय जो कि रस्तोगी हैं उसको १३ नम्बर और १९ नम्बर अलग-अलग ले जाने की कोशिश की है और जैसा माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा है कि रस्सी खराब थी डण्डे खराब थे वह तो खराब थे ही, उसके विपरीत कहा जाता है कि बोझ से गिरा कि सिंगिल ट्रैफिक नहीं थी, डबुल ट्रैफिक हो गई । जिस समय दुर्घटना होती है वहीं भीड़ पीछे हटती है लेकिन जहां पर डबुल भीड़ होती है वहां पर पुल नहीं टूटता है । इससे यह बिलकुल निश्चित है कि दुर्घटना हुई है उसी पुल ही के बीच में जहां किसी कारण से भीड़ बढ़ी और वह पुल दब गया । जब एक तरफ खाली हो गया तो दूसरी तरफ भी गिर गया । पुल पर घटना पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है । वहां पर कोई नाव, कोई मल्लाह नहीं था । पी० डब्ल्यू० डी० के पास भी नाव होती है फिर भी वहां पर कोई परवाह नहीं की गई । जैसे कि कुछ बयान आये हैं कि जिन लोगों का नाम लिया गया है उनको साक्ष्य में क्यों नहीं रखा गया है ? उसमें जो लोग मरे हैं अफसरान की लापरवाही से मरे हैं । ये जो सिटी मैजिस्ट्रेट साहब हैं वे ८ घंटे बाद वहां पर पहुंचे जब कि लोग वहां पर

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

आधे घंटे में ही पहुंच जाते हैं। वे आठ घंटे कहां पर थे ? तो यह सुझाव था कि वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अवसर पर जाने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा तादाद में करें।

*श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, १० अप्रैल, १९६५ को जो अयोध्या में घटना घटी उस दिन लगभग ४०० व्यक्ति थे और उनमें से कुछ की जाने गईं। आयोग ने अपनी ५४ बैठकें कीं। १९ लखनऊ में हुई और शेष फैजाबाद में हुई। यह मुनासिब था कि कुछ बैठकें बस्ती में भी की जायं, लेकिन वैसा न किया गया। जो पक्ष सामने आये हैं उनसे स्पष्ट है कि इस मेले की व्यवस्था में बड़ी दुर्व्यवस्था की गई। जो इंजीनियर साहबान थे उन्होंने भी अपने कार्य में बड़ी रुचि से काम किया। यह घटना ८ बजे दिन में हुई और उस समय कोई सूचना जिलाधीश को या कोई अफसरान को नहीं दी गई थी। साढ़े आठ बजे के बाद जो वहां के मैजिस्ट्रेट साहब कंट्रोल रूम में थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि कोई दुर्घटना हो गई है। इसके माने यह नहीं है कि जानें गई हैं। यह बड़े दुख का विषय जरूर है। जिलाधीश औरबड़े पुलिस अधिकारियों का ध्यान उस तरफ साढ़े ९ बजे गया। जैसा कि बयान में कहा गया है कि शंकर सिंह और बस्ती के कुछ वकील साहब आये और उसमें काफी आदमी मर गये हैं। जहां तक उत्तरदायित्व का संबंध है आयोग ने यह लिखा है कि इसका उत्तरदायित्व श्री अग्रवाल पर है क्योंकि श्री अग्रवाल साढ़े ९ बजे दिन में पहुंचे। आयोग ने यह बता दिया कि जिला अधिकारी घटनास्थल पर साढ़े ९ बजे पहुंचे। आयोग ने यह निश्चय किया है कि जिला अधिकारी काफी समय, ४ घंटे तक कंट्रोल रूम में नहीं पहुंचे और न उन्होंने खबर ली और न कोई सूचना दी। दूसरी बात जोकि मेले में पुलिस का इन्तजाम था इस संबंध में भी आयोग ने निर्णय लिया है। उन्होंने यह कहा है कि पुलिस का इन्तजाम अपर्याप्त था। अधिशासी अभियन्ता, श्री रस्तोगी, ने कंट्रोल रूम में यह खबर भेजी कि पुल के ऊपरी सिरे पर काफी भीड़ हो गई है, वहां पर एक कमाण्डर साहब थे उन्होंने भीड़ को कम करने की कोशिश की लेकिन पुल के दक्षिण तरफ भी भीड़ काफी हो गई थी। इसके बाद शायद यह खास आदेश पी०डब्ल्यू० डी० के पुल निर्माण विभाग का था कि जो दुर्घटना हुई उसको चेंज करके दिखाया जाय जिसके कारण जिस जगह दुर्घटना घटी उस स्थान पर दूसरा स्थान कायम करने की कोशिश की गई। यह दुर्घटना पीपा नं० १३ और १४ की बताई जाती है जब कि यह दुर्घटना १५ और १६ नं० के पीपे पर घटी। यह इसलिए किया गया कि दुर्घटना की जिम्मेदारी उन पर कम हो जाय क्योंकि १५ तथा १६ नं० के पीपे कुल्फी वाले पीपे थे। तो उन्होंने इस वस्तुस्थिति को दबाने की कोशिश की जिससे उनके ऊपर जिम्मेदारी कम आने की संभावना है। आयोग ने कहा है कि ऐसा करना मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारियों को वे चाहे जिस विभाग के हों अपने अधिकारों के प्रति अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों ने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया। इतना ही नहीं, नावें और लाइफ बोट भी नहीं दी। आयोग इस निश्चय पर पहुंचा है कि पी० डब्ल्यू० डी० के भण्डार में लाइफ बोट्स तथा स्टीमर भी थे परन्तु जिलाधीश की तरफ से मांग करने पर भी देने से इनकार किये गये सरकारी अधिकारियों के प्रति पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों का ऐसा व्यवहार था। मैं समझता हूं कि उन अधिकारियों के प्रति, चाहे वे जिस विभाग के हों, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय और इस बात की मिसाल पेश की जाय कि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अभी अभी जब हमारे पूर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसमें पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की लापरवाही थी । वे उस अवसर पर वहां थे । इस पर मुझे ताज्जुब हुआ । मैं कमीशन के सामने खुद गवाह था । मैंने स्वयं इस घटना को जो आज कह रहा हूं, देखा । माननीय उग्रसेन भी गवाह थे । संयोग से आज वह उपस्थित नहीं हैं । जहां तक घटना का प्रश्न है कमीशन ने जो टैक्निकल प्वाइंटस हैं, कैसे टूटा, सारे जितने उत्तर प्रदेश में घाट हैं, सबकी रिपोर्ट मंगा कर छानबीन करके और एक्सपर्ट बुला कर इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया हैं । मैं उस टैक्निकल प्वाइंट को सामने रखूं तो मुनासिब न होगा । जो लोग उसमें डूबे हैं वह बस्ती जिले के हैं और खास तरीके से हमारा क्षेत्र अयोध्या से मिला हुआ है । इस लिये हम लोग वहां थे । हम लोगों को पूरा दिन घाट पर बीता । हम लोगों ने लिख कर भी दिया था कि कमीशन की मीटिंग बस्ती जिले में होनी चाहिये थी ताकि कमीशन को पूरे डिटेल मिल सकें कि कितने लोग डूबे हैं । हमारे जिले के वकील शंकर सिंह और बच्चन वकील डूब कर मर गये । उनके परिवार के लोग चाहते थे कि कमीशन की मीटिंग हमारे यहां हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि जो छोटे कर्मचारी थे वह वहां से नहीं चले गये थे। सत्य बात यह है कि गवर्नर का आगमन था । सारे पुलिस के आदमी और सारे जितने लोग इंतजाम करने वाले थे, वह वहां चले गये । लेकिन जो छोटे कर्मचारी थे, जैसे घाट दारोगा वगैरह, वह वहां पर उपस्थित थे और जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद घाट चालू हो गया । जहां तक नाव का सवाल है जितनी नावें होनी चाहिये थीं डूबते आदमियों को बचाने के लिये उतनी नहीं थीं । कुछ नावें थी जो ३–४ आदमियों को निकाल कर लायीं । लेकिन जिन लोगों की हमें तलाश थी वह नहीं मिले । हम लोगों ने जा कर अस्पताल को देखना शुरू किया । मेले वालों में से कुछ लोगों ने खबर दिया कि फलां अस्पताल में हैं । हम लोग दौड़ कर वहां गये तो मालूम हुआ कि दूसरे अस्पताल में हैं । मेले का प्रबन्ध करने वाले जो उच्च अधिकारी थे उनसे ठीक खबर नहीं मिल पायी । हम लोगों ने ४-५ बजे तक ढूंढ़ा उसके बाद जिनके घर वाले डूबे थे उन्होंने कहा कि जिलाधीश से मिला जाये । उन से हम मिले और सारी कार्यवाही जो थी वह चली । अब मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं कि यह घटना हो गयी । इसमें किसकी गलती थी यह सारी बात रिपोर्ट में है । लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जिस दिन घटना घटी उसके तुरन्त बाद पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री वहां स्वयं गये । हम लोगों को सूचना हुयी । उन्होंने कहा मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा सब सरकारी कर्मचारी हैं इस दृष्टि कोण से काम किया जायेगा । दो दृष्टिकोण से काम नहीं किया जायेगा । जिलाधीश डाक बंगले में बैठे थे । एस० पी० और पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी भी थे । मंत्री जी ने मुझ से पूछा मैंने बताया कि जिन लोगों के मरने की खबर है उनकी लाशें बह गयीं । हमारे यहां बाघा नाला है । उसमें वकील और उनके मुन्शी की लाशें दूसरे दिन मिली । मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि जो लोग डूबे उनके पते छिपाये गये यह बड़े कलंक की बात है । रावत जी से मैंने कहा कि यह कहते हैं कि आदमी नहीं डूबे, मैं कहता हूं कि आदमी डूब गये । उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच होगी । उसके बाद लाशें बरामद हुयीं बाघा नाले के पास । जो लाश बरामद हुयी वह घड़ी अंगूठी पहने हुये थी । एक पुलिस वाले ने उसकी अंगूठी निकाल ली । पुलिस लाश गायब कर देना चाहती थी लेकिन चूंकि वहां जनता मौजूद थी और जनता के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और पुलिस वाले को गिरफ्तार करवाया गया जिसने अंगूठी निकाली थी । मैंने

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये ।)

मंत्री जी से कहा कि आप छानबीन करें तो पता लग जावेगा कि कितने आदमी डूब कर मरे हैं । जिलाधीश का आदेश हुआ, हर पटवारी के पास इत्तला गयी । सारी जगह की छानबीन की गयी । जो सूची है वह कमीशन की रिपोर्ट में दी गयी है जिनका पता लग सका। स्वयं मंत्री जी के दिल पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने स्वयं अपना प्रोग्राम बनाया और बस्ती

[श्री रणबहादुर सिंह]

जिले में गये वहां के वकील साहब मरे थे । उन्होंने उनके दरवाजे पर जाकर अपना शोक प्रकट किया और उनके परिवार को एक हजार रुपया दिया । उन्होंने उसे लेना स्वीकार नहीं किया । हम लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से एक हजार रुपया आर्थिक सहायता देते हैं । उसके बाद जो मुन्शी के घर वालों को पांच सौ रुपया दिये । मुन्शी का मकान बस्ती शहर से २० मील पर था । लेकिन फिर भी वह हम लोगों को लेकर वहां गये । मुझे गोंडा जिले के एक पण्डित जी मिले थे जिनके घर का एक आदमी डूबा था । बहुत दुखी हो कर आये थे । उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं मिली । वह कह रहे थे कि आप जिलाधीश से मिले और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

सूची में उनके परिवार के आदमी का नाम है ?

श्री रणबहादुर सिंह—

गोंडे जिले का नाम इस सूची में नहीं है । मैं लिख कर दूंगा जब रिपोर्ट पर बहस हो तो इसके ऊपर फिर से जांच की जाये और पता लगाया जाये । दूसरे मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जाये । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जिन परिवारों को इससे क्षति पहुंची है सरकार को चाहिये कि उनको और भी सहायता दे जिससे उनके हृदय पर जो आघात है वह दूर हो ।

*श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है इसे मैंने ध्यान से पढ़ा । इसमें जो उल्लेख किया गया है दुर्घटना के कारणों का । वह मुख्यतः नौ दस धाराओं में है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है । यदा कदा इस प्रकार की दुर्घटनायें हो जाया करती हैं । हमारा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का हृदय कहलाता है । ऐसे अवसर आते हैं जब कि हमारे अधिकारियों को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है । वह कैसे वहां की व्यवस्था करते हैं, मुझे बड़ा दुखः हुआ इस रिपोर्ट के पढ़ने के पश्चात् । कितने हल्केपन से उन्होंने अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह का प्रदर्शन किया । कैसे पुल का निर्माण होता है आप देखेंगे कि क्लाज ९ में लिखा है । दोनों तरफ से यातायात की अनुमति दे दी गयी । मेरी समझ में नहीं आता कि जो यातायात रेगूलेट करते हैं उन्होंने दोनों तरफ से यातायात का आदेश दे दिया, जबकि पहले इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती थी । विवेक का प्रयोग किये बिना अनुमति दे दी गयी, जिससे अधिक भीड़ जमा हो गयी । दूसरे आप देखेंगे कि यातायात को रेगुलेट करने के लिये काफी संख्या में पुलिस तैनात नहीं की गयी थी । पीपे का पुल भीड़ के दबाव से टूट गया । जहां तक पुल के निर्माण में त्रुटियों का सम्बन्ध है आयोग ने कहा है —

"अयोध्या में बनाये गये पीपे के पुल में लंगरों को मजबूती से बांधने के लिये लोहे की जंजीरों का उपयोग नहीं किया गया था, वे मोटी बनकस घास से बनाई गई थीं । यदि लंगरों को बांधने के लिये लोहे की जंजीरों का उपयोग किया जाता तो कदाचित अधिक उपयुक्त होता । रुड़की वर्कशाप में बनाये गये पीपे के पुल में एक पीपे के बाद प्रत्येक दूसरे पीपे पर "टार्ट मैन" लंगर तथा ५/८ इंच मोटी १०० फुट लम्बी जंजीर लगायी गयी थी । अयोध्या के पीपे के पुल के सम्बन्ध में यह मालूम हुआ कि क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद दूसरे कई पीपों पर लंगर नहीं थे ।" अधिष्ठाता महोदय, यह लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है । इस प्रकार की असावधानी करने वाला जो भी व्यक्ति हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात नम्रतापूर्वक मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे डी० आई० जी० जो हैं ऐसे अवसरों पर जब वह जाते हैं तो सारा ध्यान छोटे से बड़े तक उन्हीं पर केन्द्रित हो जाता है । आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं, ये क्लाज १६ में हैं । इन सुझावों में वी० आई० पी० का कोई उल्लेख नहीं है । उस दिन जो दुर्घटना हुई है उसमें मुख्य कारण वहां से ध्यान हटाकर के वी० आई० पी० की तरफ चला गया । प्रयाग की दुर्घटना का भी यही कारण था कि जो अयोध्या की दुर्घटना में है। मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी जिम्मेदार हों चाहे अधिकारी हों । उनके ऊपर कार्यवाही की जाय जिससे उसकी पुनरावृत्ति न हो ।

*श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, अयोध्या काण्ड जिस पर विचार हो रहा है, उसके विषय में जो रिपोर्ट छपी है और उसमें जो गवाहियां दी गयी हैं उसमें आधी झूठी गवाहियां दी गयी हैं । जो एस० पी०, एस० डी० ओ० नहीं थे मेले में, उनकी गवाही हुई है इसलिए वे लोग सही नहीं बता सके । दुर्घटना के बाद मैं भी अयोध्या गया । वहां मेरे बहुत से लोग थे जिनसे यह जानकारी हुई है कि वहां जो रस्सी लगी थी वह पुरानी थी लेकिन उत्तर और दक्षिण में भीड़ काफी हुई, यदि उस वक्त पुलिस होती तो वह घटना न होती और न आदमी मरते । उस समय वहां केवल दो पुलिस के आदमी थे । उसी दिन राज्यपाल महोदय वहां गये थे तो वह बड़े-बड़े अधिकारी उनके पास पहुंचे थे और जनता का कोई ख्याल नहीं था । वहां के पी० डब्ल्यू० डी० (ब्रिज) के इंजीनियर थे, उन्होंने भी अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की कि ज्यादा कसूर पुलिस को लगे । कई बार यह हुआ कि लाशों का पता लगा लिया जाय तो कोई इन्क्वायरी नहीं हुई क्योंकि जितनी लाशों मिलेंगी उतनी ही बदनामी होगी । अयोध्या में हमेशा पीपे के पुल के पास नावें रहती थीं, इंजिन वाले बोट वहां रहते थे लेकिन वहां वह भी नहीं थे । एक मेला अधिकारी जो थे भी वह भी वहां नहीं थे । जहां तक सुरक्षा के सम्बन्ध की जानकारी है । आयोग ने यह भी कहा है कि एस० पी० नये थे इसलिये उनको क्षमा किया जाय लेकिन एस० पी० के पद पर काफी दिनों से काम किया है । उन्होंने यह कोशिश की है कि पुलिस की गलती नहीं हुई है और पी० डब्ल्यू० डी० की गलती को अधिक कहा है । झूठी गवाही दी गई है । उसमें काफी आदमी बस्ती जिले के मरे हैं और उसमें काफी मरे हुये आदमियों को छिपाया गया है तो उसमें जो भी अधिकारी रहें उसमें जिम्मेदार उनको शख्त से शख्त दण्ड मिलना चाहिये ताकि अन्य अधिकारी जो आयें वह अपनी ड्यूटी सही रूप में करें । उसमें जो भी अधिकारी जिम्मेदार हों उनको तुरन्त निकालने की कृपा की जाय ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है, सदन में कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जिसे इस दुर्घटना के लिये खेद न हो । मुझे भी इस दुर्घटना के संबंध में बहुत अफसोस है और यह भी मानता हूं कि माननीय सदस्य जितना इस दुर्घटना के सम्बन्ध में क्षोभ, खेद प्रकट करें, वह कम है । यात्री बड़ी दूर-दूर से दर्शनों के लिये आये और गलती चाहें किसी की भी हो चाहे एक विभाग की गलती हो, चाहें दो विभाग की गलती हो, गलती तो गलती है और परिणाम जिसको भोगना पड़ता है उसकी तो एक महान क्षति हो जाती है । इस सम्बन्ध में सरकार ने कमीशन नियुक्त किया । इस कमीशन ने उसकी पूरी छानबीन की । लगभग ४४ बैठकें इसकी हुई और ८९ गवाहों से पूछताछ की गयी । जितने लगन और परिश्रम के साथ कमीशन ने अपना कार्य किया । मैं कमीशन को इसके लिये धन्यवाद देता हूं । कमीशन ने जितना परिश्रम कर के जानने की कोशिश की हम में से कोई कितना भी कोशिश करे उतने डिटेल में नहीं जा सकता । माननीय सदस्य ने जितनी बातें कहीं हैं वे सभी कमीशन की रिपोर्ट में आई हैं और कमीशन ने उस पर अपना मत भी व्यक्त किया है । कमीशन के सामने जो मसला उनको दिया गया था उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन प्रसाद रावत]

दुर्घटना से सम्बन्धित करीब-करीब सभी बातें थीं । जैसा कि इस घटना से सम्बन्धित इस घटना के कारण को निश्चित करना, यातायात के लिये नाव पर्याप्त थी या नहीं यह निर्धारित करना एवं पीपे के पुल में दोष है या नहीं । इस सम्बन्ध में कमीशन ने अपने कुछ निर्णय दिये हैं और निर्णय में उन्होंने संख्या (९) में यह निर्णय लिया है कि जहां तक दुर्घटना के मुख्य कारणों का सम्बन्ध है कि दुर्घटना इन कारणों से हुई थी, दोनों तरफ से यातायात की अनुमति दे दी गयी थी जबकि पहले इसकी अनुमति नहीं दी जाती थी इसके फलस्वरूप मुख्य मेले के दिन पुल पर गम्भीर भीड़ जमा हो गयी । पुल पर तथा पुल के दोनों सिरे पर यातायात के नियंत्रण के लिये काफी संख्या में पुलिस तैनात नहीं की गयी थी और सायकिल स्टैन्ड की व्यवस्था नहीं थी । रस्सी पुरानी घिसी हुई थी जो भीड़ के दबाव के फलस्वरूप टूट गयी और हुकों से बाहर निकल आयी तथा खम्भों से कस कर नहीं बंधी थी । इसमें लिखा है कि जंजीरें और इस्पात के पाइप काम में लाये जाते ।

(इस समय २ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

एक स्थान पर कमीशन ने कहा है कि एक भी इस बात का साक्ष्य नहीं हुआ कि पीपे के पुल के निर्माण में कोई यान्त्रिक त्रुटि थी । जो त्रुटि बताई गई है रस्सी की वह तो सामने आ गयी है । मुझे निवेदन यह करना है कि ये गलतियां हुई और किसी विभाग की वजह से हुई चाहे पुलिस के भीड़ को नियंत्रण न करने की वजह से, चाहे रस्सी ठीक न होने की वजह से वे गलतियां हुई और उन गलतियों के लिये कमीशन ने जो दो सुझाव दिये हैं, जिन अधिकारियों को उन्होंने संकेत किया है कि वह उत्तरदायी हैं गलती के लिये, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में सूचना भी आपको दे दूं । श्री एस० पी० अग्रवाल जो मेरे आफिसर थे, वे मुअत्तिल कर दिये गये हैं। कमिश्नर फैजाबाद जांच कर रहे हैं वे उस पर कार्यवाही करेंगे । इसके अतिरिक्त श्री रामलाल तथा श्री के० के० मेहरोत्रा आदि को चार्जशीट दे दी गई है और कमिश्नर, फैजाबाद इंक्वायरी कर रहे हैं जो उचित कार्यवाही होगी, की जायगी । जो एस० एस० पी० थे उनको चार्जशीट दे दी गई है, जवाब नहीं आया है, जवाब आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी । जो पी० डब्ल्यू० डी० के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वे मुअत्तल हैं, उनका जवाब आ चुका है, उस पर विचार हो रहा है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय । दूसरे असिस्टेन्ट इंजीनियर तथा ओवरसियर श्री शर्मा तथा जो भी हैं उनके जवाब आने पर कार्यवाही की जायेगी । कोई रियायत नहीं की जायेगी, क्योंकि इस बात को गवर्नमेन्ट महसूस करती है कि किसी आदमी की लापरवाही से अगर बहुत से आदमियों के जीवन को खतरा होता है तो वह लापरवाही नहीं है वह लापरवाही से कुछ ज्यादा है । जहां तक गवर्नर के विजिट का ताल्लुक है कमीशन ने पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि गवर्नर विजिट में किसी प्रकार से, जो मेले में अधिकारी काम कर रहे थे उनके दायित्व पर किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी । गवर्नर की विजिट का इंतजाम अलग से था और इससे कोई संबंध नहीं था ।

जो कमीशन ने सुझाव दिये हैं उन पर अमल किया जायगा और हमने कुम्भ मेले में उससे लाभ भी उठाया । हमने वहां रेलिंग को काफी मजबूती से बनाया, उसके साथ-साथ लोहे के तारों की रस्सी लगायी और प्रबंध किया । आगे भी जहां इस प्रकार का अवसर होगा प्रबंध किया जायेगा तथा कमीशन के सुझावों का बराबर ध्यान रखा जायेगा और उससे लाभ उठाने की कोशिश की जायेगी । एक बात फिर मैं निवेदन कर दूं कि इस दुर्घटना से हम में से सबको दुख है और इसके साथ-साथ इस बात का प्रयास किया जायेगा कि जहां इन्तजाम किया जाय वहां कोई कमी न रखी जाय जिससे कोई दुर्घटना न हो सके ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं—

"दिनांक १५ जुलाई को जब कि सचिवालय के कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों के लिये एक मांग-पत्र मुख्य सचिव को देना चाहते थे उस समय उन शान्त कर्मचारी प्रतिनिधियों पर विधान भवन के भीतर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी चार्ज किया गया । इस अमानुषिक, अभूतपूर्व तथा लज्जाजनक लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप दर्जनों निरपराध कर्मचारी घायल हुये । उनमें से कई की हालत चिन्ताजनक है । इस घटना के परिणाम स्वरूप प्रदेश की जनता, मुख्य रूप से राजकीय कर्मचारियों में घोर असन्तोष, उत्तेजना एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है । कर्मचारियों ने कार्यालय में काम करना ठप कर दिया है । सरकार की इस दमन पूर्ण नीति के विरुद्ध कल पूरे प्रदेश में जनता ने जनसंघ के तत्वाधान में दमन विरोधी दिवस मना कर सभाओं द्वारा अपना रोष प्रगट किया । अभी तक घटना की न्यायिक जांच न प्रारम्भ कराने, घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारी को न हटाने तथा बन्दी कर्मचारियों को मुक्त न करने से उत्तेजना निरन्तर बढ़ रही है । परिणाम स्वरूप शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा व्याप्त है ।

अस्तु, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

मान्यवर, गत १५ तारीख की यह घटना इस उत्तर प्रदेश सरकार के लिये एक कलंक है । इस सरकार ने एक कलंक के इतिहास का निर्माण किया है । इस सचिवालय के अन्दर ऐसे कर्मचारियों को, जो निहत्थे थे, केवल रुमाल उनके हाथ में था, जो अपने ही शरीर के अंग हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के शरीर के अंग हैं, उन पर इतनी निर्ममता से लाठी चार्ज कर के मजिस्ट्रेसी रूल कायम हो, श्रीमन्, यह बहुत बड़ा कलंक है । मैं तो समझता हूं कि सारे भारतवर्ष के किसी प्रदेश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जिसमें सचिवालय के अन्दर लाठीचार्ज हुआ हो, जिसके फलस्वरूप, जहां तक मुझे सूचना मिली है, मैं अस्पताल में भी गया, महिला कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं, उनको भी लाठियों से मारा गया । कुछ पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनको चोटें आईं । सैकड़ों आदमी हैं, कई दर्जन उनकी संख्या है जिनको चोटें लगीं । ऐसे कर्मचारियों ने कार्य करना ठप कर दिया है । ऐसी हालत में हम किधर जा रहे हैं, हमारी सरकार किधर जा रही है, यह कांग्रेस की सरकार किधर जा रही है, क्या इसका अभिप्राय है कुछ पता नहीं है इसका । क्या किसी समस्या का हल जो इसके हाथ में नहीं होता या इसको उसका हल नहीं मिलता तो क्या लाठी गोली ही उसका हल है ? इस समस्या के रूट काज को भी जरा हम देखें कि किन परिस्थितियों में ये ऐसा करते हैं । वेतन अभिनवीकरण समिति नियुक्त हुई और २–३ वर्ष में उसकी रिपोर्ट आई । अगस्त के महीने में सरकार ने यह घोषणा की कि उसकी रिपोर्ट में कुछ असंगतियां दृष्टि में आई हैं उसके बाद एनामली कमेटी बनाई गई, एनामली कमेटी की रिपोर्ट आई तो एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई, जो उसने रिपोर्ट दी सरकार ने फिर उस पर क्या किया, क्या विचार हुआ, यह पता नहीं । कुछ भी हो सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई ।

जब सरकार अपनी ग्रुपिज्म में इतनी पस्त है कि उसको इसका ध्यान ही नहीं है कि इस समस्या को देखे तो फिर आज सरकारी कर्मचारी के पास चारा ही क्या था ? किस प्रकार वे अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करते ? मैं इसके औचित्य को बता रहा हूं कि इस सचिवालय के अन्दर आज प्रदर्शन क्यों किया । जनतंत्र प्रणाली में सिवा इसके कि ये अपनी मांगों को लेकर मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव के पास जायें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है । मानता हूं कि उन्होंने ऐसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

स्थिति में नारे लगाये, किन्तु उसका जवाब लाठी नहीं है । महिलाओं को मारा जाय तो क्या पता चलता है कि सरकार के पास इसके बिना कोई जवाब नहीं है । इन सवालों का हल निकाल नहीं पाती है । मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं क्या इसका जवाब लाठी गोली है ?

केन्द्रीय सरकार के आदेश पर इस सरकार ने अपने खर्चे में १० प्रतिशत की कमी कर ३३ करोड़ की बचत करने की घोषणा की । ठीक है, आप खर्चा कम करें। लेकिन सरकारीकर्मचारियों ने अपनी न्यायपूर्ण मांगों के संबंध में पहले बड़ी शान्ति से कहते आये, पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और सरकार ने दूरदर्शिता नहीं दिखलायी । सुचेता की सरकार की अदूरदर्शिता का नतीजा यह हुआ कि कर्मचारिवर्ग अपनी उन मांगों को लेकर के मुख्य सचिव से मिलने गया । मैं एक बात कहना चाहता हूं आज क्या कारण है छोटे कर्मचारी ही सरकार के पास गये। आज सरकार की नीतियों के कारण ही इतनी महंगाई बढ़ गई है, दो गुनी, तीन गुनी महंगाई बढ़ गई जिससे छोटा कर्मचारी अपना जीवन नहीं चला पा रहा है । मैं उसका विश्लेषण अभी नहीं करना चाहता । इसी कारण यह डिमान्स्ट्रेशन आपके सचिवालय के अन्दर हुआ । तो मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है ? पहले हमें इनके कारणों पर विचार करना चाहिये ।

सरकार के पास क्या औचित्य है कि तीन हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ाये ? कौन सी तसल्ली की बात सरकार ने एक साल में की ? आखिर यह जलन उनके हृदय से कैसे निकल जाये कि ४२ आदमी कमिश्नर और ऐडीशनल कमिश्नर की जगह पर काम कर रहे हैं ? आई० ए० एस० की तनख्वाह में १०० रु० की डियरनेस की वृद्धि हो गयी है। जो बोर्ड आफ रेवेन्यू है वह बिलकुल बेकार की चीज है। अगर मन्त्रि ण जायें तो देखेंगे कि एक घंटे का काम भी नहीं रहता। उस पर ८–९ मेम्बर बने हैं। सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी कम नहीं हैं। जिस प्रकार डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर कम नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े कर्मचारियों के साथ आज सरकार का जो बहुत बड़ा पक्षपात है उसका एक उदाहरण ले लें। कितनों ने फियेट कार खरीद ली और ऊंचे दामों पर बेंच ली। बड़े अधिकारी कितने सुखी हैं, कितनों ने घर बना लिये। लेकिन फिर भी उनका डीयरनेस एलाउन्स बढ़ाया गया। उनकी तनख्वाह में कोई कट नहीं किया गया। लेकिन जब गरीब मांग करता है जरा उनकी मांगें देख लें। लेकिन एक तो मांग यह है कि उनका मंहगाई का भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष आ जाये। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाया न जाये, न दूसरी जगह भेजा जाय। आप ने मान लिया कि मांग उचित है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाये। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी बात है कि कमेटी मुकर्रर की, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी लेकिन उस पर निर्णय नहीं ले पाये। यह सरकार का रुख विचित्र हो गया है। केवल पुलिस और मैजिस्ट्रेट के बल पर है, कहीं लाठी चार्ज है, कहीं गोली हैं, जबरदस्ती है, डिफेंस आफ इन्डिया रूल्स हैं। लोगों को जेलों में भर दिया जाता है। हर प्राब्लम का यही सोल्युशन है। मैं पूछता हूं कि इस राज्य में और अंग्रेजी राज्य में कोई अन्तर रह गया है ? अंग्रेजी राज्य जन कल्याणकारी राज्य नहीं था। वह पुलिस और मैजिस्ट्रेट के भरोसे पर राज्य करते थे। यह सरकार आज जनता का, कर्मचारियों का एकदम विश्वास खो चुकी है। यदि आज हम चाहते हैं कि पुलिस और मैजिस्ट्रेसी भ्रष्ट न हों तो हम कैसे रोक सकते हैं ? उन को भरोसा है कि कुछ भी करें सरकार हमारी बात मानेगी, चाहे बांदा हो, बनारस हो, लखनऊ हो, हर जगह शहादत बनायी जाती है पुलिस को बचाने के लिए। इसीलिए वह भ्रष्ट होते हैं। वह कभी नहीं उठ सकते। सर्विसेज की खराब हालत होती चली जा रही है। आज सरकार की स्थिति ऐसी पहुंच गयी है। जब कर्मचारियों के पास कोई चारा नहीं रहा तभी उन्होंने यह सब किया। कर्मचारियों के पास इ के अलावा कोई चारा नहीं है कि सचिवालय के अन्दर मुख्य मन्त्री के पास अपना रिप्रेजेन्टेशन करें। क्या सरकार इस का जवाब दे सकती है कि आज जितने दल हैं, चाहे वह सोशलिस्ट हों, चाहे प्रजा सोशलिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट या अन्य पार्टियों के लोग हों, उन्होंने सुझाव दिया कि

पंचवर्षीय योजनाओं में खर्चा करना इतना बढ़ गया है कि उसके कारण रुपये की कीमत घट जायेगी, जिस से मंहगाई बढ़ेगी। उस से जीवन दुर्लभ हो जायेगा। सरकार ने नहीं माना। बहुत से अवसर थे कि सरकार खर्चा कम करती और मंहगायी का भत्ता अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देती।

एक चीज श्रीमन्, और कहना चाहता हूं। आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि हमारे कार्यालय बन्द हैं। इसकी हवा सारे प्रदेश में फैल गयी है। सरकार को सोचना चाहिये कि हमारा सचिवालय बन्द हो जायगा। सारे प्रदेश में लहर फैल गयी। हमारी क्या स्थिति हो गयी? सरकार को सोचना चाहिये कि यह हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी है। वह हमारे प्रशासन के पुर्जे हैं। यह बात सरकार की समझ में नहीं आती कि अगर उन के खाने, और कपड़े लत्ते का प्रबन्ध नहीं किया तो प्रशासन में एक तरह से क्रान्ति की स्थिति पैदा हो जायेगी। हम एक किताब पढ़ रहे थे उस में लिखा था कि कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट जब होती है और वह डिमाक्रेटिक मेथड ऐडाप्ट करने से वह नहीं सुनती तो विवश होकर लोगों को ऐसे साधन अख्तियार करने पड़ते हैं जिससे सारा समाज क्रान्ति की ओर चलता है।

मैंने सरकार के सामने दो तीन चीजें रखीं। मेरा सरकार से सुझाव है कि जो लाठीचार्ज हुआ, जिस से सारा फर्श खून से रंग गया उसके लिए जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि मंहगाई के प्रश्न का इमीडियेट सोलूशन होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि जो बदले की भावना से प्रासिक्यूशन हो रहा है, इसको बन्द होना चाहिये। अब मैं यह कहूंगा कि अगर जुडिशियल इन्क्वायरी में किसी प्रकार की हिचक होती हो तो विरोधी पक्ष और सरकार के पक्ष के लोगों को लेकर सदन की एक कमेटी बनायी जाये। वह देखे कि किन-किन परिस्थितियों में घटनायें घटीं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने १५ तारीख के झगड़े के सम्बन्ध में कुछ बातें इस सदन में प्रस्तुत कीं। श्रीमन्, इससे किसी को इनकार नहीं है न प्रदेश की सरकार ने इन्कार किया और न दिल्ली की सरकार की तरफ से अब तक कोई इन्कार या इकरार हुआ कि मंहगाई नहीं बढ़नी चाहिये। यह बिलकुल उचित मांग है। इसमें सरकार ने कभी इन्कार नहीं किया, न आज सरकार इन्कार करने को तैयार है। इस के ऊपर सरकार का एक वरिष्ठ मन्त्री अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है और वह सरकार के सम्मुख प्रस्तुत होते ही उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा। कितनी तनख्वाहें बढ़ेंगी, वह पैसा कैसे आयेगा इस पर भी विचार करना इस सदन का परम कर्तव्य है और खास कर विरोधी दल के सदस्यों का सुझाव इस तरफ भी आना चाहिये था। २३ करोड़ रुपया अभी अभी बढ़ा। ६–७ करोड़ रुपया और बढ़ता है। अगर २५ करोड़ रुपया बढ़ाया जाय तो शायद केन्द्रीय सरकार ने जिस तरह से पैसा बढ़ाया है, प्रदेशीय सरकार उस स्तर पर ला सके। सवाल इस बात का है कि टेक्नीक क्या है? अगर सत्याग्रह और हड़ताल की टेक्नीक बदल गयी है, अगर क्विट इन्डिया मूवमेंट शुरू कर दिया गया है तो दूसरी बात है। अगर मांगों को वाजिब तरीके से रखने की बात है तो उस के लिए सरकार ने कभी इन्कार नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव ने अच्छी तरह से डेपूटेशन्स को सुना और आज भी पीछे नहीं हैं।

श्रीमन्, बदकिस्मती है हमारी और आप अभी उस के साक्षी हैं, अध्यक्ष जी, उसके साक्षी हैं। श्रीमन्, क्या सदस्यों को अपमानित किया जाय? यही टेक्नीक मा० विरोधी दल के नेता अपनाना चाहते हैं तो साफ तरीके से कहना होगा। महात्मा गांधी ने जिस तरीके से हड़तालें करायी थीं यह प्रदेश ने अच्छे तरीके से देखा। आज यह तरीका नया अपनाया गया है इस प्रदेश में और भी विरोधी दल के नेता और सदस्य चाहते हैं घुटना तोड़ देना। क्यों १५ तारीख की...

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह क्या कह रहे हैं . . .

श्री जे० पी० मिश्र—

अगर किसी को चोट लगी तो क्या होगा ? उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी का दोनों हाथ पकड़ लिया जाय, उस को खींचा जाय, उस को धक्के दिये जायं, उसको गाली दी जाय, मां बहन की गाली दी जाय और सरकार. . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ये झूठ बोल रहे हैं। जिस वक्त यह झूठ बोलेंगे, उसी वक्त मैं बोलूंगा. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्त बोलने दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

चीफ सेक्रेटरी को जूते दिखाये जायें, यह नहीं हो सकता। तनख्वाह की मांग मुनासिब है। डियरनेस की मांग मुनासिब है, लेकिन जो तरीके अपनाये गये उन्होंने इस बात पर विचार करना कठिन कर दिया। मैं जानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हमदर्दी है और कांग्रेस पार्टी को हमदर्दी है और कांग्रेस पार्टी ने कल की मीटिंग में बहुत गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार किया कि टैक्सेशन हम नहीं चाहते हैं। बात नहीं है। मंहगाई जो है उसका कारण है। आज अगर लड़ाई पाकिस्तान-चीन की न आयी होती इस देश में तो जो आज ढाई करोड़ से तीन करोड़ रुपया रोजाना देश की रक्षा में जो खर्च हो रहा है, नहीं होता। पिछले साल श्रीमन्, आप ने देखा सूखा पड़ा। सौ वर्षों में इतना भयंकर सूखा इस देश में नहीं पड़ा। अन्न की पैदावार घटी। श्रीमन्, अन्न घटा, मंहगाई आयी और मंहगाई कैसे दूर हो इस के लिए कल कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह मशविरा दिया है और मैंने खास तरीके से निवेदन किया है कि हम को बुनियादी तरीके से देखना है। बुनियादी तरीके अगर हम ने एकदम नहीं उठाये तब तो श्रीमन्, बड़ी दिक्कत होगी। इस प्रदेश का गरीब साढ़े सात करोड़ आज न तो बढ़ा हुआ लगान बर्दाश्त कर सकता है और न एक पैसा टैक्स बरदाश्त कर सकता है। और गरीब बहुत नीचे हैं। इस तरह से जो ऊंचे के लोग हैं उन में और गरीब लोगों के बीच एक गहरी खाई है। आप स्टेट इम्प्लाईज के बारे में देखें और विचार करें और जितना सम्भव हो सके वह करें।

(श्री रामसुन्दर पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रस्ताव है कि चीफ सेक्रेटरी को खींचा गया, उनको जूते दिखाये गये। मैं नोटिस देता हूं, यह प्रिविलेज का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

मतलब यह है कि आप यह चाहें कि आपकी बात वह भी कहें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्यों वह झूठ बोलेंगे ? अगर किसी में दम हो कहे न।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अगर कोई प्रिविलेज की नोटिस देता है तो आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रिविलेज की नोटिस देना है, तो लिख कर दे दें ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो काम रोको प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के ५, ६ लाख कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं श्री जे० पी० मिश्र ने समर्थन किया है कि वह न्यायोचित मांग है।

श्रीमन्, मैं सरकार से दो प्रश्न करना चाहता हूं। पहली मांग उनकी यह है कि प्रदेश के राज्य सरकार कर्मचारियों की जो छटनी हो रही है उस को रोका जाय और मंहगाई-भत्ता दिल्ली की सरकार के मुताबिक प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दिया जाय। मैं इन दोनों सवालों के बारे में उन की ओर से सफाई देना चाहता हूं कि छटनी न हो और यह उन की जो मांग है आप इसे क्यों नहीं मानते ? आप को जानकारी है कि जब कभी इस देश में सरकार कांग्रेस की होगी तो वह पहला काम करेगी कि वह विधान परिषद् में नहीं रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं सुचेता कृपलानी जी से वह गांधी जी की शिष्या हैं तो मैं आप से जानना चाहता हूं कि विधान परिषद् को भंग करने को तैयार नहीं हैं ? राज्यपाल पर लाखों रुपया खर्च होता है वह किस मर्ज की दवा हैं ? १९३९ में ६ सदस्य थे तो आज दो दर्जन मन्त्रियों की क्या जरूरत है ? तो जब छटनी की बात है, राज्यपाल को खत्म कीजिये। मन्त्रियों को कम कीजिये, विधान परिषद् को खत्म कीजिये, अगर हिम्मत हो। सरकार की एक कमेटी बनी और उसके अनुसार आप क्यों नहीं मंहगाई बढ़ाते हैं ? मा० चरण सिंह की रिपोर्ट मंत्रि परिषद् को दे दी गयी और मंत्रि परिषद् ने अब तक मंजूर नहीं किया है, अगर आप कमेटी की रिपोर्ट नहीं मानते हैं तो चरण सिंह की रिपोर्ट को मानें। प्रदेश की जनता असन्तुष्ट है। इस में लोकतन्त्र भस्म हो जायगा। केवल कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को छोड़ कर मैं पूछना चाहता हूं सरकार के मन्त्रियों से मैं मा० हुकुम सिंह से जानना चाहता हूं कि वे इस सचिवालय में बहुत दिन से हैं। आप कोई दिन बतायें कोई साल बतायें जब कि सचिवालय में इस तरह से काम-धाम बन्द हो। इस सचिवालय में कई हजार लोग काम करते हैं, आज ताला बन्द है। सुपरिन्टेंडेंट नहीं आये हैं। इस सचिवालय के राजपत्रित अधिकारियों ने बयान दिया है कि यहां पर लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज बचाया जा सकता था और वह के० के० दास की बेवकूफी से लाठी चार्ज हुआ है। मैं उ०प्र० की सरकार से पूछना चाहता हूं के० के० दास को सन्तुष्ट करने के लिए जो यहां के कर्मचारी हैं उनका खिलवाड़ बनाये रखना चाहते हैं। माननीया गेंदा देवी की साड़ी कैसे फट गयी ? तीन महिलाओं की साड़ी बदन के कपड़े फट गये। मैं पूछना चाहता हूं कि अखबारों में निकला हुआ है कि पी०डब्ल्यू०डी० का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी मर गया है और चीफ मिनिस्टर ने यह प्रयत्न किया कि इस को दबा दिया जाय, कि उसके मरने की बात न उठायी जाय। अंग्रेजों ने जब नमक पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया और काफी आदमी जेलखाने गये और नमक पर टैक्स नहीं लगा। आप के टैक्सेशन से, आप के व्यवहार से और आपके कानून से जनता ऊबी हुई है। आप कहते हैं कि हम ठीक हैं। सरकार ठीक नहीं है। सरकारी कर्मचारी रोटी मांगता है, मंहगाई मांगता है, उसको लाठी दी जाती है, गोली चलानेकी धम की दी जाती है, उसको बरख्वास्त करने की धमकी दी जाती है। अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं, अपने कारनामों से जीतिये। आप किसी के ऊपर लाठी से नहीं जीत सकते।

(श्री बनारसीदास का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मेरी राय यह है कि जिन के ऊपर जुर्म हुआ है पहले उनकी बात सुन लीजिये, मन्त्री जी का भाषण बाद में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर किसी को बीच में बोलना होगा, बोल लेगा।

*सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में एक बुनियादी सवाल सदन के सामने पेश हुआ है। नौकरशाही शासन करेगी या और कोई करेगी या जनता प्रतिनिधियों के पीछे होगी जो कि सारा शासन बनाती, वह यूनियन बनाकर तमाम राष्ट्र के काम को रोक कर एक शक्ति के बल के ऊपर वह शासन को हाथ में लेना चाहती है? यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है।

यदि तमाम शासन को बन्द कर दिया जाय तो इसका क्या मतलब है यानी उन तमाम शासन के कार्यों को जो बजट बनाने आदि का अधिकार समर्पण करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? श्रीमन्, मैं मानता हूं कि जो लोग आज यह कहते हैं कि यह शासन कमजोर हो गया है, कांग्रेस अप्रिय हो गयी है तो हाल के अन्दर जो १३ लोकल बाडीज के चुनाव हुये उस में सभी विरोधी पार्टियां खड़ी हुई थीं, उन की जमानतें जब्त हो गयीं। उन में डिस्परेशन है, काफी निराशा है। १९६२ के चुनावों में जनसंघ पार्टी को कुछ सफलता मिली। मैं मानता हूं कि उन्होंने १२ तारीख को बन्द दिवस के अवसर पर साथ नहीं दिया और अक्ल से काम लेकर कांड में भाग नहीं लिया। ५२, ५७ और ६२ के आम चुनाव में जनता का वर्डिक्ट सब के खिलाफ रहा और कांग्रेस जीती। डा० लोहिया ने जो नारा दिया है वह जनता को भ्रम में डालने वाला है। वह महात्मा गांधी का नाम ले लेते हैं और उनकी मिसाल देते हैं जो देश के लिए अहितकर है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—

यह बन्द पर मा० बनारसीदास जी नहीं बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। यह तो सरकारी कर्मचारियों पर भाषण दे रहे हैं।

श्री बनारसीदास—

सन् १९३९ में जबकि दूसरा युद्ध शुरू हो गया था, जबकि महात्मा गांधी एक क्रान्ति की ओर ले जा रहे थे, उन्होंने "हरिजन" के अन्दर लिखा था कि आज वातावरण हिंसा की ओर जा रहा है। तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि हम कानून को अपने हाथ में लेते हैं और कहीं हिंसा होती है तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। क्विट इंडिया आन्दोलन चला और विदेशी बाहर निकाले जाने का नारा लगाया गया, चौरी-चौरा कांड गोरखपुर में हुआ, हिंसा देख कर गांधी जी ने सारे आन्दोलनों को बन्द कर दिया। श्रीमन्, तो आज विरोधी पार्टी के लोग जो यह आग लगाना चाहते हैं और यह यत्न करते हैं जिनका यत्न जनतंत्र के अन्दर नहीं है, जो यह समझता है कि अराजकता में क्रांति पैदा होगी, वे इस पर बल देते हैं। श्रीमन्, जैसा कि आप को मालूम है कि एक तरफ यह कहा जाता है कि कोई छटनी न हो, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि वेतन में वृद्धि हो। आप जानते हैं कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी, उस की रेकमेन्डेशन से ११७ करोड़ रु० का बोझ स्टेट एक्सचेकर पर पड़ा यानी साढ़े तेईस करोड़ रुपया प्रति वर्ष। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ायें। हमें उन से ज्यादा प्रसन्नता होगी, यदि उन के वेतन में १०० परसेंट की वृद्धि हो जाय, लेकिन श्रीमन्, सवाल रिसोर्सेस का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के लिए आप चाहते हैं कि वह अराजकता के सामने झुक जाय, विध्वंसात्मकता के सामने अपना सर झुका दे ? जो यह समझते हैं कि मा० सुचेता जी की कुर्सी पर हम बैठ जायं वह अराजकता की कुर्सी पर बैठ कर भस्म हो जायेंगे। श्रीमन्, उस वक्त कोई चारा नहीं था जब शंकरन नायर और गांधी जी ने अनार्की के खिलाफ और कानून भंग करने के खिलाफ बार-बार घोर विरोध किया था। देश की स्वतंत्रता के लिए, शासन के लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन हो गया, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि हम लोग आग से खेल रहे हैं लेकिन कोई चारा नहीं है। आज हमारे सम्मानित नेता आग से खेल रहे हैं, वे अराजकता का आह्वान कर रहे हैं। उनकी शह है कि चीफ सेक्रेटरी के० के० दास पर हमला किया जाय। उनका मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और यह कहा जाय कि सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों की उद्दंडता के सामने सरकार सिर झुका दे। यह नौकरशाही के अन्दर आत्मसमर्पण करना होना। जहां तक इस पक्ष का सवाल है हम जानते हैं कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और करेंगे। यह हमारा अप्रिय कर्त्तव्य होगा, यह हम मानते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं है। इस प्रदेश के पटवारियों ने कहा था कि हम अपने बस्तों को बन्द कर के, सारे रेकर्ड को दबा कर इस प्रदेश की भूमि व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देंगे। श्रीमन्, आप को मालूम है कि पटवारी नाम की कोई संज्ञा इस प्रदेश में नहीं रही, उनका स्थान लेखपाल ने ले लिया। मैं बतलाना चाहता हूं कि बहुत से कर्मचारियों को प्रोत्साहन और बल दिया गया है, कुछ विरोधात्मक शक्तियों ने उन्हें बल दिया है कि कलम बन्द कर के कार्य को रोका जा सकता है। अभी मा० माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि सरकार कमजोर है, सुचेता जी कमजोर हैं, उनकी कोई दूरदर्शिता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन के पीछे यह २७७ आदिमियों की सेना है जो पीछे बैठी है। इस में आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन यहां एक अनुशासन पद्धति पार्टी की है, हमारी नेता मा० मुख्य मन्त्री हैं।

मा० उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी के लोग अगर यह आशा लगाये हुये बैठे हैं कि इन बातों से हम में दरार पड़ जायगी तो उनकी यह आशा गलत है। हम लोग अनुशासनबद्ध हैं, एक प्लेटफार्म पर एक नेता के नेतृत्व में खड़े हुये हैं। श्रीमन्, यहां के कर्मचारियों ने यह तय किया और घोषणा की कि वे कलम बन्द हड़ताल करेंगे और जनता के कार्य को रोकेंगे। इस बात पर सरकार ने घोषणा की कि उन की सर्विसेज में ब्रेक से लेकर डिसमिसल तक किया जा सकता है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि जनता इस से परेशान है। जो अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, विरोधी पक्ष के लोग उन बलवाइयों को उकसा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। आज जनता कठोर शासन चाहती है, आज जनता भय से मुक्ति चाहती है, आज जनता चाहती है कि उसको अभय दान दिया जाय। श्रीमन्, यह जनतन्त्र की कुछ इन्डलजेंस होती है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी संयम से काम लें और कानून को अपने हाथ में न लें। वह अपने को सेवक समझें। हमने राज सिंह सनों को मिटा दिया है। सरकारी कर्मचारियों को आज समझ से काम लेना चाहिए। अगर वह शासन को, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो जनता के सेवक नहीं रहेंगे वह कलेक्टिव डेस्पाटिज्म होगी जिसका मुकाबला वह करेंगे जिन्होंने जनतन्त्र के लिये अपनी बलि दी है, जिन्होने व्यक्तिवाद को बचाने के लिये अपनी जवानियों की आहुति दी है। अगर ब्यूरोक्रैसी से भय मालूम होता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, सवाल जो आज हमारे सामने है वह अहम है और बड़ा एक्प्लोसिव है इसलिये इस मसले के ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक बिचार करना है। माननीय बनारसीदास का भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि नौकरशाही शासन करेगी या इन्तजाम करेगी। बुनियादी सवाल यह नहीं है। असल बात यह है कि आज शासन नौकरशाही कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। आप मुगालते में न रहें। बुनियादी सवाल यह है कि जिन लोगों ने

[श्री भगवान सहाय]

स्ट्राइक किया है उनकी मांगें सही हैं या नहीं ? उनकी मांगे इंसाफ पर हैं या नहीं ? यह उन्होंने सेंटीमेन्ट उभारने की बात कही। और मेन क्वैश्चन को इवेड करने की कोशिश की। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांगे क्या हैं ? उनकी मांग है कि मंहगाई का भत्ता बढाया जाय। जिस प्रकार कीमतें बढ गयी हैं, शाज कोई भी इंसाफ चाहने वाला आदमी यह नहीं कह सकता कि इन कर्मचारियों की मांगे गलत हैं। अब सवाल यह है कि आप इन मांगों को पूरा करने के हक में हैं या नहीं ? मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जबकि आप और बहुत से खर्चे पूरे कर सकते हैं, तो शासन का सब से बड़ा उसूल है कि असन्तुष्ट कर्मचारी काम नहीं करता, भूखा कर्मचारी काम नहीं करता, अगर इन कर्मचारियों से आप को काम लेना है तो इनको पेट भर रोटी देनी है इनकी बुनियादी और दूसरी जरूरतों को पूरा करना है। श्रीमन्, हमारे एक दोस्त ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को गालियां मिलीं, जूते दिखाये गये। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है या गलत है। बहरहाल, मैं जो यहां घूमा फिरा, लोगों से और पत्रकारों से बातचीत की यह बात मैंने उनसे नहीं सुनी। आज इस सदन में सुना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी को अगर गालियां मिलीं तो अफसोस है, अगर किसी के साथ असभ्य व्यवहार होता है तो वह ठीक नहीं है। लेकिन उसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं यह डेमोक्रैटिक सरकार है। अगर डेमोक्रैटिक सरकार अपनी अच्छाइयां सुनना चाहती है तो गालियां भी सुननी पड़ेंगी। मैं एक बात माननीया सुचेता कृपालानी से पूछना चाहता हूं कि आप किस मुंह से कह सकती हैं कि फोर्थ क्लास एम्प्लाइज की मांगें गलत हैं ? पाकिस्तान की लड़ाई के जमाने में आई० ए० एस० की तनख्वाह पांच सौ रुपये बढ़ायी और वह तनख्वाह आपने पिछले साल से बढ़ायी। जिनको लम्बी तनख्वाह मिलती है उनकी तनख्वाह अगर बढ़ाने के लिये कहा जाय तो वह हकबजानिब नहीं है लेकिन जो छोटी तनख्वाहें पाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाना हक बजानिब होगा और उस उसूल को आपने आई० ए० एस० की तनख्वाह बढ़ा मंजूर किया। आई० ए० एस० जिसको साढ़े १७ सौ रुपये मिलते हैं उसकी पांच सौ रुपये तनख्वाह बढ़ाना तो सही है लेकिन जिसको सौ रुपये मिलते हैं उसकी तनख्वाह बढ़ाना हक के खिलाफ है यह वही कह सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह शिकायत की नौबत आती क्यों है ? १८ साल का कांग्रेस का इतिहास उठा कर देखिए। कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ, चाहे कितनी ही मांग जस्ट हो उस पर एजिटेशन न हुआ हो। ट्रक वालों ने हड़ताल की उनकी मांगें मान लीं। अगर ट्रक वालों की मांगें सही थीं तो पहले ही क्यों नहीं मान लीं ? चाहे कितनी मांगें हों सरकार मानने के लिये तैयार नहीं होती। सरकार कभी भी अपने फर्ज को खत्म नहीं कर सकती मांगों के सामने लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि सरकार हर तबके के साथ इन्साफ करे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने तमाम मसलों को सुलझाया उसी तरह से इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करें, उसके साथ इन्साफ करें। उनकी मांगें सही हैं और खुद सही हैं और यदि नहीं देना चाहती तो कम से कम आई० ए० एस० की तनख्वाह कम कर दें और उनकी मांगों को पूरा करें।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से काउन्सिल हाउस में मंहगाई भत्ते के सिलसिले में कर्मचारियों की मांग चल रही है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह मांग गलत है लेकिन उसके जो तरीके अपनाये जा रहे हैं, उनका मैं सख्त विरोधी हूं। श्रीमन्, मैं १२--१३ तारीख से लखनऊ में हूं। १४ तारीख को हमारे कर्मचारियों ने कहा कि हम मसाल जुलूस के साथ निकालना चाहते हैं, हमें परमीशन दी जाय लेकिन उनको केवल मीटिंग करने की परमीशन दी गयी। उस मीटिंग में धारा १४४ का उल्लंघन किया गया। उस रोज उनको पुलिस के अधिकारियों ने रोका और उसके बाद भी उन्होंने जलूस निकाला। जलूस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बाद कुछ और तेजी बढ़ती गयी। श्रीमन्, उन्हीं दिनों हमें अच्छी तरह से याद है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले थे, उनका कार्यक्रम बन रहा था। कर्मचारियों के नेता श्री पी० एन० सुकुल हैं तो उनसे कुछ बातचीत शुरू हो गयीं थी, मैं नहीं जानता हूं कि नतीजा क्या निकलेगा और इस तरह से उनकी बात शुरू हो गयी थी। तो किस से यह मालूम हो गया था कि सरकार कुछ फैसला करने वाली है चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो ? तो सब से बड़ा हत्यारा जो है वह विपक्षी दल है। जनसंघ ने उसको मिसलीड किया जिससे इलेक्शन में कामयाबी हो। उसके बाद १४ तारीख को आन्दोलन शुरू कर दिया . . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

बिलकुल झूठ है . . . . .

(शोरगुल)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

एक झूठी अफवाह शुरू यह हो गयी कि एक चपरासी मार डाला गया और वह मेडीकल कालेज भेजा गया। १५ तारीख को श्रीमन्, इजाजत मांगी कि हम एक मीटिंग करना चाहते हैं और कलम बन्द करने वाली मीटिंग आरम्भ की और वहां से मीटिंग के बाद एक हजार की तादाद में मुख्य सचिव श्री के० के० दास के कमरे की तरफ गये। उस वक्त श्री के० के० दास को जब मालूम हुआ तो अपने कमरे के सामने गये। जब वह सामने आये तो मुर्दाबाद के नारे शुरू हुए। यह सुचेता कृपालानी सरकार निकम्मी है, जिसका उनको अधिकार नहीं था। श्रीमन्, यह बात बिलकुल सही है कि मुख्य सचिव को कुछ धक्के लगे। इस प्रकार बिलकुल अवैधानिक ढंग से यह नारे देना शुरू किये। चीफ सेक्रेटरी के शैडो ने उनको घेर कर उनके कमरे तक पहुंचाया। चीफ सेक्रेटरी के दिमाग में यह बात थी कि अगर वह भागे नहीं तो मार-पीट हो सकती है। यह मेरी मौजूदगी की बात है और यह बिलकुल सत्य बात है। चीफ सेक्रेटरी अपने कमरे में आते हैं। उनके कमरे में धक्के दिये जाते हैं और दो-एक आदमी बगल के कमरे से दाखिल हुए और उसके बाद उनके कमरे में सैकड़ों आदमी घुस गये और के० के० दास मुर्दाबाद के नारे लगाये, उनको धक्के दिये गये। उसके बाद होम सेक्रेटरी ने आई० जी० को फोन किया और पी० ए० सी० काउन्सिल हाउस के अन्दर आयी। श्रीमन्, अगर मान भी लिया जाय कि लाठी चार्ज हुआ लेकिन इस बात की भी कोई मिसाल है कि सरकारी कर्मचारियों ने चीफ सेक्रेटरी के कमरे में इस तरह की बात की हो। श्रीमन्, वह कोई सत्याग्रह नहीं था। और जिन कर्मचारियों के चोट लगी वह भगदड़ में गिरने की वजह से और किसी का सिर दीवाल में टकरा गया जिससे चोट लगी, हो सकता है कि किसी ने एक आध डन्डा चला दिया हो लेकिन लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

लाठी चार्ज नहीं हुआ तो क्या हुआ ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

श्रीमन्, यह बिलकुल गलत है कि सरकार की तरफ से लाठी चार्ज हुआ। श्रीमन्, हमारे नेता विरोधी दल बहुत समझदार हैं। उनको यह रामसुन्दर पाण्डेय और टम्बेश्वर प्रसाद की बातें पसन्द नहीं हैं। वे दूसरे व्यक्ति हैं। गांव के खेतिहर मजदूर हैं उनको कहां मंहगाई-भत्ता मिलता है ? आप अपने नौकरों को कितना मंहगाई-भत्ता देते हैं ? के० के० दास की गलती यह है कि वह सख्त कि म के हैं। वह जब चीफ सेक्रेटरी हुए तो उन्होंने आदेश दिये कि कहीं तीन दिन के अन्दर फाइल नहीं होगी तो वह बड़ी सख्त कार्यवाही करेंगे, उनके आर्डर सख्त होते हैं। उनके खिलाफ कुछ लोग हैं। जब यह शख्स आया तब से काम में सख्ती कर दी और के० के० दास अपने प्रिन्सिपल के आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज इस राज्य के कर्मचारी इतने परेशान हैं और जिन के बारे में दोनों तरफ से इस बात को माना गया है कि उन्हें इस बात का अफसोस है। लेकिन इस सवाल को सुलझाने के बजाय उसको उलझा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी डिसिप्लिन को नहीं मान रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह नौबत क्यों पहुंची ? यह कर्मचारी वही हैं जो हड़ताल के नाम को बुरा भला कहते थे हमको इस बात का अनुभव है। जो सरकारी कर्मचारी इन चीजों से दूर रहते थे वह इस हद तक क्यों पहुंचे ? तो इसका मुख्य कारण है कि महंगाई की वजह से वह भूखे मर रहे हैं, आपको अन्दाजा नहीं है। बाजार में कोई भी सब्जी १ रु० और १२ आने से कम नहीं बिक रही है। माचिस १२-१५ पैसे की बिक रही है। जब चीज के दाम बढ़ेंगे तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे अल्प वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी कहां से अपना पेट भरेंगे। या तो चीजों के दाम निर्धारित करें, उनको कन्ट्रोल करें लेकिन जो चीज कन्ट्रोल होती है वह सिवाय ब्लैक मार्केट के दूसरी जगह मिलती नहीं है। कर्मचारी मेमोरेन्डम भेजते हैं, काला बिल्ला लगा कर जाते हैं, मीटिंग करते हैं तब थोड़ा सा आपकी तरफ से बातें करने का इशारा होता है। तमाम एजीटेशन सस्पेन्ड करके आपके पास बैठ कर दो महीने तक चौ० चरण सिंह के साथ बात करते हैं, तब प्रदर्शन की नौबत आती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय बनारसी दास जी को बताना चाहता हूं कि उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि यह भूख की ज्वाला लाठियों और डंडों से नहीं बुझेगी। उसको हल करने की कोशिश कीजिए, रुपया नहीं है तो साधन जुटाइये। एक तरफ ३१ लाख रुपया रामरतन गुप्ता को माफ कर देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि रुपया नहीं है। अगर सरकार ठीक तरह से चले तो रुपये की कोई कमी नहीं है। रुपये वालों को नीचे लाइये, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन न दीजिये। नीचे वालों की हालत सुधारिये। इधर रोडवेज वाले एजीटेशन के लिये तैयार हैं और बिजली घर वालों से किसी तरह से आपने पीछा छुड़ाया लेकिन वे फिर तैयार हैं। यह लाठी से मामला नहीं दबेगा। डेमोक्रेसी क्या है ? डेमोक्रेसी से यह मतलब नहीं है कि आपकी जी हुजूरी करें। डेमोक्रेसी का यह मतलब है कि हम सब सरकार की खामियों को बतायें और उसको एक्सपोज करें। इसमें वायलेंट मीन्स सिर्फ नहीं एडाप्ट किये जा सकते हैं। आप दफा १४४ लगाते हैं मीटिंग नहीं करने देते, गरीबों को शांति पूर्ण मशाल जलूस नहीं निकालने देते हैं जो कि उनका जनतांत्रिक अधिकार है। यह एजीटेशन करने वाले कर्मचारी ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, ब्यूरोक्रेट तो के० के० दास या डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वे हैं। ऐसी धमकी से काम नहीं निकलेगा। मैं फिर कहूंगा कि यह मांग जायज है। चौ० चरण सिंह ने एक बार कोशिश की, मैं उनसे फिर कहूंगा कि वह लाठी गोली से चलेंगे तो हिन्दुस्तान में राज्य नहीं कर सकेंगे। आपकी बुद्धिभ्रष्ट हो गई है। "विनाश काले विपरीत बुद्धि"। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर सोचिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी डिबेट तो नहीं सुन सका। मैंने यह देखा कि इस विवाद में हम लोग अपनी भावनाओं में आ गये। यह भी स्वाभाविक ही है कि आपस में विवाद खड़ा हो गया। मैं एक बात रक्खूंगा आपके सामने। मैंने अभी माननीय भगवान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहाय को सुना। उन्होंने बहुत जोर दिया कि उनकी मांगें जायज हैं या नहीं, यह बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। कोई नहीं कह सकता कि उनकी मांगे जायज हैं या नहीं हैं। बहुत दिन हुए, हमने बगैर किसी आन्दोलन के पे रेशनलाइजेशन कमीशन एप्वायंट किया। उसने आंकड़े इकट्ठा किये, रिपोर्ट दी जिसके द्वारा साढ़े तेइस करोड़ रुपया हर साल बजट में बढ़ गया और वह सरकार ने मंजूर कर लिया। उस योजना के अन्दर यह बात भी है कि १००० रु० से ज्यादा वेतन वालों का वेतन प्रदेशीय सरकार नहीं बढ़ायेगी, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बढ़ा दिया तो हम क्या करें। इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कोई भी प्रदेशीय सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं रहा जिसको कुछ न कुछ लाभ न पहुंचा हो। इसके छः महीने भी नहीं गुजर पाये कि दूसरी मांग आ जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछूंगा कि यदि ५ या १० रु० सरकार बढ़ा दे तो क्या होगा? इतने में फिर उनकी सितम्बर में मांग होगी कि बढ़ाया जाय तो क्या वह जायज होगा? यदि वह सितम्बर-अक्तूबर में जायज होगा तो हर वक्त जायज होगा। यह सियासी प्रपोगेन्डा है। हमें तो यह सोच कह चलना है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। एक गवर्नमेन्ट एक फैसला देती है और कुछ बढ़ाती है, एक महीने बाद कहा जाता है कि फिर बढ़ाओ, तो यह सिलसिला कहां खत्म होगा? यह मैं मानता हूं कि १००, १५० या ३०० रु० पाने वाला कर्मचारी ठीक से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मैं एक बात बता दूं कि ५ लाख कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिये ७ करोड़ की जनता को क्रश नहीं करना चाहिये। एक खेत में जो काम कर रहा है उसको कितना मिलता है, यह भी हमको देखना चाहिये। जो मिल मजदूर में काम कर रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसको हम नजरन्दाज नहीं कर सकते। श्रीमन्, कहा गया कि बीसफुल आदमियों पर डंडा चलाने से प्रजातन्त्र नहीं पनपता। लेकिन जो डेमोक्रेसी की इतनी दुहाई देते हैं कोई भी आन्दोलन जो सरकार के खिलाफ किया गया उसको उन्होंने कहा कि गलत है। वह हर वक्त फिक्र इस में रहते हैं कि आग लगे और वह सरकार उलटें। यूसूफ साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी उस देश में पनपती है जहां अपने खयालात को इजहार करने का अधिकार होता है। अगर डेमोक्रेसी में आप सोच कर नहीं चलेंगे कि कहने का अधिकार होता है। अगर डेमोक्रेसी में आप यह सोच कर नहीं चलेंगे कि इस बात के कहने से शान्ति रहती है या अशान्ति होती है, तो डेमोक्रैसी चलेगी नहीं। भगवान सहाय जी ने कहा कि किसी को पता नहीं कि चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ। मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं आंखों से। लेकिन एक बात कहूंगा। किसी बात के लिए विरोध हो सकता है। लेकिन उसको प्रकट करने का यह तरीका नहीं है कि सौ दो सौ आदमी उनको चारों तरफ घेरा डाल दें। उनको कार्डन करके कमरे तक पहुंचाया गया। यह स्थिति हो गयी। अगर कुछ हो जाता, उनको चोट लग जाती, क्योंकि भीड़ में जहां २५ आदमी समझदार होते हैं वहां ५० आदमी वायलेन्ट होते हैं। उनको गालियां दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी हरकत हो जाती तो आप फ्लोर पर कहते कि यह सरकार निकम्मी है। कहते कि आपके सेक्रेटेरिएट के अन्दर चीफ सेक्रेटरी पीटा गया। यह सरकार निकम्मी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो नेता विरोधी दल ने उपस्थित किया है। श्रीमन्, १५ जुलाई को जो घटना घटी अपने सचिवालय के अन्दर, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में बेमिसाल घटना हुई है। सरकारी

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

कर्मचारी, कलम चलाने वाले लोग, जिनको हुजूर कहने के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी वह आज सरकार के खिलाफ खुले आम बगावत कर रहे हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आखिर क्यों? यह कोई साधारण घटना नहीं है। सारे प्रदेश में अशान्ति है, हड़ताल हो रही है, लोग काम-काज बन्द करके हड़ताल कर रहे हैं। इसका कारण सरकार की गलत नीतियां हैं जिनके कारण आर्थिक व्यवस्था आज टूटती चली जा रही है। १५ सालों की गलतियों के कारण देश आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि किसी को किसी प्रकार से संतोष नहीं है। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी रेशनलाइजेशन कमेटी की सिफारिश पर तनख्वाह बढ़ायी गयी। आखिर उसका क्या मूल्य रह जाता है जबकि प्रति मास बाजार में मूल्य बढ़ते हैं। डिवैलुएशन से १५ फीसदी मूल्य बढ़ गये। सारी दुर्घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि आर्थिक व्यवस्था इस देश की छिन्न-भिन्न हो रही है। मैं यह मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को अनुशासन से काम करना चाहिए। लेकिन जब पेट भरना असम्भव हो जाता है तो जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं--"इविन वर्म बर्न विल टर्न" केचुआ भी बगावत करने के लिये खड़ा हो जाता है। यह स्थिति हो गयी है। ऐसी सूरत में अनुशासन बनाये रखने का और उनको संतोष दिलाने का एक मात्र उपाय यह था कि यदि उनकी मांगें न पूरी की जातीं तो कम से कम हमदर्दी का व्यवहार किया जाता। हम उनको उपदेश देते हैं कि हमारे साधन कम हैं लेकिन उस उपदेश पर स्वयं अमल नहीं रखते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस राज्य के उच्च कर्मचारी अगर इस समय कुछ त्याग किये होते, विधायकों ने कुछ अपने वेतन में कमी की होती तो आज उनमें भी शान्ति बनी रहती। चाहे जो मुसीबत इनकी गलतियों की वजह से क्यों न आयी हो अगर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन देश पर विपत्ति आयी हुई है हमें उसका सामना करने के लिये कंधा से कंधा मिला कर मुसीबत के दिन झेलना चाहिए तो कौन वर्ग ऐसा नहीं है जो देश में अशान्ति पैदा करने के लिये प्रयत्नशील हो। मैं पूछता हूं कि उस समय जब कि महंगाई यहां पर नहीं थी उस समय विधायकों ने वेतन में १०० रुपये प्रति मास वृद्धि कर ली। आज जब कि मंहगाई आ गयी है उन विधायकों को क्या नैतिक अधिकार है यह मशविरा देने कि आप किसी तरह से मुसीबत के दिन झेलिए, हमारे पास साधन नहीं हैं। मैं मानता हूं कि विधेयकों के वेतन में ज्यादा खर्चा नहीं होता लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उसको उत्पन्न करने के लिये सरकार ने कौन सा उपाय किया है? आज उनके पास लाठी, डंडा और गोली का ही सहारा रह गया है। क्या इस सरकार की बुद्धि ठीक है? क्या उस पर पागलपन सवार नहीं हो गया है? एक व्यक्ति जब दूसरे को मारने लगता है तो यह सन्देह हो सकता है कि सम्भव है कि दूसरे व्यक्ति की गलती हो लेकिन कोई व्यक्ति अपने ही अंग पर प्रहार करने लगता है अपने ही हाथों अपनी पिटाई शुरू कर देता है तो निःसन्देह उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वह पागल हो जाता है। उसी प्रकार से सरकार ने अपने कर्मचारियों पर लाठी का प्रहार करके अपनी बुद्धि के दिवालिएपन का परिचय दिया है। कहा जाता है कि आपकी सरकार बनेगी तो किस प्रकार अनुशासनहीन कर्मचारियों से काम लेंगे? मेरा उत्तर यह है कि पहले तो इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने पायेगी। आपकी गलतियों का यह परिणाम है कि मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी सरकार इस तरह की गलती नहीं करेगी। अगर करेगी तो उनसे अपील करेंगे कि आज ऐसी राष्ट्रीय विपत्ति के सामने आप सहयोग कीजिये, हम भी त्याग करने के लिये तैयार हैं। लेकिन वह सारी बातें न कर विधायकों की तनख्वाह बढ़ाये चले जा रहे हैं।

*श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। १५ तारीख के करीब जो घटना घटित हुई है जितने सज्जनों ने भाषण दिया है क्या कोई सज्जन उस समय थे? हमारी चीफ मिनिस्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कमरे में मीटिंग हो रही थी और चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद नहीं थीं, मैं वहां मौजूद था। वहां के जो कर्मचारी थे, चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर खड़े थे, एक आदमी इधर की तरफ से आया, उधर की तरफ गया और के० के० दास से उन्होंने कोई बात कही, वह नहीं सुने और जब के० के० दास लिफ्ट से उतरे उस वक्त उन्होंने देखा कि क्या मामला है। एक दम वह लोग उनके पास आये, एक आदमी के हाथ में कागज भी लगा हुआ था, मैंने नहीं देखा कि क्या वह था। सरकार मुर्दाबाद, चीफ मिनिस्टर मुर्दाबाद, के० के० दास मुर्दाबाद और यह भी कहा कि ये भी हमारा फैसला नहीं होने देते। के० के० दास को बीच में घेर लिये। मैं जानता हूं और ५ कर्मचारी पहुंच जाते हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता। उनको घेर लिये। पीछे मेन गेट की तरफ से होकर के० के० दास अपने कमरे में गये। पुलिस वालों ने कहा क्या बात है। मैंने कहा कि कर्मचारी लोग झगड़ा कर रहे हैं। मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, के० के० दास मुर्दाबाद सुचेता कृपालानी मुर्दाबाद। आप कहते हैं कि लाठी चार्ज हुई, गोली चली। जब किसी की जान की मुशीबत आ जाती है, जब किसी को मार डालने की कोशिश की जाती है तब वह अपनी हिफाजत में किसी को मार भी सकता है, जान से भी मार सकता है। लेकिन के० के० दास ने एक शब्द नहीं कहा। आप हिमायत करने हमारे कर्मचारियों की आये हैं और आप कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। आप देहात से आये हुये हैं जहां के मजदूर ४० से ज्यादा रुपया नहीं पाते हैं, उनको भी आप कभी लेकर आये हैं। अभी-अभी हमारे मित्र ने कहा कि एम० एल० ए० ने ३०० रु० तनख्वाह बढ़ा लिये। आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं लिये। वह ३०० रु० जिन्होंने नहीं लिया हो कोई माई का लाल निकला? उधर आप कहते हैं टैक्स न लगाया जाय। इधर आप कहते हैं महंगाई दो। जिस समय आपकी यू० पी० का बजट बनाया गया, हमारी मुख्य मंत्री जी ने एक-एक व्यक्ति को बुलाकर के बनाया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठी हुई हैं वह भी कुछ कहें।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैंने माननीय बनारसीदास जी का पूरा भाषण सुना और उन्होंने जो भाषण दिया, उनका जो उद्देश्य था जनतंत्र को नौकरशाही से खतरा हो गया है, मैं कहने के लिये तैयार हूं कि डिमोक्रेसी यहां पर जीवित रहना चाहिए। नौकरशाही को खतरा है, नौकरशाही की श्रेणी में उन्होंने कितनी अक्लमन्दी के साथ काम किया। उन्हें सोचना चाहिए कि प्रजातन्त्र को खतरा है तो इस नौकरशाही से, छोटे-छोटे कर्मचारियों से नहीं और तरह तरह की आपकी जो कैपिटलिस्ट वर्ग है उसके द्वारा बनाई हुई चीजों पर अगर वह कोई ऐसी चीजों की महंगाई पर वह अपनी मांग करता है तो उचित है। जनता परेशान है कांग्रेस के वेतन-भत्तों से। जनता परेशान कतई नहीं है इन विरोधी दल के सदस्यों के विचारों से। २४ जुलाई को माननीय सी० बी० गुप्ता के बर्थ-डे के दिन सी० बी० गुप्ता तथा अन्य लोगों ने गलत तरीके से ६५ लाख रु० कमाये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

और यह सवाल माननीय सी० बी० गुप्ता का नहीं है, सवाल इस बात का है कि प्रदेश की जनता पर इतने टैक्स का। आज का कर्मचारी आजाद हिन्दुस्तान का नागरिक है वह समझता है कि उसका क्या हक है। यहां पर सबसे पहले लाठी चार्ज किया गया। यहां के जो बाबू लोग यह कहते हैं कि बनारसी दास मुर्दाबाद, सुचेता कृपालानी मुर्दाबाद, उन लोगों को ऐसे नारे लगाने पड़े। इसका कारण यह था कि प्रदेश में इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तुम इसके जिम्मेदार हो। यहां पर लाठी के जिम्मेदार तुम हो। आपको बीच में पुलिस नहीं लाना था। देश पर संकट आया, पाकिस्तान का हमला हुआ, जनता ने उसमें सहयोग दिया, उसमें दान के रूप में रुपया दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

पहले यह स्पष्टीकरण करें कि छटनी ऊपर से होगी, नीचे से नहीं होगी। महंगाई भत्ता सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिया जायगा। इस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी के० के० दास जायगा। माननीय सुचेता जी अगर भाषण करती हैं, उनका भाषण निरीह होता है हम लोग उनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय सुचेता जी के भाषण को जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग उनके भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका भाषण निरीह कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एलान करे। जब तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ऐलान नहीं कराती हैं, तब तक उनके भाषण के सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

मैं कहता हूं कि रामसुन्दर जी के जो भाषण हुए उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे आपे से बाहर हो रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वह आपे से बाहर.....

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इनडिसिप्लिन का वातावरण इस प्रदेश में नहीं, सारे देश में छा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कहां केरल हुआ? कहां पंजाब हुआ?

(इसके उपरान्त श्री रामसुन्दर पांडेय ने अपने संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं यह कहना चाहती थी कि जो वातावरण पैदा हो गया है उसमें मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल हो रहा है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अभी-अभी दर्शक गैलरी से, अध्यक्ष महोदय, कुछ पर्चे फेंके गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मार्शल गये हुए हैं और मामले की देखभाल कर रहे हैं।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह मालूम होता है कि जो बीमारी बाहर फैली है वही अन्दर भी है। उधर से अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है,इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और इस खराब आर्थिक परिस्थिति में हमारे लोग अगर ज्यादा मांग करें तो जायज ही है। जैसा कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और अगर परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो उसमें जो लोग चाहते हैं कि एजीटेशन आगे चले, तो इससे तो परिस्थिति सुधर नहीं सकती। यह बात हिन्दुस्तान में सर्वविदित है कि हमारी आर्थिक स्थिति बुरी होती जा रही है। अगर ऐसी परिस्थिति न होती तो डिवैल्युएशन न करते। डिवैल्युएशन एक कठिन दवाई है जो उस समय पिलाई जाती है जब देश का आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यह बात सही है कि हमारे देश की गम्भीर परिस्थिति होती जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने १८ साल राज्य किया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह लोगों के वेलफेयर को सोचे। उसने बहुत से डेवलपमेंट के काम किये हैं, मुल्क को आगे बढ़ाया है, उसने किस्म-किस्म के साधन व तरीकों को अपना कर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। यदि यह कहा जाय कि कोई काम नहीं हुआ तो गलत है। जब डेवलपमेंटल स्टेज होती है तो उस स्टेज पर करोड़ों रुपया व्यर्थ चला ज ता है तथा इन्फ्लेशन भी होता है, उस पर कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है और इसके लिए सरकार की चेष्टा जारी है। हर एक देश में महंगाई है। अगर महंगाई के कारण लो पेड इम्पलाईज महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करें त उसको कोई अनुचित नहीं कह सकता। मैं कहना चाहती हूं कि एक साल पहले पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रेकमेन्डेशन के अनुसार लोगों की पे बढ़ाई गई। आई० ए० एस० की तनख्वाह बढ़ाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है वह तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत सी बातें कही गईं कि बड़े लोगों की पे बढ़ाई जाती है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रेकमेंडेशन के बावजूद हमने फैसला किया कि एक हजार रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी। यह उत्तर प्रदेश की सरकार में ही इतना क्षमता थी कि यह स्टेप लिया, किसी दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ।

(व्यवधान)

इस साल जब हम लोगों को दुबारा इमीडिएटली पे बढ़ाने के बाद कहा गया और यह नजीर दी गई कि केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया है तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। सारी बातें अपने ही तरीके से कहना गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देने वाले के लिए भी कुछ प्राबलम्स हैं। साधन हमारे पास कुछ सीमित हैं। रेट्रेन्चमेंट भी हम नहीं कर सकते। रुपया इकट्ठा करने के दो ही तरीके हैं। रेट्रेन्चमेंट करें या टैक्स लगायें। हमने अपने खर्चे में आलरेडी ७ करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया है। नई परिस्थितियां डी-वैल्युवेशन के बाद उत्पन्न हो गई हैं, उसमें १० फीसदी घटाने की हिदायत स्टेट को दी गई है। इसके कारण ३३ करोड़ रु० हमें बचाना पड़ेगा। ८१ परसेंट सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो १०० रु० तक पाते हैं। १०० से ३०० तक मासिक वेतन पाने वाले १७ परसेंट हैं। यदि ४-५ रु० भी बढ़ ते हैं तो ४-५ करोड़ रुपये बजट में बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त लोकल बाडीज इत्यादि के लोगों की मांगें हैं। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सब को सोंचने के बाद यह तय किया गया कि ७ करोड़ रुपया चाहिए।

कहा जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से बातचीत नहीं की, हमारे मिनिस्टरान ने बातें कीं, चरणसिंह जी ने बार-बार बातें कीं, बात करने में कोई कोताही नहीं की गई। ११ तारीख को फेडरेशन के लोग मुझसे मिले। मुझे खेद है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स अकेले यह काम नहीं कर सकते हैं, मैं कह सकती हूं कि उनके पीछे कुछ और ताकतें हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ने फरवरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

महीने के बाद से कभी हाथ में बैज, कभी बिना इजाजत छुट्टी, कभी दफा १४४ तोड़ना शुरू किया। चूंकि उनको हर दफा माफ किया गया, जैसे अपने परिवार के लोगों को माफ किया जाता है। तब इन लोगों ने समझा कि हम लोग हर कानून के बाहर हैं। मैं आप से पूछना चाहती हूं। उस दिन दफा १४४ पहले से लगी हुई थी। कहा गया कि जुलूस न निकाल कर, इन राइटिंग है, अगर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाती है तो कम से कम मीटिंग करने की इजाजत हो। उसके बाद उन्होंने अपना वचन तोड़ कर जुलूस निकालने का प्रयास किया, दफा १४४ होने के बावजूद। अगर यहां के एम० एल० ए० दफा १४४ तोड़ते हैं तो जेल जाते हैं। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स अबव ला हैं? ला आफ लैंड डज नाट अप्लाई टु देम? इस तरह से कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। हमारी सहानुभूति है। हमने कभी डिमांड टर्न डाउन नहीं की। हमारे पास पैसे की तकलीफ है। साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

काउंसिल हाउस के अन्दर दफा १४४ कहां लगी थी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे इंटरप्ट न कीजिये। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की आर्थिक तकलीफ में हमारी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। परन्तु अगर इस तरह की डिमांड रही तो हमको जरूर छटनी करनी पड़ेगी। माननीय चरणसिंह से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट्स का कोई हमदर्द नहीं है। उनको अपनी रिपोर्ट में यह कहना पड़ा मजबूरन कि २५–३० परसेंट आदमी फाजिल हैं जिनको हटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो सम्भव है वही कर सकती है। (व्यवधान)। सेक्रेटरिएट वाली बात मैं कह रही हूं। पहले १४ तारीख को इन लोगों ने वचन दिया कि जुलूस नहीं चल निकालेंगे। वह वचन तोड़ कर जुलूस निकाला। जुलूस में पुलिस के साथ सीनाजोरी किया, ईंट पत्थर फेंके। पुलिस ने माइल्ड लाठी चार्ज किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन परसनल बांड पर छोड़ दिया। आपके साथ वह रियायत नहीं की। इन लोगों का दिमाग ज्यादा बढ़ गया। मैं यह कह कर बिल्कुल टेक्निकैलिटी नहीं करूंगी कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर नियर असाल्ट हुआ। उनके पास रिप्रेजेंटेशन देने गये। उन्होंने कहा कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। डेपुटेशन लेकर कमरे में आइये। वहां पर गाली गलौज किया। चीफ सेक्रेटरी ने मारे लिहाज के मुझे बताया नहीं। चार पांच एम० एल० एज जिन्होंने आंखों से देखा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया और यह चर्चा भी समाप्त हो गयी। अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)—

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ जुलाई, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

सूची

नाम व पद	क्लास २ में नियुक्ति का दिनांक	कृषि विभाग में कार्यभार लेने की तिथि
१—श्री पी० डी० निगम, जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़ ..	२०–२–६६	४–७–५०
२—श्री प्रहलादसिंह, पाइलट प्रोजेक्ट आफीसर, माताटीला झांसी	१३-११-६५	१–९–४३
३—श्री एम० आर० मेहता, सहायक कृषि अभियन्ता (स्टोर)	१–१०–६५	१२–२–४८
४—श्री एम० एम० लाल, सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार), फैजाबाद	२७–९–६५	६–९–५०
५—श्री एम० एल० मित्रा, बरेली	२७–९–६५	५–४–४८
६—श्री आर० एस० एस० गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी, चमोली	९–६–६५	२०–२–४३
७—श्री जे० पी० नैथानी, जिला कृषि अधिकारी पिथौरागढ़	१०–७–६५	२८–३–४३
८—श्री एम० एल० जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी, पौरी गढ़वाल	१२–६–६५	११–११–४४
९—श्री सी० पी० सिंह, काकरा, जिला कृषि अधिकारी उत्तर काशी	२४–५–६५	१८–११–४५
१०—श्री त्रिसूल सिंह बी० एस० ए०, चोपाल, मिर्जापुर ..	१–३–६५	१६–८–६२
११—श्री विन्दाप्रसाद सिंह, बी० एस० ए० राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर	१–३–६५	७–८–५१
१२—श्री ए० के० शर्मा, बी० एस० ए०, काल्पी, जालौन ..	२८–२–६५	१–४–५४
१३—श्री बलवन्तसिंह, बी० एस० ए०, मौरानी, झांसी ..	१–३–६५	१२–८–५१
१४—श्री एस० के० बोस, जिला कृषि अधिकारी, देहरादून ..	२७–४–६५	१–८–४२
१५—श्री एस० एस० अग्निहोत्री, सहायक कृषि अभियन्ता, इलाहाबाद	८–४–६५	१६–४–४८
१६—श्री रामगोपाल सिंह, सहायक कृषि अभियन्ता (प्रसार) वाराणसी	१७–४–६५	१४–११–४९
१७—श्री ओ० एन० चन्द, जिला कृषि अधिकारी, खेरी ..	५–२–६५	२७–१–५१
१८—श्री जी० एस० दत्त, जिला कृषि अधिकारी, टेहरी गढ़वाल	५–२–६५	१२–१२–३८
१९—श्री एन० पी० सिन्हा, बी० एस० एस०, आजमगढ़ ..	१२–९–६५	१३–१२–५७
२०—श्री जी० आर० थामस, ए० ए० ई० (वर्कशाप, लखनऊ)	२१–१२–६४	१–१०–४९
२१—श्री एच० के० माथुर, ए० ए० ई० (प्रसार), गोरखपुर	११–१२–६४	२१–४–५०
२२—श्री जे० पी० दुबे, एफ० एम०, कटियार ..	९–१–६५	२८–११–४४
२३—श्री एस० पी० सिंह, एफ० एम०, रहिमाबाद ..	६–१–६५	ज्ञात नहीं है
२४—श्री जाहिद हुसेन, ई० ओ०	५–४–६५	७–८–४२

नाम व पद	क्लास २ में नियुक्ति का दिनांक	कृषि विभाग में कार्यभार लेने की तिथि
२५—श्री जे० पी० जोशी, जिला कृषि अधिकारी, नैनीताल . .	११–९–६४	१–८–४२
२६—श्री के० के० गुप्ता, टी० ओ०, देहरादून . .	१५–९–६४	१–६–४९
२७—श्री आर० पी० एस० कलहन्स, बी० एस० एस०, मैनपुरी	१५–९–६४	२२–८–५६
२८—श्री सी० एस० शर्मा, बी० एस० ए०, अलीगढ़ . .	१५–९–६४	११–२–७५
२९—श्री आर० डी० शर्मा, जिला कृषि अधिकारी, टेहरी गढ़वाल	ज्ञात नहीं है	२०–२–४५
३०—श्री मोहम्मद हाफिजउल्ला बी० एस० ए०, आजमगढ़	५–४–६५	४–१–५८
३१—श्री पी० के० सिन्हा, बी० एस० एस०, बांदा . .	५–४–६५	१–११–४३
३२—श्री जी० एल० गुप्ता, बी० एस० एस०, हमीरपुर . .	५–४–६५	३–३–४५
३३—श्री सी० पी० जोशी, बी० एस० एस०, उत्तर काशी . .	५–४–६५	१–८–४२
३४—श्री एम० पी० तिवारी, टूण्डला, आगरा . .	६–४–६५	१०–१–६२
३५—श्री जे० एस० चौधरी, जिला कृषि अधिकारी, जौनपुर. .	२०–८–६४	७–२–४२
३६—श्री एन० ए० सिद्दीकी, सहायक कृषि अभियन्ता, सिविल	२६–४–६४	२२–८–४५
३७—श्री करन सिंह, एम० एम०, रहमानखेड़ा . .	९–५–६४	६–९–४३
३८—श्री आर० एन० त्रिपाठी, फील्ड आफिसर, नैनीताल . .	२०–५–६४	१२–१२–४९
३९—श्री के० पी० सिंह, गार्डेन सुपरिन्टेंडेंट, झांसी . .	१८–५–६४	१९–८–४९
४०—श्री अमीर हसन खां, पी० डी० ओ० वाराणसी . .	५–७–६४	९–७–४५
४१—श्री के० एस० अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केमेस्ट्री, कानपुर	७–७–६४	१७–७–५६
४२—श्री एस० एस० सक्सेना, ट्रेनिंग कम० अफीसर, गोरखपुर	१४–१–६५	२७–१०–४९
४३—श्री पी० एस० पावर, एक्सटेन्शन, इसपेशलिस्ट, कानपुर	२३–१–६५	२१–१–४९
४४—श्री पी० एस० अग्रवाल, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन आफीसर, झांसी	७–२–६५	१७–११–४९
४५—श्री ए० के० तिवारी, ए० पी० पी० ओ०, लखनऊ . .	२७–२–६५	१५–१०–४८
४६—श्री एल० एम० पांडे, ए० पी० पी० ओ०, नैनीताल . .	६–३–६५	१०–३–४९
४७—श्री ए० के० अग्रवाल, ए० पी० पी० ओ०, गोरखपुर . .	६–३–६५	६–१०–४८
४८—श्री सी० एस० भटनागर, ए० पी० पी० ओ०, फैजाबाद	१–३–६५	सितम्बर, ४९
४९—श्री जगजीत सिंह जैन, ए० पी० पी० ओ० , वाराणसी	८–४–६५	२२–४–४९
५०—श्री राम अभिलाख सिंह, ए० पी० पी० ओ०, इलाहाबाद	२३–३–६५	११–११–४९ रिवर्टेड
५१—श्री आर० एम० गंगवार, स्टेस्टीशियन, लखनऊ . .	२९–१–६५	दिसम्बर, ४९
५२—श्री वी० एस० नेगी, केन बीटेनिस्ट, शाहजहांपुर . .	१–४–६५	१७–८–४४
५३—श्री वी० के० माथुर, केन एग्रोनोमिस्ट, गोरखपुर . .	१३–७–६४	. .
५४—श्री वरम सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाटनी, कानपुर . .	७–९–६५	९–१०–६४
५५—श्री धरमराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लान्ट पैथालोजी	३–९–६५	२३–९–६४
५६—श्री वी० डी० रजनी, केन इंटोमोलजिस्ट, मुजफ्फरनगर	८–८–६५	१९–१–४८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

नाम फर्टीलाइजर	क्रम मूल्य में प्रति टन वृद्धि	विक्रय मूल्य में प्रति टन वृद्धि
	रु०	रु०
१—अमोनियम सल्फेट ५० किलो की पैकिंग ..	२५—००	३९—००
१०० किलो की पैकिंग ..	२५—००	३९—००
२—यूरिया	४०—००	६५—००
३—अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट	५५—००	७७—००
४—कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट	५—००	१९—००

गेंदासिंह,
कृषि मंत्री।

केन्द्रीय सरकार से खरीदे गये पुल्ड नाइट्रोजिन्स तथा फासफेटिक उर्वरकों के मूल्य का विवरण

क्रम-संख्या	उर्वरक का नाम		मूल्य क्रय (प्रति टन में)	अभ्युक्ति
१	अमोनियम सल्फेट	(क)	३४१—०० पै०	(५० कि० के पैकेट)
		(ख)	३३०—०० पै०	(१०० कि० के पैकेट)
२	कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट		३१०—०० पै०	
३	अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट		४००—०० पै०	
४	यूरिया ..		५७०—०० पै०	
५	नाईट्रो फासफेट ..	(क)	५६५—९० पै०	(थोक दर दिनांक २४—११—६०)
		(ख)	६५२—२० पै०	(फुटकर दर)
६	मोनो अमोनियम फासफेट	(क)	६८९—०० पै०	(थोक दर)
		(ख)	७८०—०० पै०	(फुटकर दर)
७	अमोनियम नाईट्रेट	(क)	६०२—३५ पै०	(थोक दर दिनांक २६—१२—६०)
		(ख)	६५८—५३ पै०	(फुटकर दर)

To be Published in Part II Section 3 sub-sections (1) of the Gazette of India Extra-Ordinary.

No. 16-3/66/M

GOVERNMENT OF INDIA,

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, dated the 29th January, 1966

NOTIFICATION

G.S.R. In pursuance of clause 3 of the Fertilizer (Control Order, 1957, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) no. G. S. R./1138, dated the 2nd August, 1965, the Central Government hereby directs that, with effect from the 1st February, 1966, the maximum price per tonne of any fertilizer specified in column 1 of the Schedule below shall when sold whether for the use of tea, coffee or rubber plantations in the States of Kerala, Madras, Mysore, Assam and West Bengal or for the use of cultivators. be the prices specified in the corresponding entires in column 2 of that schedule.

THE SCHEDULE

	Name of fertilizer	Price (Per tonne)
	1	2
1.	Ammonium Sulphate	
	(*i*) when packed in 100 Kg. bags.	405
	(*ii*) when packed in 50 Kg. bags	416
2.	Ammonium Sulphate Nitrate	515
3.	Urea	680
4.	Calcium Ammonium Nitrate	365

Explanation—The maximum prices specified above, shall not include sales tax or other local taxes, wherever levied.

Note—When sales of any fertilizer are made in quantities not exceeding 5 kilograms at a time, the dealer may charge 1 paisa per kilogram, in addition to the proportionate maximum price specified above.

(Sd.) I. J. NAIDU,

Joint Secretary to the Government of India.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

अवक्रान्त स्थानीय निकाय की सूची

क्रम-संख्या	जिला	स्थानीय निकाय का नाम	अवक्रमण की तिथि
१	२	३	४
१	मुरादाबाद ..	नगरपालिका, मुरादाबाद ..	२०–९–१९५७
२	मेरठ ..	नगरपालिका, गाजियाबाद ..	२३–११–१९५९
३	फैजाबाद ..	नगरपालिका, फैजाबाद ..	२०–४–१९६१
४	मिर्जापुर ..	नगरपालिका, मिर्जापुर ..	१२–२–१९६२
५	बहराइच ..	नगरपालिका, बहराइच ..	१४–२–१९६२
६	जौनपुर ..	नगरपालिका, जौनपुर ..	१४-९–१९६२
७	अलीगढ़ ..	नगरपालिका, अलीगढ़ ..	१४–१२–१९६२
८	बुलन्दशहर ..	नगरपालिका, डिबई	२७–७–१९६३
९	बदायूं ..	नगरपालिका, सहसवा ..	९–१०–१९६३
१०	अलीगढ़ ..	नगरपालिका, हाथरस ..	२६–२–१९६४
११	सहारनपुर ..	नगरपालिका, गंगोह	७–६–१९६६
१२	शाहजहांपुर ..	नगरपालिका, शाहगजहांपुर ..	१५–६–१९६६
१३	देहरादून ..	नगरपालिका, मसूरी ..	३०–६–१९६६
१४	इटावा ..	टाउन एरिया कमेटी जसवन्त नगर ..	६–७–१९६३

चरण सिंह

स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

मेक्सिकन ड्वार्फ तथा इंडियन टाल किस्म के गेंहूं के तुलनात्मक निबन्धन की तालिका

मन एकड़

किस्में	मध्यम उरवरता १९६४–६५ सिंचन की दर ४०	८०	१९६५–६६ प्रति एकड़ ४०	८०	सिंचन प्रयोग १९६५–६६ सिंचन संख्या १	१	किस्मों के प्रयोग प्रयोग १ १(३)	प्रयोग २ १	१	गहराई और बुआई के प्रयोग २(४) १.०	१.०	२.०	३.०
१	२	३	४	५	६	७	८	८९		१०	११	१२	१३
१—सोनोरा ६३ ..	३५.३	४६.२	—	—	—	—	२४.९	३३.५		—	—	—	—
२—सोनोरा ६४ ..	३८.६	४९.७	५२.७	५६.७	—	—	२६.१	३५.४		—	—	—	—
३—लर्मा रोजो ..	४२.२	५१.८	४३.३	५१.५	५९.०	६२.७	२४.९	३१.८		४२.४	७१.७	६०.०	५७.८
४—सी० ३०६ ..	२९.६	३०.०	३९.५	४०.१	—	—	२३.७	२९.१		—	—	—	—
५—एन० पी० ८७६ ..	२९.७	३०.३	—	—	—	—	—	३२.०		—	—	—	—
६—एन० पी० ८८७ ..	२८.२	२६.५	—	—	—	—	—	२३.९		—	—	—	—
७—के० ६८ ..	—	—	—	—	—	—	२२.१	—		३३.१	—	—	—
८—के० ६५ ..	—	—	—	—	—	—	१९.४	—		३६.०	—	—	—
९—सी० २७३ ..	—	—	—	—	—	—	—	२४.९		३४.९	—	—	—
१०—एस० २२७ ..	—	—	—	—	—	—	—	—		४३.६	—	—	—
११—एस० ३०७ ..	—	—	—	—	—	—	—	—		४८.१	—	—	—
१२—के० ६४ ..	—	—	—	—	—	—	२०.०	—		३२.३	—	—	—

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

बिन्दकी नगरपालिका तथा नजूल बाजार के लिये तहबाजारी फीस की अनुसूची

	रु० पैसा
१—प्रति गाड़ी प्रति दिन	०.७५
२—प्रति गाड़ी वार्षिक	२०.००
३—(अ) प्रति गाड़ी छमाही	१२.००
३—नजूल की टीन की दुकानें प्रति दूकान प्रति दिन ..	०.५०
४—मोचियों तथा नाइयों की पटरी दूकानों के अलावा कुल आराजी नजूल आ पटरी दुकानें प्रति दूकान प्रति दिन १० वर्गफीट का उसका मार्ग	०.१९
५—गल्ले की थोक दूकानदार बाजार के दिनों में प्रति दूकान प्रति दिन	२.००
६—गल्ले के फुटकर दुकानदार प्रति दूकान प्रति दिन ..	०.६२
७—गल्ले के फुटकर दूकानदार बाजार के अलावा दूसरे दिनों में प्रति दूकान प्रति	१.००
८—गुड़ और चावल जो बेचने के लिए रखा जाय प्रति मन ..	०.१९
९—व्यापार के लिए प्रति मवेशी प्रति दिन (घोड़ा, बैल या खच्चर)..	०.२५
१०—प्रति ऊंट प्रति दिन	०.५०
११—प्रति गदहा प्रति दिन	०.१९
१२—सरबोझ प्रति सरबोझ प्रति दिन	०.१२
१३—देशी घी, वेजटेबिल घी तथा खाद्य तेल सेर प्रति दिन ..	०.०२
१४—खोवा व अन्य तेल प्रति सेर प्रति दिन	०.०६
१५—प्रत्येक भरी हुई मोटर ट्रक प्रति दिन	२.००

ऊपर लिखे हुए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चेकिंग के समय बिला टिकट (रवन्ना) पाया जायगा तो उससे रवन्ने के महसूल का दूना और ०.७५ पैसा जुर्माना का वसूल किया जायगा।

नोट—फड़फलां में टीन की दुकानें प्रति दूकान मासिक	१०.००
पुरानी गुड़ाही में टीन की दूकानों प्रति दूकान मासिक ..	६.००

(२) उस व्यक्ति को जो गाड़ी की वार्षिक या अर्धवार्षिक फीस देने वसूल करने वाला कर्मचारी उपनियम नं० ३ में वर्णित फार्म में टिकट और काउन्टर फाइल भरने के बाद टिकट मय कोपन के देगा ऐसे व्यक्ति को क्रमानुसार नं० पड़ी हुई तख्ती भी शिनाख्त के लिए दी जायेगी तथा म्युनिसिपल आफिस में ऐसे व्यक्तियों का अलाहदा रिकार्ड भी रखा जावेगा।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९६६

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी संशोधन अधिनियम, १९५३ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा ५ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दी जाय; और—

(१) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) का खण्ड (ख) निकाल दिया जाय; और—

(२) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्—

"(२) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त-प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा किसी अन्य रीति से नोटिस दिए बिना और उनकी सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी किए जाने पर, यथास्थित, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायगा;

(ख) ऐसे उपशमन से उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम

तथा तदन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २९-ग का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २९-ग में—

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ११७ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानो कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गयी थी और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गयी थी;

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५ में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत क्षेत्र में किसी भूमि से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां तथा वाद उस समय तक स्थगित रहेंगे जब तक कि तत्सम्बन्धी चकबन्दी की सभी कार्यवाहियां पूरी न हो जायें। उक्त धारा में यह भी व्यवस्था है कि भूमि में अधिकारों या स्वत्वों के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में चकबन्दी प्राधिकारियों के निष्कर्ष उस प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिए जायेंगे जिसके समक्ष कार्यवाही या वाद विचाराधीन हों और वह प्राधिकारी या न्यायालय तद्नुसार उस मामले में निर्णय देगा। इस प्रकार पक्षों को अनावश्यक ही ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के उस पास मामले में अन्तिम निर्णय के लिए जाना पड़ता है। अतएव न्यायालयों तथा पक्षों का समय बचाने के उद्देश्य से उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह व्यवस्था की जा सके कि ऐसे वाद और कार्यवाहियां स्थगित नहीं रहेंगी बल्कि उनका उपशमन हो जायगा।

उक्त अधिनियम की धारा २९-ग की उपधारा (२-व) में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७-क उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस भूमि पर भी लागू होंगे जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई हों।

धारा २९-ग की उपधारा (३) को निकाल देने का प्रस्ताव है क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२७-ग में अब जो व्यवस्था है उसके फलस्वरूप उक्त उपधारा अनावश्यक हो गई है।

तद्नुसार विधेयक पुनःस्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विशेन,
राजस्व मन्त्री।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की संगत धाराओं के उद्धरण जिन्हें इस विधेयक द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है

धारा ४ (२) अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव

५—सरकारी गजट में धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा ५२ के अधीन अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार—अभिलेख (record of rights) का रख-रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उप-संचालक-चकबन्दी करेगा, जो कि उनका रख-रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) (१) अभिलेखों के संशोधन की सभी कार्यवाहियां तथा भूमि में अधिकारों तथा स्वत्वों के प्रख्यापन अथवा भूमि के कब्जे या विभाजन के लिए सभी वाद जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित हो जायेंगे किन्तु उक्त कार्यवाहियों अथवा वादों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में भूमि में ऐसे अधिकार अथवा स्वत्व के सम्बन्ध में चकबन्दी प्राधिकारियों की उपपत्तियां उस प्राधिकारी अथवा न्यायालय के द्वारा मान्य होंगी जिसके समक्ष कार्यवाही अथवा वाद विचाराधीन था और वह सम्बद्ध पक्षों से उनकी सूचना मिलने पर कार्यवाही अथवा वाद में जैसी भी दशा हो, आगे कार्यवाही करेगा।

(ग) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार—

(१) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य-संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा; और

(२) इन चकबन्दी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग को विक्रय, दान अथवा विनिमय द्वारा हस्तांतरित करेगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए करता रह सकता है जिसके लिए कि धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि का निहित होना

२९-ग (१)—इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि उस दिनांक से जब खातेदार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वह समय-समय पर संशोधित होंगे, उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों गांव सभा में निहित होगी और ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए वह अन्तिम चकबन्दी योजना में रक्खी गयी थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी जो नियत किए जायें।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गांव सभा अपने में इस प्रकार निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग और ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में उसे दिये गए हों और उस पर आरोपित हों।

(३) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक गांव सभा में निहित समस्त भूमि, उससे सम्बद्ध सभी शर्तों तथा प्रसंगों के अधीन रहते हुए, गांव समाज के मण्डल के लिए संघटित गांव सभा में निहित हो जायगी।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २९ पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में शाब्दिक संशधनों की सूची

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ में शाब्दिक संशोधनों की सूची।

१—खण्ड २ के अन्त में विराम के चिन्ह के स्थान पर चिन्ह ":—" रख दिया गया है।

२—खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित नयी उपधारा (१—क) की अन्तिम पंक्ति में चिन्ह और शब्द ",और" के स्थान पर विराम का चिन्ह रख दिया गया है।

३—खण्ड ३ द्वारा प्रस्तावित उपधारा (३) की पंक्ति ५ में शब्द "कोई कि" के स्थान पर शब्द "कि कोई" रख दिये गये हैं।

४—खण्ड द्वारा प्रस्तावित उपधारा (३) के अन्त में चिन्ह " रख दिया गया है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११८ एल० ए०—१९६६—८४६।

विधान सभा सचिवालय